लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 7—9 नवम्बर, 1966/18 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 7—November 9, 1966/Kartika 18, 1888 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.		
181. उर्वरक उत्पादन के लिये द्रव अमोनिया का आयात	Import of Liquid Ammonia for Fertilizer Production	819—21
182. औद्योगिक लाइसेंस	Industrial Licences	821—24
183. नेपथा भाप परिष्करण कारखाना	Naphtha Steam Reformation Plant	824—26
185. भारत बैरल एण्ड ड्रम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	Bharat Barrel and Drum Co. (P) Ltd.	826—33
186. अध्यापकों के वेतन क्रम	Pay-scales of Teachers	833—34
191. अध्यापकों के वेतन क्रम	Pay Scales of Teachers	834—37
अल्प-सूचना	SHORT NOTICE QUESTION	
प्रश्न संख्या		
1. कालटैक्स आयल कम्पनी, कलकत्ता	Caltex Oil Co., Calcutta	838—41
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	STARRED QUESTION NO.	
184. सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा उपाय	Civil Defence in Border Areas	841
188. इन्टरपोल सम्मेलन	Interpol Conference	841—42
189. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पृथक् लोक सेवा आयोग	Separate Public Service Commission for Public Sector Undertakings . .	842
190. काश्मीर में पाठ्य-पुस्तकें	Text-Books in Kashmir . . .	842—43

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
संख्या ता०प्र० S.Q. Nos.		
192. मिजो नेशनल फ़्रन्ट	Mizo National Front	843
193. अन्तर्राज्यीय विवाद	Inter State Disputes	843—44
194. जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in L.I.C.	844
195. रूसी प्रकाशकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण	Printing of Text Books by Soviet Publishers	844—45
196. आपातकाल	Emergency	845
197. पाकिस्तान की जासूसी तथा तोड़-फोड़ की योजना	Pakistan Espionage and Subversion Plan .	845—46
198. स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा	Science Education in Schools . .	846
199. औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिये प्रशुल्क निकाय	Tariff body to study the cost structure of Drugs	846—47
200. कोयले के स्थान पर भट्टी के तेल का प्रयोग किया जाना	Substituting Coal by Furnace Oil .	847—48
201. उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories	848
202. कोचीन तेल शोधक कारखाना	Cochin Refinery	848—49
204. तकनीकी शिक्षा के लिये उद्योग पर शुल्क	Levy on Industry for Technical Education	849
205. कर्मचारी वाला डाकघर बैंक	One Man Post Office Bank . .	849—50
206. अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के लिए डाक तथा तार की सुविधायें	P. and T. Facilities for the A.I.C.C. Session	850
208. राजस्थान उच्च न्यायालय का जयपुर बैंच	Jaipur Bench of High Court of Rajasthan	850—51
209. विद्रोही नागा	Naga Hostiles	851
210. नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कर्मचारी	Employees of N.P.L., New Delhi . .	851—52
संख्या अता०प्र० U.Q.Nos.		
886. प्रतीक, मात्रक तथा नाम पद्धति	Symbols, measures and names . .	852

अ० ता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
887.	पारिभाषिक हिन्दी शब्द-कोष	Technical Hindi Dictionaries .	852—53
888.	शब्दसागर पर व्यय	Expenditure on Shabdhasagar	853
889.	कोचीन कोयम्बटूर पाइप लाइन	Cochin Coimbatore Pipe Line	853—54
890.	कन्नूर में मुख्य डाकघर की इमारत	Head Post Office Building at Cannanore .	854
891.	टैंक लारियों में मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil in Tank Lorries	854—55
892.	दिल्ली के कोलोनाइजर द्वारा धोखादेही	Cheating by Delhi Coloniser .	855
893.	केरेल में रसायन उद्योग समूह के लिये भूमि	Land for Chemical Complex in Kerala .	855—56
894.	जासूसी के मामले में निर्णय	Judgement in Espionage Case . .	856
895.	अन्तर्देशीय पत्र	Inland Letters . .	856—57
896.	आदिम जाति क्षेत्रों में डाक-घर	Post Offices in Tribal Areas	857
897.	गैरसरकारी कालेज प्रबन्धक, केरल	Private College Managements, Kerala	857—58
898.	बेईमान ठेकेदार	Unscrupulous Contractors	858
899.	सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण	Civil Defence Training in Border Areas	858
900.	अन्दमान में गुप्त नक्शों की चोरी	Theft of Secret Maps in Andaman	858—59
901.	केन्द्रीय कर न्यायालय	Central Tax Court	859
902.	उत्तर प्रदेश में बाल-विवाह	Child Marriages in U.P. . .	859
903.	उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार	Corruption at top level . . .	859
904.	कानपुर के व्यापारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against Kanpur Businessman .	860
905.	परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme . . .	860

अता०प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
906. केरल में नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Municipal Employees	860
908. साबुन के दामों में वृद्धि	Increase in Soap Prices	861
909. नागाओं की गिरफ्तारी	Arrest of Nagas	861
910. नई दिल्ली के मुख्य डाकघर से पार्सलों का गुम हो जाना	Parcels Missing from G.P.O. New Delhi .	861
911. पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण	Kidnapping by Pakistanis . . .	862
912. नागा विद्रोही	Naga Rebels	862
913. कोयली में पेट्रोरसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex at Koyali	862—63
914. मंत्रियों और अन्य व्यक्तियों की आस्तियां	Assets of Ministers and Others .	863
915. तेल के नये क्षेत्र	New Oil Bearing Regions	863—64
916. अन्दमान के लिये डाक तथा तार सेवाएं	P.& T. Services to Andaman .	864—65
917. टेलीफोन	Telephone Connections .	865
918. एक विदेशी महिला के साथ दुर्व्यवहार	Maltreatment of a Foreign Lady	865—66
919. चन्दा जिले में भूमि का नियतन	Allotment of Land in Chanda District	866—67
920. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	Payment of Bonus Act, 1965 . .	867
921. विदेशी पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद	Translation of Foreign Text-Books	868
922. संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का शामिल किया जाना	Inclusion of Languages in Eighth Schedule of Constitution	868—69
923. पुस्तक विकास कार्यक्रम	Book Development Programme . .	869
924. झांसी में टेलीफोन प्रणाली	Telephone System in Jhansi .	869—70
925. तदर्थ आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)	Ad hoc Stenographers	870—71

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
926. फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की विक्रय संस्था	Sales Organisation of Fertilizer Corporation of India Ltd.	871
927. पश्चिम दिनाजपुर में एक कस्बे पर पाकिस्तान का धावा	Pak. Raid on a town in West Dinajpur	871
928. उत्तर प्रदेश में डाक सेवायें	Postal Services in Uttar Pradesh . .	871—72
929. गांधी हत्या का मुकदमा	Gandhi Murder Case . . .	872
930. सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष तथा स्त्रियां	Contactmen and Contactwomen . .	872—73
931. राजस्थान सरकार द्वारा हिन्दी में पत्र-व्यवहार	Correspondence in Hindi by Rajasthan Government	873
932. प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक धंधे सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्	National Council for Training and Vocational Trades	873—74
933. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड की निर्यात योजना	Indian Telephone Industries Export Plan	874
934. बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का संयुक्त राज्य अमरीका जाना	Teenagers to U.S.A. .	875
935. प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज, कालीकट	Regional Engineering College, Callicut .	875—76
936. कागज निगम	Paper Corporation	87
937. कार्यकारी पार्षदों का वेतन	Salary of Executive Councillors	876—77
938. ग्यारह वर्षीय उच्चतर माध्यमिक तथा तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	11 Year Higher Secondary and 3 Years Degree Courses	877
939. इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Engineering Industry .	877—78
940. तिहाड़ जेल से कैदी का भाग निकलना	Escape of a Prisoner from Tihar Jail .	878
941. दीमापुर रेलवे स्टेशन पर पाया गया बम	Bomb found at Dimapur Railway Station	878

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
942. पश्चिम जर्मनी के दूतावास के अधिकारी के घर पर चोरी	Theft in Residence of West German Embassy Official	879
943. विज्ञान तथा औद्योगिकी की पुस्तकों का आयात	Imported Books on Science and Technology	879
944. अध्यापकों के लिये त्रि-लाभ योजना	Triple Benefit Scheme for Teachers	879—80
945. विभिन्न मजूरी बोर्डों की कार्य प्रणाली का पुनर्विलोकन	Review of Various Wage Boards .	880—81
946. पुरातत्वीय खोज	Archaeological Exploration . . .	881
947. बलिहारी कोयला खान के श्रमिकों को मजूरी	Wages of Workmen in Balihari Colliery .	882
948. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Department Employees	882
949. बस्तर में गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on Bastar Firing . . .	882—83
950. गैर कानूनी घोषित की गई पुस्तकें	Proscribed Books . .	883
951. नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य	Target for Production of Nitrogenous Fertilizers	883—84
952. दण्डकारण्य में कताई मिल	Spinning Mill in Dandakaranya . .	884
953. डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों का आरक्षण	Reservation of Posts for Scheduled Tribes in P.&T. Department . . .	884—85
954. राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना	National Chemical Laboratory, Poona .	885
955. अमझोर के पाइराइट अयस्कों से गन्धक तैयार करना	Extraction of Sulphur from Pyrites Ores from Amjhore	885—86
956. दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission in Delhi Colleges . .	886
957. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये अलग राज्य	Separate State for U.P. Hill Districts .	886—87
958. दिल्ली के जेब कतरने की घटनायें	Pick Pocketing in Delhi . . .	887

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
959. श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग	National Commission on Labour	888
960. भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राज्यों में गिरफ्तारियां	Arrests to States under D.I.R.	888
961. दिल्ली में निष्क्रान्त सम्पत्ति	Evacuee Property in Delhi	888—89
962. नंगल स्थित उर्वरक कारखाने के पास फालतू भूमि	Surplus Land with Fertilizer Factory Nangal	889
963. भारी रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Heavy Chemicals and Fertiliser Industries . . .	889—90
964. कपड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Textile Industry .	890
965. केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिये समयोपरि कार्य	Overtime to Employees in Central Telegraph Office, New Delhi . . .	890
966. डाक सेवायें	Postal Services	891
967. डाकखानों के माध्यम से बीमे की किश्तों की राशि की वसूली	Collection of Insurance Premia Through Post Offices	891—92
968. हल्दिया बरौनी पाइप लाइन	Haldia Barauni Pipe Line .	892
969. दिल्ली में वित्त प्रबन्धक (फाइनेन्सर) द्वारा धोखा	Cheating by a Financier in Delhi . .	892
970. टेलीफोन के तारों की चोरी	Theft of Telephone Wires . . .	893
971. इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा	Indian School Certificate Examination .	893
972. राज्यपालों और उप-राज्यपालों पर खर्च	Expenditure on Governors and Lt. Governors	894
973. शिक्षा आयोग के कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी पर लगाना	Absorbing Staff of Education Commission	894
974. हिन्दी में पत्राचार	Correspondence in Hindi . . .	894—95
975. हिन्दी जानने वाले अधिकारी	Officers knowing Hindi . . .	895

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES.
976. भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राजस्थान में गिरफतारियां	Arrest under D.I.R. in Rajasthan .	895
977. कोटा में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Kotah	895—96
978. डायरियों और कैलैंडरों को भेजने के लिये डाक की दरें	Postal Rates for Diaries and Calendars	896
979. कोटा में मुख्य डाक घर के लिए इमारत	Building for Head Post Office, Kotah	896—97
980. कर्मचारी राज्य बीमा निगम	Employees State Insurance Corporation .	897
981. जगदलपुर में कताई मिलें	Spinning Mills at Jagdalpur .	897—98
982. विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम	Media of University Education	898—99
983. दार्जिलिंग जिले में प्राचीन नगर के अवशेष	Ancient City Find in Darjeeling District	899
984. केरल में सार्वजनिक टेली-फ़ोन कार्यालय	Public Call Office in Kerala .	899—900
985. केरल से निष्कासन	Evictions in Kerala	900
986. पुलिस द्वारा गोलीबारी	Firings by Police	900
987. पालमपुर में केन्द्रीय जीव सम्बन्धी अनुसंधान प्रयोग-शाला	Central Biological Research Laboratory at Palampur	901
988. अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा	Education Among Scheduled Tribes	901
989. औषधियों के मूल्य	Prices of Drugs	902
990. गांधी जयंती के उपलक्ष में सवेतन अवकाश	Holiday with Pay on Gandhi Jayanti	902—903
991. अयोध्या कपड़ा मिल में सवेतन छुट्टियां	Paid Holidays in Ajudhya Textile Mills .	903
992. गांधी जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टी	Holiday on Gandhi Jayanti	903—904
993. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अध्यापक	Teachers in Delhi Corporation Schools .	904

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
997.	सितम्बर, 1966 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर मंत्रियों का एरनाकुलम का दौरा	Ministers' visit to AICC Session at Ernakulam in September, 1966 . . .	904—905
998.	सोने के पार्सल में पत्थर	Stones in Parcel of Gold	905
999.	कोचीन में तेल संस्थान	Installations at Cochin	905
1000.	बम्बई से कोचीन तक पेट्रोलियम उत्पादों का ले जाना	Movement of Petroleum Products from Bombay to Cochin	906
1001.	देवली शिविर	Deoli Camp	906
1002.	सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना	Re-employment of Retired Personnel	906—907
1003.	केरल के क्विलोन तालुक में फ्लोरको कारखाने के लिए भूमि	Land for Floorco Factory in Quilon Taluk, Kerala	907
1004.	गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल समवाय	Private Sector Oil Companies	907
1005.	अधिवर्षता की आयु	Superannuation Age	908
1006.	खेमकरण नगर का पुनर्निर्माण	Rebuilding of Khem Karan Town	908
1007.	गुजरात के भूतपूर्व इंस्पैक्टर जनरल आफ पुलिस	Former I.G.P., Gujarat	909
1008.	बोनस का भुगतान	Payment of Bonus	909—910
1009.	लाभ साझा बोनस	Profit Sharing Bonus	910
1010.	कोयला खानों में भविष्य निधि	Provident Fund in Coal Mines	910
1011.	खानों द्वारा मंहगाई भत्ते का भुगतान	Payment of D.A. by Mines	910—911
1012.	कोयला खानों में दुर्घटनायें	Accident in Coal Mines	911
1013.	केरल में मलयालम भाषा	Malayalam in Kerala	911
1014.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Central Hindi Directorate	912

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1015.	वालकाट तथा डोंज के विरुद्ध मामले	Walcott and Donze Case . .	912—913
1016.	वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया जाने वाला व्यय	Investment on Scientific Research	913—914
1017.	राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ	National Federation of Posts and Telegraphs Employees	914
1018.	छम्ब जौरिया क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति	Displaced Persons from Chhamb Jaurian Sector	914—915
1019.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कोजीकोडे	Regional Engineering College, Kozikode .	915
1020.	पेट्रोल और नैपथा का निर्यात	Export of Petrol and Naptha .	915
1022.	अध्यापकों के लिये युनेस्को चार्टर	UNESCO Charter for Teachers	916
1023.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना	Employees Provident Fund Scheme	916
1024.	उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी	Gun Factory in U.P. . . .	917
1025.	कुवैत के सहयोग से उर्वरक परियोजनाएं	Collaboration of Fertilizer Projects with Kuwait	917
1026.	ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं	Education Institute in Rural and Urban Areas	917
1027.	बुनियादी शिक्षा	Basic Education	917
1028.	नैपथा ले जाने वाली पाइप लाइन का बिछाना	Alignment of Pipe line Carrying Naptha	918—919
1029.	स्कूलों में यौन सम्बन्धी शिक्षा	Sex Education in Schools . . .	919
1030.	काश्मीर में सुरक्षा संबंधी उपाय	Security Measures in Kashmir . .	919
1031.	गन्धक के तेजाब के मूल्य	Prices of Sulphuric Acid . . .	919—920
1032.	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संबंधी सम्मेलन	I.L.O. Conference	920

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1033.	गोरखपुर टेलीफोन एक्सचेंज	Gorakhpur Telephone Exchange .	920
1034.	उपकुलपतियों का सम्मेलन	Vice-Chancellors' Conference . .	921
1035.	मुख्य सतर्कता अधिकारी सम्मेलन	Chief Vigilance Officers Conference .	921
1036.	बाल पुस्तक न्यास	Children Book Trust	921—22
1037.	दिल्ली में स्कूल	Schools in Delhi	922
1038.	अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय छात्र	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students	922—923
1039.	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की छूट	Repayment of loans by Displaced Persons in Tripura	923
1040.	गांधी जी का चित्र	Gandhiji's Portrait . . .	923
1042.	जमादार के पद के लिए अर्हताएं	Qualifications for the post of Jamadar .	923—24
1044.	अन्तर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्र (पेंटिंग्स) प्रदर्शनी	International Triennial Paintings Exhibition	924
1045.	शैक्षणिक पुस्तकों का संयुक्त प्रकाशन	Joint Publication of Books of Educational Value	924—25
1046.	कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak. Infiltration in Kutch . .	925
1047.	पाकिस्तानी डाकू	Pak. Dacoits . . .	925
1048.	मैसूर के लिये भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा का कोटा	I.A.S./I.P.S. quota for Mysore .	925—26
1049.	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में हड़ताल	Strike in the Delhi Engineering College .	926
1050.	तेल के कुएं खोदना	Drilling of Oil . .	927
1051.	कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन	Coal Mines Labour Welfare Organisation	927—28
1052.	चोर बाजारी करने वालों की सूची	List of Black marketers .	928

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
1053.	पुनर्वास (रिसैटलमैंट) संगठन	Resettlement Organisation	928—29
1054.	कच्चे तेल की कीमत	Price of Crude Oil	929
1055.	डाक तथा तार विभाग में लाइनमैन	Linemen in P. & T. Department	929
1056.	दिल्ली में अपहरण	Abductions in Delhi	930
1057.	सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाना	Utilisation of Services of Retired Teachers	930—31
	विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा विभाग	Department of Adult Education in Universities	931—32
	सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	932—35
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	935—37
	लोक लेखा समिति उन्सठवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee — Fifty Ninth Report	937
	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा संविधान (इक्कीसवां संशोधन) विधेयक	Representation of the People (Amendment) Bill and Constitution (Twenty-first Amendment) Bill	937
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammed Ismail	938—39
	श्री नि० च० चटर्जी	Shri N.C. Chatterjee	939—40
	श्री दाजी	Shri Daji	940—41
	श्रीमती रेणुका राय	Shrimati Renuka Ray	941—42
	श्री काशीनाथ पांडे	Shri K.N. Pande	942
	श्री उमानाथ	Shri Umanath	943
	श्रीमती यशोदा रेड्डी	Shrimati Yashoda Reddy	943—44
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	944—45
	श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G.N. Dixit	945—46
	श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	946—47
	श्री त्यागी	Shri Tyagi	947
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath	947—48
	श्री अ० सिं० सहगल	Shri A.S. Saigal	949
	श्री रंगा	Shri Ranga	949—51

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री म० ला० द्विवेदी	Shri M.L. Dwivedi	951
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंधवी	Dr. L.M. Singhvi	951—52
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva . .	952—53
श्री नरेन्द्रसिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	953—54
दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Incidents in Delhi	954—55
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	955—56
दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike by nurses in Delhi Hospitals	957
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar . .	958
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	958
उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सूखे तथा दुर्लभता की स्थिति	Drought and Scarcity conditions in U.P. and Bihar	958—59
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	959
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	959—63

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 9 नवम्बर, 1966/18 कार्तिक, 1888 (शक)

Wednesday, November 9, 1966/Kartika 18, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठ सीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उर्वरक उत्पादन के लिये द्रव अमोनिया का आयात

+

*181. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:
श्री ब० कु० दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० द० पुरी :
श्री दाजी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में उर्वरक उत्पादन के लिए सरकार को अमरीका तथा अन्य देशों से द्रव अमोनिया आयात करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या विश्व बैंक के इस सुझाव के अनुसरण में, सरकार अथवा इस देश के किसी उर्वरक कारखाने ने कोई समझौता किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम स्वयं विदेशी मंडियों में काफी मात्रा में नेफ्था बेचने का प्रयत्न कर रहा है जबकि उसे यहां उर्वरक उत्पादन के लिए काम में लाया जा सकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) देश में नेफ्था का वर्तमान उत्पादन आवश्यकता से अधिक है और मोटर स्पिरिट तथा नेफ्था को काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : यह कहां तक सही है कि इसकी गणना की गयी है कि जब बरौनी तेल शोधक कारखाना अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा तो इसमें कम-से-कम 50 से 60 हज़ार टन नेफ्था का उत्पादन हो सकेगा ।

श्री इकबाल सिंह : यदि सभी उर्वरक कारखानों तथा पेट्रोरसायनिक कारखानों में उत्पादन अनिश्चित समय में होने लगता है तो पहले वर्ष कुछ कमी हो सकती है अन्यथा नेफ्था सारी चौथी योजना में फालतू रहेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : दुर्गापुर में नेफ्था पर आधारित प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

श्री इकबाल सिंह : हमने टेंडर मंगाये हैं, सभी डिजाइन तैयार किये जा चुके हैं और कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह निर्णय करने से पहले कि सरकार उर्वरक के उत्पादन में अमोनिया की बजाय नेफ्था का प्रयोग करेगी, क्या हम जान सकते हैं कि क्या उत्पादन की दो विभिन्न प्रक्रियाओं का कोई वैज्ञानिक और निष्पक्ष विश्लेषण किया गया है ? इस निर्णय का आधार क्या था ।

श्री इकबाल सिंह : हमने इस सारी समस्या का ब्योरेवार अध्ययन किया है । हमें मालूम हुआ है कि आयातित अमोनिया का प्रयोग करने की तुलना मे नेफ्था का प्रयोग करना भारत में सस्ता पड़ेगा । हमने सभी पहलुओं अर्थात कारखाने के लिये देशी सामान की कितनी आवश्यकता होगी, उत्पादन की लागत क्या होगी आदि का अध्ययन किया है और हमें पता लगा है कि नेफ्था का प्रयोग अधिक सस्ता तथा लाभप्रद रहेगा ।

श्री वारियर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में नेफ्था बहुत फालतू होगा, क्या सरकार ने इसकी खपत करने के लिये कोचीन कारखाने की क्षमता को बढ़ाने के बारे में विचार किया है ?

श्री इकबाल सिंह : हमने हाल ही में एक निर्णय किया है जिसके अनुसार इसकी क्षमता प्रति वर्ष 145,000 टन नाइट्रोजन के उर्वरक की होगी । इस नेफ्था का उपयोग या तो कोचीन में अथवा गोआ में या गोआ के निकट किसी कारखाने में किया जायेगा । अत: फालतू नेफ्था का उपयोग करने की कोई समस्या नहीं होगी जिसके लिये कोचीन उर्वरक कारखाने की क्षमता को बढ़ाना पड़े ।

श्री प्र० चं० बरुआ : सरकार ने विदेशी फर्मों द्वारा उर्वरकों के उत्पादन के लिये तरल अमोनिया का आयात करने की अनुमति देने से इन्कार इसलिये कर दिया था कि देश में नेफ्था काफी मात्रा में उपलब्ध है । इसके विपरीत विश्व बैंक दबाव डाल रहा है कि हमें यहां पर उर्वरकों के उत्पादन के लिये तरल अमोनिया चाहिये । क्या यह मामला विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल से, जो नई दिल्ली में आया था, उठाया गया था और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री इकबाल सिंह : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि विश्व बैंक ने हमें यह सुझाव दिया था। हमने ब्योरेवार अध्ययन किया और ब्योरेवार अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन उर्वरक कारखानों के लिये, जो हम चौथी योजना में स्थापित करना चाहते हैं, मध्य-पूर्व अथवा किसी अन्य देश से अमोनिया का आयात करने की तुलना में देश में उपलब्ध नेफ्था का ही प्रयोग अधिक सस्ता और अधिक लाभकारी है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या विश्व बैंक ने आपकी सलाह मान ली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : जी हां। यह सच है कि विश्व बैंक कुछ समय तक इसी विचार को ले कर चलता रहा। हमने उनके समक्ष एक तुलनात्मक विवरण रखा था जिसके सभी तथ्य और आयातित अमोनिया तथा देश में उपलब्ध नेफ्था से उर्वरकों के उत्पादन के बारे में बताया गया था। हाल ही में दिल्ली का दौरा करने वाला मिशन भी इस बारे मे स्थिति जानना चाहता था और हमने सारी बात स्पष्ट कर दी थी। मैं समझता हूं कि वह हमारी इस बात से सहमत हो गये थे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या तरल अमोनिया को आयात करने का सुझाव देते हुए विश्व बैंक ने यह भी सुझाव दिया था कि उनकी सहायता के लिए देश में अधिक उत्पादन किया जाये ?

श्री अलगेशन : हम 24 लाख टन अमोनिया का उत्पादन करने की क्षमता पैदा करना चाहते हैं। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इस उर्वरक का उत्पादन कैसे किया जाये, इसका उत्पादन आयातित तरल अमोनिया से किया जाये अथवा देश में उपलब्ध नेफ्था से। सभी बातें इस पक्ष मे हैं कि इसका उत्पादन देश में उपलब्ध नेफ्था से किया जाये ।

डा० म० मो० दास : विश्व बैंक ने यह सुझाव कब दिया था ? क्या सरकार ने एक नया उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये विश्व बैंक से ऋण मांगा था, और यदि हां तो कितना ऋण मांगा था और क्या इसकी मंजूरी दे दी गई है ?

श्री अलगेसन : यह ऋण से सम्बन्धित नहीं था। विश्व बैंक हमारे देश की आर्थिक समस्याओं पर विचार कर रहा है क्योंकि हम न केवल इस प्रयोजन से परन्तु अन्य विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं हेतु सहायता के लिये भी कहते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा : यहां पर अमोनिया लगभग बिना लागत के मिल जाता है। ईरान में भी बहुत थोड़ी लागत में इसका उत्पादन किया जा सकता है और उर्वरक बनाने के लिये उसका आयात भारत में किया जा सकता है। विश्व बैंक ने यह सुझाव इस सम्बन्ध में दिया था। हमने इस पर विचार किया और विभिन्न कारणों से इसे व्यावहारिक नहीं समझा गया। पहली बात तो यह है कि हम उर्वरकों का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में करना चाहते हैं ; 24 लाख टन नाइट्रोजन, कोई मामूली मात्रा नहीं है। इस सारी मात्रा का उत्पादन आयातित अमोनिया से करना कोई अधिक बुद्धिमानी नहीं है। इस देश में अमोनिया की उत्पादन लागत 310 रुपये प्रति टन आती है और आयातित अमोनिया हमें 450 रुपये प्रति टन पड़ता है। इस देश में उत्पादन करने से अमोनिया की विदेशी मुद्रा में 10 अमरीकी डालर की लागत आती है जबकि आयातित अमोनिया की 40 अमरीकी डालर लागत आती है। यदि हम उर्वरकों का उत्पादन आयातित नेफ्था पर भी करें तब भी विदेशी मुद्रा में नेफ्था की लागत 25 अमरीकी डालर आयेगी जब कि आयातित अमोनिया हमें 40 अमरीकी डालरों में पड़ेगा।

Shri M. L. Dwivedi: May I know the capacity of Durgapur plant where we propose to produce naptha? When the plant would be ready and how far our requirements of amonia would be met by it?

Shri Iqbal Singh: There is no such proposal to produce Naptha there. The question is only of its use Naptha would be taken from Barauni Refinery and used for making fertilisers there. The capacity of this plant would be 145,000 tons per year in terms of nitrogen and it is working according to schedule.

श्री वासुदेवन नायर : क्या कोई ऐसे समाचार भी थे कि भारत में उर्वरक कारखाने स्थापित करने के लिये तैयार कुछ समवायों, और भारत सरकार के बीच बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और क्या इस गतिरोध को दूर किया गया था और क्या उनमें से किसी समवाय ने देश में उपलब्ध नेफ्था पर आधारित कोई उर्वरक कारखाना बनाना स्वीकार कर लिया था ?

श्री अलगेसन : जहां तक हम जानते हैं गैर-सरकारी पक्षों के साथ सहयोग स्वीकार करने वाली सभी समवायों ने अमोनिया का आयात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है । अतः इस बात के कारण बातचीत टूटने का कोई मामला ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डा० म० मो० दास : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

औद्योगिक लाइसेंस

+

*182. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को लाइसेंस देने का कार्य एक स्वतंत्र प्राधिकार को सौंपने के प्रश्न पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) उद्योगों को लाइसेंस देने तथा उससे सम्बन्धित प्रक्रिया के प्रश्न सभी पहलुओं पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh: May I know the reasons for delay in this matter?

Shri Hathi: Initially it was talked about. Thereafter a special Parliamentary Consultative Committee was constituted and the Home Minister also had some conversation with some of the Members. Then it was decided to refer the matter to an independent body and to take the advice of the States Governments in this regard. In the mean time the Administrative Reforms Commission came into being and it was deemed fit to take the advice of this Commission in the matter.

Shri Yashpal Singh: State Governments take more time in issuing industrial licences, in some cases they took three years, while Central Government takes less time for the purpose. May I know whether Central Government have issued any instructions to State Governments to not to take too much time for it?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में स्वामीनाथन समिति नियुक्त की गयी थी और उस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है और इस सम्बन्ध में आशय पत्र निश्चित समय के अन्दर ही जारी कर दिये जायेंगे। राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में कह दिया गया है।

श्री रंगा : क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है क्या प्रशासनिक सुधार आयोग इस स्वतंत्र आयोग के सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना तयार करेगा और इस बात का भी अध्ययन करेगा कि यह किस प्रकार नियुक्त किया जायेगा, यह अर्ध-न्यायिक और अराजनैतिक होगा, उसको क्या प्राधिकार मिला होगा और उसको किस हद तक स्वतन्त्रता मिली होगी तथा उसमें कर्मचारी किस प्रकार के होंगे ? परन्तु मुझे तो इस योजना के सिद्धान्त और कार्यान्विति में बड़ा अन्तर दिखाई देता है।

श्री हाथी : माननीय सदस्य उसे समिति कहें या आयोग कहें। इसका सभापति एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा और उन परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिये एक तकनीकी संस्था अवश्य होगी, जिन्हें लाइसेंस दिया जाना है। यह समिति या संस्था किस प्रकार की होगी, उसका निर्णय सरकार को अवश्य मान्य होगा या नहीं, यह अर्धन्यायिक होगी जैसा ब्रिटन में है या लोक सेवा आयोग की तरह एक स्वतंत्र संस्था होगी, ये सब बातें सरकार के सामने हैं। चूंकि यह मामला अब प्रशासनिक सुधार आयोग के सामने है इसलिये इसके बारे में सरकार अभी कोई निर्णय नहीं कर सकती है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सरकार और योजना आयोग की घोषित नीति के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में संतुलन नहीं है और उद्योगों में एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार किन सिद्धान्तों का अनुसरण कर रही है ?

श्री हाथी : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइसेंस देते समय उस प्रदेश की आवश्यकता, परियोजना का आर्थिक पहलू और वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता पर विचार किया जाता है। फिर भी इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं जिस कारण इस मामले को प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंप दिया गया है।

श्री त्यागी : क्या सरकार को मालूम है कि लाइसेंस पाने वालों और अधिकारियों के बीच कुछ पेशेवर बिचौलिये काम कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने मान्यता दे रखी है ?

श्री हाथी : सरकार को यह मालूम है और सरकार ने ऐसे कदम उठाये हैं जिनसे उन बिचौलियों और अधिकारियों में बातचीत न हो सके।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या इस मामले के सम्बन्ध में नियुक्त स्वामीनाथन समिति और माथुर समिति ने अपने प्रतिवेदन सरकार को दे दिये हैं, यदि हां, तो सरकार उनके सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन मिलने से पहले क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री हाथी : केवल माथुर समिति ही क्यों, एक और समिति श्री के० के० शाह की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी जिसने सूती कपड़ा और लोहा तथा इस्पात का अध्ययन किया था। चार अन्य अध्ययन दलों की नियुक्ति भी की गयी थी। उनकी कुछ सिफारिशों को मान लिया गया है और कुछ पर विचार किया जा रहा है। किन्तु वे पृथक पृथक विषयों से सम्बन्धित थीं, और यह एक सामान्य बात है।

श्री हेम बरुआ : क्या दिल्ली में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो उद्योगपतियों की ओर से मंत्रियों के पास परमिट लेने के लिये जाती हैं और मंत्री महोदय उनका काम आसानी से कर देते हैं।

श्री हाथी : अब तक मैं ही यह काम कर रहा था। परन्तु लाइसेंस देने वाली कोई ऐसी मशीनरी होनी चाहिए जिस पर कोई ऐसा शक न कर सके कि लाइसस किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर नहीं दिये जाते। इसीलिये इस मामले को प्रशासनिक सुधार आयोग को सौंपा गया है।

नेफ्था भाप परिष्करण कारखाना

*183. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० र० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम और जापान की हिताशी फर्म के बीच सिंदरी में नेफ्था भाप परिष्करण कारखाना लगाने के सम्बन्ध में कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) करार की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

1. मैसर्स हिताशी फर्म नेफ्था भाप परिष्करण संयंत्र का रूपांकन, इंजीनियरी कार्य, सप्लाई और चालू करेगी और उक्त संयंत्र अमोनिया के उत्पादन के हेतु संश्लिष्ट मिश्रण की सप्लाई के लिए प्रति दिन 50 मीटरी टन नेफ्था तैयार करेगा।

2. ठेके के अनुसार उपकरण की विदेशी मुद्रा लागत पांचवे येन ऋण (5th Yen Credit) से पूरी की जायेगी।

3. ठेके पर आधारित माल की अदायगी निम्न प्रकार होगी :—

   1. ठेके के लागू होने से लेकर चार सप्ताहों के अन्दर मूल्य का 20 प्रतिशत अदा किया जायेगा; जिसके लिए हिताशी फर्म भारतीय उर्वरक निगम को स्वीकृत एक गारण्टी बैंक से प्रस्तुत करेगी; और

   2. मूल्य का 80 प्रतिशत पोत परिवहन प्रलेख के आने पर अदा किया जायेगा।

4. ठेके में उचित क्षमता, गुण एवं उपभोग गारण्टियों के लिए व्यवस्था है।

5. मैसर्स हिताशी जापान में इसी प्रकार के संयंत्रों की कार्यान्विति एवं देखभाल में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उचित संख्या में हमारे इंजीनियरों की सही व्यवस्था करेगी।

(ग) ठेके का लगभग मूल्य 45 लाख रुपये है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(1) विदेशी मुद्रा

(1) संयन्त्र के निर्माण का पर्यवेक्षण स्थापना एवं चालू करने के लिए हितैशी इंजीनियरों की सेवाओं का व्यय एवं लाइसेंस फीस को शामिल करते हुए सी एण्ड एफ (C&F) कलकत्ता उपकरण के रूपांकन इंजीनियरिंग और सप्लाई का मूल्य ।	185,779,000 येन (38,70,358 रुपये)
(2) पुर्जों के दाम	15,080,000 येन (1,14,166 रुपये)

(2) रुपये

(1) सिन्दरी से भारतीय निर्मित उपकरण की सप्लाई का मूल्य जिसमें विक्रय कर, बीमा उत्पादन शुल्क, दूसरे लाइसेन्स तथा भारत में हिताशी फर्म के इंजीनियरों की रिहायश आदि के व्यय शामिल हैं ।	6,34,200 रुपये
(2) पुर्जों के दाम	10,000 रुपये

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether any foreign firm other than M|s. Hitachi of Japan has been consulted for the installation of such a big plant?

Shri Iqbal Singh: Sindri Fertilizer plant was not producing fertilizer its full capacity of 117,000 tons of Nitrogenons fertilizer due to non-availability of a particular kind of coal used for obtaining the gas. To help the fertilizer plant to increase its production by 10,000 tons. this gassification plant has been installed. Tenders were invited for it and the tenders which we have received, the Japanese tender was the lowest and are accepted that.

Shri Vishwa Nath Pandey: When this plant will be installed?

Shri Iqbal Singh: It will be completed by the end of 1968.

श्री प्र० चं० बरुआ: भारतीय उर्वरक निगम के योजना तथा विकास विभाग ने हाल ही में यह दावा किया है कि भारत में उर्वरक संयंत्र लगाने की क्षमता और बुद्धि विद्यमान है । किसी विदेशी फर्म से सहयोग मांगने से पहले क्या उक्त विभागों से यह कहा गया था कि वह इस परियोजना को अपने हाथ में ले ले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : इसका सम्बन्ध नेफ्था को भाप द्वारा परिष्करण से है । यह प्रक्रिया एक नयी प्रक्रिया है जो हाल ही में ब्रिटेन की पावर गैस कारपोरेशन ने बताई है जब कि उक्त योजना के लिये बहुत पहले टेंडर मांग लिये गये थे । अब इस प्रक्रिया को दुर्गापुर तथा कोचीन में काम में लाया जा रहा है । इस कारण और समय बचाने के कारण इस योजना को टेंडर के अनुसार पूरा करवाया जा रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इस योजना में सहयोग देने के लिये किसी अन्य विदेशी फर्म को भी बुलाया गया है, यदि नहीं तो केवल हिताशी कम्पनी पर ही भरोसा क्यों कर लिया गया ?

श्री इकबाल सिंह : इंसके लिये टेंडर मांगे गये थे । टेन्डर निम्नलिखित सात कम्पनियों ने भेजे थे : जापान की हिताशी, पश्चिमी जर्मनी की औटो एण्ड कम्पनी, पश्चिमी जर्मनी की 'कापर्स' पश्चिमी जर्मनी की उहदे, बेल्जियम की यू० सी० बी०, बेल्जियम की एफ० आर० आई० और फ्रांस की ओनिया गेगी ।

Shri M. L. Dwivedi: In reply to Question No. 181 the Minister replied that the shortage of Amonia cannot be overcome during the fourth plan period. May I know whether the ammonia produced with the help of synthesis mixture supplied by Naptha reformation plant will not make good of the shortages of ammonia, if not what steps are being taken in this behalf?

श्री इकबाल सिंह : सिन्दरी के कारखाने में कोयले से बनी गस काम में लायी जाती है । यह कारखाना इसलिये लगाया गया है ताकि नैफ्था से बनी गैस से कोयले से बनी गैस को पूरा किया जा सके । अमोनिया की कमी का कोई सवाल ही नहीं उठता । इससे सिन्दरी कारखाने के अमोनिया उत्पादन में भी वृद्धि होगी । यह एक छोटा कारखाना है जिसमें केवल 50 टन उर्वरक का प्रति दिन उत्पादन होगा और इस प्रकार सिन्दरी कारखाने का नाईट्रोजन का उत्पादन 1,10,000 टन प्रति वर्ष बढ़ जायेगा ।

श्री इंद्रजीत गुप्त : विवरण से मालूम होता है कि 38 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की राशि कुछ कामों के लिए नियत की गयी है जिनमें उपकरणों की सप्लाई भी सम्मिलित है जब कि भारत में बने उपकरणों की सप्लाई के लिये केवल 6 लाख रुपये की राशि नियत की गयी है । उपरोक्त विदेशी मुद्रा की राशि में से कितनी राशि विदेशी उपकरण मंगाने पर खर्च होगी और क्या सरकार ने इसमें देशी उपकरणों के उपयोग की सम्भावना बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है ?

श्री अलगेसन : जब भी कोई उर्वरक कारखाना लगाया जाता है तो सरकार हमेशा यह प्रयास करती है कि आयातित उपकरण कम मंगाये जायें और देशी उपकरणों का अधिक उपयोग किया जाये । जहां तक सम्भव होता है हम देशी उपकरणों को ही प्रयोग में लाते हैं । जो भी कारखाने हम लगा रहे हैं उन सभी उर्वरक कारखानों में 50 प्रतिशत देशी उपकरण काम में लाये हैं ।

भारत बैरल एण्ड ड्रम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

*185. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 312 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बैरल एण्ड ड्रम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड का नाम किस तारीख को काली सूची में दर्ज किया गया था :

(ख) भारतीय तेल निगम को यह सूचना देने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस फर्म के विरुद्ध आगे और क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) 25 जनवरी, 1964।

(ख) काली सूची आदेशों को लागू करने के लिए मंत्रालय और उसके अधीन उद्यमों के बीच परस्पर सामान्य प्रबन्धों को केवल फरवरी 1966 में अन्तिम रूप दिया गया। इसके बाद अप्रैल 1966 में इस मत्रालय के पास एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसी महीने में इस मामले को काली सूची में दर्ज करने के लक्ष्य को भारतीय तेल निगम को विशेष रूप से बताया गया।

(ग) क्योंकि सम्बन्धित मामले न्यायालय में हैं, सरकार आगे कोई कार्यवाही सोचने से पहले न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा करेगी।

Shri Madhu Limaye: In the light of the discussion that took place here on the Public Accounts Commmittee Report may I know whether the Government have effected any changes in the rules relating to the black-listing of firms, with a view to shield the Ministry; if so, the nature thereof?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन): सभा में जो कुछ होता है उसके प्रति हम बहुत सचेत हैं और हमने उस चर्चा को निश्चय ही ध्यान में रखा है जो कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर हुई थी। मंत्रालय, विशेष रूप से इस विशिष्टि फर्म को काली सूची में दर्ज किये जाने के तथ्य से इन्डियन आयल कम्पनी की जानकारी में लाया था और उसके तुरन्त बाद इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा इस फर्म को कोई क्यादेश नहीं दिये गये हैं।

Shri Madhu Limaye: Sir, what I asked and What is the answer. I wanted to know that whether in the light of the discussion that took place here on the 55th Report of the Public Accounts Committee Government have made any modification in the black-listing code and what is the object of this new modification; because by this amendment Ministers will get more safeguards. I want this clarification.

श्री अलगेसन : मानकीकृत संहिता की मैं ने अलग से जांच की है। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल भी इस प्रश्न की जांच कर रहा है। यह बात हमारी जानकारी में आयी है कि मानकीकृत संहिता में अनेक त्रुटियां हैं जिनको दूर करना है। अत: सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और संहिता के पुनर्वालोकन तथा सुधार का प्रश्न सक्रिय रूप से सरकार के विचारधीन है।

Shri Madhu Limaye: May I know whether the High Court in their judgement has written something regarding M|s. Amin Chand Pyare Lal, if so, whether the Ministry have started the investigation....

Mr. Speaker: Information can be obtained regarding the contents of the judgement. You ought to have first studied that and then asked something.

Shri Madhu Limaye: He has read it and so I am asking this. My information is that it has been stated . . .

Mr. Speaker: Then say that it has been stated.

Shri Madhu Limaye: May I know whether, on the basis of what has been stated in this judgement regarding M|s. Amin Chand Pyare Lal, any investigation has been started *de novo* against this firm, if so, the reasons therefor?

श्री अलगेसन : माननीय सदस्य किस फैसले का ज़िक्र कर रहे हैं ?

Shri Madhu Limaye: It is mentioned there. They do not come prepared. Please see part (c). There it is stated:

> "Further action taken by Government against the firm, in the judgement of the High Court?"

I am asking about this very judgement.

श्री अलगेसन : इस फर्म को, जिस पर कि काली सूची में दर्ज किये जाने का आदेश मूल रूप से आधारित था, बम्बई के एक विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया था। फर्म ने विशेष न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने फर्म को दोषी नहीं ठहराया। उस पर बम्बई की राज्य सरकार ने मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। यह स्थिति है।

Shri Madhu Limaye: This reply is entirely irrelevant.

अध्यक्ष महोदय : क्या उच्च न्यायालय ने फैसले में अमीन चन्द प्यारे लाल के सम्बन्ध में कुछ कहा गया था।

श्री अलगेसन : मैं नहीं जानता। मेरे पास फैसले का ब्योरा नहीं है।

Shri Madhu Limaye: The question relates to the judgement and he has not read the judgement. Our supplementaries should have some meaning. We are not getting any reply.

श्री अलगेसन : यदि कोई स्पष्ट प्रश्न पूछा जाता है तो मैं प्रतियां प्राप्त कर सकता हूं। मैं यह किस प्रकार बता सकता हूं कि फैसले में किसी चीज़ का उल्लेख है या नहीं? यह ब्योरों का मामला है।

Shri Madhu Limaye: If this has to continue I walk out in protest. They waste our time as also the time of the House.

तत्पश्चात श्री मधु लिमये सदन से उठ कर चले गये।

SHRI MADHU LIMAYE THEN LEFT THE HOUSE.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: We give a notice of fifteen days in regard to Questions. Despite this ample time at their disposal they do not come prepared. They simply read out here what is given to them.

Mr. Speaker: I was myself abodt to say, in this regard but now for whom should I say?

श्री दाजी : हम भी इस बारे में जानना चाहते हैं। यदि एक सदस्य उठ कर चला जाता है तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये .....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के भाग (ग) में विशिष्ट रूप से यह पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है। उच्च न्यायालय के उस फैसले का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और इसलिये, मंत्री को उसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिये थी।

श्री अलगेसन : भाग (ग) के उत्तर में हम ने कहा है :—

"क्योंकि सम्बन्धित मामले न्यायालय में हैं, सरकार आगे कोई कार्यवाही सोचने से पहले न्यायालय के निर्णयों की प्रतीक्षा करेगी ।"

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा है कि यह मामला सर्वोच्य न्यायालय के सामने है ; कि अपील दायर की हुई है, परन्तु क्योंकि इसका उल्लेख किया गया था, इसलिये उनको उस फसले को भी पढ़ना चाहिये था ।

Shri Kishen Pattnayak: May I know whether it is a fact that regarding this matter a complaint was also received that the company of M/s. Amin Chand Pyare Lal indulged in wrong invoicing and this was referred to in the High Court and there was a judgement also in regard to this?

Mr. Speaker: He says that the matter is sub judice. We have to see what the Supreme Court holds.

Shri Kishen Pattnayak: The High Court has given the judgement.

Mr. Speaker: It is not on the judgement of High Court.

Shri Kishen Pattnayak: He should at least state whether a complaint regarding wrong invoicing had been received against M/s. Amin Chand Pyare Lal?

श्री अलगेसन : यह अमीन चन्द प्यारे लाल नहीं है यह भारत बैरल एंड डूम कम्पनी है ।

श्री दाजी : उन्होंने फैसले को पढ़ा तक नहीं है । हमने फैसले को पढ़ा है ।

Shri Kishen Pattnayak: Just listen to my question. When a matter is placed before the High Court then so many problems come to light.

Mr. Speaker: Is it written in the judgement that Amin Chand Pyare Lal did under-invoicing?

Shri Kishen Pattnayak: Was this point raised in the High Court or not?

Mr. Speaker: May I know whether the matter was raised or not, what arguments were put forward, how can all these details be given?

Only this much may be replied as to whether Government received a complaint regarding under-invoicing against M/s. Amin Chand Pyare Lal.

श्री इकबाल सिंह : हमें इसका पता नहीं है । यह भारत बैरल कम्पनी है । 1964 में इस कम्पनी के एक भागीदार को दोषी ठहराया गया था । तब उसने अपील की और उच्च न्यायालय ने उस फैसले को रदद् कर दिया, परन्तु उस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है । इस बीच उसने पंजाब उच्च न्यायालय से कार्यवाही रोकने के कुछ आदेश ले लिये हैं । यह जटिल मामला है और इसके अतिरिक्त यह अमीन चन्द प्यारे लाल नहीं है । हमने इन्डियन आयल कम्पनी को कहां है कि वह कोई क्रमादेश न दे ।

श्रीमती सावित्री निगम : सामान्यत : ऐसा होता है कि जिन कम्पनियों को काली सूची में दर्ज किया जाता है वे सरकारी विभागों में अपने भागीदारों द्वारा चोरी छिपे काम करती हैं और वे और नाम की कम्पनियां खोल लेती हैं । इन कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है,

न केवल कम्पनियों को ही अपितु उनके मालिकों को भी काली सूची में दर्ज करने के लिये कार्यवाही की जाती है जिससे वे सरकारी विभागों में अन्य नामों से प्रवेश न कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यह केवल एक सुझाव है । पहला भाग केवल जानकारी के लिये था ।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगेसन : फर्म ने लिखा था कि क्योंकि बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा उसको दोषमुक्त कर दिया गया है इसलिये काली सूचा में दर्ज करने सम्बन्धी आदेश को रद्द किया जाना चाहिये । इस पर हम राज़ी नहीं हुए । फिर, यह अमीन चन्द प्यारे लाल नहीं है । यह दूसरी पार्टी है, भारत बैरल एंड ड्रम कम्पनी । पार्टी ने तब पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिका दी और उस न्यायालय ने काली सूची में नाम दर्ज करने सम्बन्धी आदेश को विलम्बित कर दिया है । सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है ।

विधि मंत्रालय के परामर्श से लोहा तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा लिखित याचिका के विरुद्ध पंजाब उच्च न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है । मामला न्यायालय के सामने है ।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

श्री त्यागी : उनका प्रश्न था कि क्या फर्म को काली सूची में दर्ज किया गया है अथवा इस फर्म के मालिकों के नामों को भी काली सूची में दर्ज किया गया है । इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न में यह चीज़ नहीं थी ।

श्रीमती सावित्री निगम : आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है जो कि श्री त्यागी ने सावित्रि निगम की ओर से पूछा है ।

श्री दाजी : उनका अर्थ यही था ; वह इसको व्यक्त नहीं कर सकीं :

श्री अलगेसन : फर्म को काली सूची में दर्ज किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: : यदि मैं ने ठीक ठीक सुना है तो माननीय मंत्री ने कहा कि फर्म को मूल रूप से काली सूची में फरवरी, 1964 को दर्ज किया गया था, परन्तु उसकी औपचारिक जानकारी इन्डियन आयल कम्पनी को अप्रैल 1966 तक नहीं दी गई थी । क्या दो वर्ष से थोड़े अधिक समय में इस पार्टी, अर्थात भारत बैरल एंड ड्रम कम्पनी को इन्डियन आलय कम्पनी ने बैरल और ड्रम सप्लाई करने में कुछ अधिक मूल्य के ठेके दिये थे और यदि हां, तो वे ठेके कितने मूल्य के हैं ?

श्री अलगेशन : मूल रूप से इस फर्म को सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया था । उस समय ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं था कि जब सरकार स्वत: किसी फर्म को काली सूची में दर्ज करे तो सरकारी उपक्रम भी इसको काली सूची में दर्ज करें। (व्यवधान) कृप्या सुनिये । उसके बाद, इस मामले पर संभरण विभाग द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि जब तक फर्म सरकार काली सूची में दर्ज की जाये तो सरकारी उपक्रमों द्वारा भी उसको काली सूची में दर्ज किया जाना चाहिये ।

श्री रंगा : इसका अर्थ तो यह हुआ कि वे सरकार के पिछले निर्णय से सहमत थे ।

श्री अलगेसन : कृपया सुनिये । यही तो मैं कह रहा हूं। फिर, विभिन्न मंत्रालयों को यह लिखा गया था कि वे उपक्रमों के साथ कोई समझौता करें । इसमें कुछ समय लग गया और तब अन्तिम रूप

यह निर्णय किया गया कि सभी सरकारी उपक्रमों को इसका पालन करना चाहिये, अप्रैल 1966 में हमने आदेश भेजा और उसके बाद कोई क्रयादेश नहीं दिया गया था। बीच की अवधि में मैं समझता हूं कि कई क्रयादेश दिये गये थे और फर्म द्वारा उनका निष्पादन किया गया था। जहां तक क्रयादेशों के मूल्य के प्रश्न का सम्बन्ध है - सके लिये मुझे सूचना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : अच्छा होता यदि लोहा और इस्पात मंत्री भी उपस्थित होते क्योंकि प्रश्न मुख्य रूप से इस्पात मंत्रालय से सम्बन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न इस्पात तथा लोहा मंत्री ने स्वयं अपने हस्ताक्षर से पैट्रोलियम और रसायन-मंत्री को भेजा है। अतः मेरा कार्यालय क्या कर सकता था ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि यह भारत बैरल एंड ड्रम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड प्रसिद्ध जालान परिवार की एक कम्पनी है और क्या यह भी सच है कि काली सूची में दर्ज किये जाने के बाद भी उनको इस्पात का नियमित कोटा मिलता रहा क्योंकि मंत्रालय में उनकी जान पहचान है ? य ह कहां तक सच है कि काली सूची में दर्ज किये जाने के बावजूद भी उसको कोटा दिया जाता रहा . .

अध्यक्ष महोदय : एक सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है; इस प्रकार के तर्क नहीं दिए जाने चाहियें। यह प्रश्न कि क्या उनको कोटा मिला एक बिल्कुल मान्य प्रश्न है . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : तकनीकी विकास विभाग के अधिकारी की सलाह के बावजूद पिछले महीने तक कोटा नहीं दिया जाता रहा था।

श्री अलगेसन : लोहे और इस्पात के कोटे का प्रश्न लोहा और इस्पात मंत्रालय से सम्बन्धित है। अतः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सितम्बर के महीने में जब यह प्रश्न पूछा गया था तो वित्त मंत्री ने उत्तर दिया था और कहा था कि उनको सूचना चाहिये; उन्होंने कहा था कि यदि उनको ब्यौरा दे दिया जायेगा तो वे इस मामले की जांच करेंगे। अब पेट्रोलियम और रसायन मंत्री भी सूचना के लिये कहते हैं। यह प्रश्न इस सभा में बार बार पूछा गया है, क्योंकि जालान परिवार इससे सम्बन्धित हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में अनावश्यक अनुमान नहीं लगाये जाने चाहियें। मैंने कहा कि प्रश्न-कर्ता ने स्वयं इसको पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को सम्बोधित किया था।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका सम्बन्ध भारत बैरल एंड ड्रम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड से है।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहे जो कुछ भी हो, हम इस समय जिस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं वह पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से पूछा गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : यह अनुपूरक प्रश्न में उत्पन्न होता है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि एक अलग प्रश्न की सूचना दे दी जाये। अतः इसमें क्या बुराई है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : फरवरी, 1964 का आदेश काली सूची में नाम दर्ज करने सम्बन्धी संहिता के किस खण्ड के अन्तर्गत दिया गया था ? क्योंकि कम से कम लोक लेखा समिति

को यह बताया गया था कि उस समय भी काली सूची में नाम दर्ज करने सम्बन्धी संहिता में एक खण्ड था जिसके द्वारा सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सरकारी उपक्रमों को स्वत: ही फर्म को काली सूची में दर्ज करना पड़ता था।

श्री अलगेसन : मुझे ऐसे किसी खण्ड का पता नहीं है। परन्तु मैं विश्वस्त रूप से समझता हूं कि उस समय आदेश के लिये स्वत: ही सरकारी उपक्रमों पर लागू होना संभव नहीं था।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister stated that this firm has been black-listed. May I know the number of charges against this firm as also the nature thereof and whether the hon. Minister will place the judgement of the High Court on the Table of the House after he has studied it?

Mr. Speaker: That case is under consideration in the Supreme Court. When Supreme Court will give its judgement over it, then it will be studied.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The first part of my question may please be answered.

Shri Iqbal Singh: This firm was prosecuted under Section 120 I.P.C. and Sections 7 and 20 of the Essential Commodities Act. Under those Sections a man of that firm was fined and therefore it was black-listed.

श्री रंगा : नवीनतम स्थिति क्या है ? माननीय मंत्री ने कहा कि 1964 में यह स्थिति थी कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम को इस बात के लिये मनाना पड़ता था कि वह भी सरकार के साथ साथ उस फर्म को काली सूची में दर्ज करे। क्या अब यह स्थिति है कि यदि सरकार एक बार यह निर्णय कर लेती है कि किसी विशिष्ट फर्म को काली सूची में दर्ज किया जाना चाहिये, तो सभी सरकारी उपक्रमों से ऐसा करने की आशा की जाती है ? क्या सरकार की वर्तमान नीति यह हैं कि एक बार जब फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया जाता है और फिर फर्म न्यायालय में मामले को ले जाती है तो कभी कभी अन्तिम निर्णय होने तक उस फर्म का नाम काली सूची में दर्ज रहेगा और सरकार जल्द-बाज़ी में उस फर्म के नाम को काली सूची से केवल इसलिये नहीं हटायेगी क्योंकि किसी न्यायालय ने यह कह दिया है कि उस फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं होना चाहिये ?

श्री अलगेसन : वर्तमान स्थिति यह है कि जब एक बार सरकार किसी फर्म को काली सूची में दर्ज कर देती है, तो सभी सरकारी उपक्रमों को उस फर्म को काली सूची में दर्ज समझना चाहिये। वास्तव में केवल इतना ही नहीं है। इसी प्रकार एक सरकारी उपक्रम भी किसी फर्म को काली सूची में दर्ज कर सकता है; तब वह सरकारी उपक्रम काली सूची में दर्ज करने के आदेश को या काली सूची में दर्ज करने के दृष्टिकोण को सम्बन्धित मंत्रालय को भेजता है तब वह मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ इसकी जांच करता है और यदि वे संतुष्ट हो जायें कि विशिष्ट उपक्रम द्वारा काली सूची में दर्ज किया जाना सही है, तो सरकार स्वयं फर्म को काली सूची में दर्ज कर देती है। अत: यह व्यवस्था पारस्परिक है।

श्री अलगेसन : सरकार काली सूची में दर्ज करती है, फिर उपक्रम काली सूची में दर्ज करते हैं; उपक्रम काली सूची में दर्ज करते हैं, फिर सरकार काली सूची में दर्ज करती है। यह स्थिति है।

जैसा कि बताया गया, ज्यों ही फर्म को दोषमुक्त करने का इस उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ, फर्म ने काली सूची में दर्ज किये जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की हमने इसको रद्द नहीं किया। अतः उस फर्म ने पंजाब उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दी है और आदेश को निलम्बित करा लिया है। परन्तु लोहा और इस्पात मंत्रालय ने मामले में आगे कदम उठाया है। यह उच्च न्यायालय के सामने मामले की बहस करने जा रहा है निर्णय कुछ भी हो, मामला न्यायालय के विचाराधीन ह ।

इस फर्म को काली सूची में दर्ज किया गया है। हमने इस फर्म को कोई और क्रयादेश नहीं दिये हैं।

प्रश्न संख्या 191 के बारे में

Re. Question No. 191

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 185।

श्री दाजी : इसके साथ साथ प्रश्न संख्या 191 का भी उत्तर दे दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसका भी उत्तर दे दिया जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : प्रश्न 191 पृथक है जिसका सम्बन्ध विभिन्न राज्यों के अध्यापकों के वेतनक्रमों से है जबकि प्रश्न 186 दिल्ली के अध्यापकों के वेतनक्रमों से सम्बन्धित है। फिर भी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं दोनों का उत्तर दिये देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के लिये सुविधाजनिक हो तो वह ऐसा कर सकते हैं।

अध्यापकों के वेतन-क्रम

\+

*186. **श्री यशपाल सिंह :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या शिक्षा मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के अध्यापकों के वेतन क्रमों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली उन अध्यापकों के मामलों की पहले से ही जांच कर रही है, जो शिक्षा मंत्रालय के 7-7-1965 के पत्र के क्षेत्र के भीतर आते हैं।

(ख) (क) के अन्तर्गत बताए गए आदेशों के आधार पर शिक्षा निदेशालय द्वारा वेतन-मान नियत किए जायेंगे। दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई भी सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यापकों के वेतन-क्रम

*191. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि विभिन्न राज्यों के माध्यमिक तथा प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक अधिक अच्छे वेतन के लिये लगातार आन्दोलन कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अध्यापकों को अच्छे वेतन देने तथा महंगाई भत्ते को निर्वाह व्यय के साथ जोड़ने तथा भविष्य-निधि की सुविधायें देने की मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) आम तौर पर अध्यापकों की मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया सहानुभूति व समर्थन की रही है। सरकार बराबर यह कोशिश करती रही है कि सभी स्तरों पर अध्यापकों को कम से कम इतना न्यूनतम वेतन तथा अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिएं जिसक वे अपनी योग्यताओं तथा अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्वों के कारण पात्र हैं।

Shri Yashpal Singh: Has the attention of the hon. Minister been drawn to the fact that the pay scales of the teachers, especially that of the primary teachers in Delhi are too meagre to enable them to make both ends meet and the money spent on a teacher is 25 per cent of what is being spent on the maintenance of a horse in Rashtrapati Bhawan, that is, the pay of a nation-builder is even less than the expenditure made on an animal, if so, the steps being taken with a view to ameliorating the lost of the teachers?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न पर मैंने काफी विचार किया है और अन्य राज्यों में प्रचलित वेतनक्रमों के साथ दिल्ली के अध्यापकों के वेतनक्रमों का मुकाबिला किया है। मैं समझता हूं कि समूचे तौर पर दिल्ली के अध्यापकों के वेतनक्रम अन्य राज्यों के अध्यापकों के वेतनक्रमों से अच्छे हैं। फिर भी मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूं कि अध्यापकों के वेतन पर्याप्त नहीं हैं।

Shri Yashpal Singh: Has the hon. Minister ever given thought to the fact that the emoluments of a primary school teacher are less than the emoluments of a peon in Central Government?

श्री मु० क० चागला : मैं समझता हूं कि यह दुख का विषय है कि हम एक चपड़ासी को अध्यापक की अपेक्षा अपने समाज के लिये अधिक उपयोगी समझते हैं; मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है जैसा कि समाचारपत्रों में आया है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को निदेश दिया है चतुर्थ योजना के दौरान शिक्षा प्रयोजनों के लिए उस राज्य को केन्द्रीय सरकार से जो राशि आवंटित की जाये उसमें से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिये कोई राशि न रखी जाये ? यदि हां, तो जैसा कि प्रारूप योजना में कहा गया है कि शिक्षा का बड़ा प्रसार किया जाना है और बहुत से नये अध्यापकों की आवश्यकता होगी, तो निम्नतम मानकित वेतन के लिये बिना सरकार किस प्रकार यह आशा करती है कि उचित अर्हता प्राप्त व्यक्ति आ जायेंगे ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है राज्य योजना को निपटाने का प्रश्न अभी भी राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच विचाराधीन है । मुझे पता नहीं है कि क्या उनको शिक्षा के लिये एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा या उनको जो अनुदान दिया जायेगा उसमें शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिये राशियां निश्चित होगी । परन्तु मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि शिक्षा के हित में, राज्य सरकारों को चाहिये कि उनको योजना में शिक्षा का अन्य प्रयोजनों के लिये जो राशि मिले उसका वे एक पर्याप्त भाग अध्यापकों के वेतन और उनके वेतनक्रमों में सुधार करने के लिये रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । प्रारूप योजना में कुछ लक्ष्य रखे गये हैं कि इस अवधि के दौरान माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के लिये इतने अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी और यदि माननीय मंत्री, जैसा कि उन्होंने अभी कहा, उनको निम्नतम वेतनक्रमों का आश्वासन नहीं दे सकते हैं, तो वे योजना में लक्षित अध्यापकों की संख्या को किस प्रकार प्राप्त करने की आशा करते हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं उन्हें इसका आश्वासन नहीं दे सकता । जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं, यह राज्य का विषय है, परन्तु यदि योजना आयोग कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य के लिये एक राशि आवंटित करता है, तो राज्यों के लिये उस पद पर उस पैसे को खर्च करना बाध्यकारी है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has it come to the notice of the Government that the teachers of the private schools which are given 90 per cent aid from the Government, are not paid their emolument in time not withstanding the fact that their salaries are meagre and whether the Government have received a complaint to this effect that the money given to the private organization which is being run by the Members of Parliament, is manipulated by them?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक है जो कि एक वर्ष से लम्बित पड़ा है । संयुक्त प्रवर समिति ने इस पर विचार कर लिया है । यदि दूसरी ओर के मेरे माननीय मित्र इस विधेयक को पास कराने में मुझे थोड़ा समय दे सकें तो अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी हम सभी सुधार ले आयेंगे, परन्तु दुर्भाग्य से इस विधेयक के लिये कोई समय नहीं मिल रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Sir, my question was different. I wanted to know in the Government aided institutions the teachers are not only paid very meagre salaries but they are also paid very late and what action has been taken by Government against the M.P.'s who embazzle the funds before they reach the organisation run by them. Those hon. Members are present here.

श्री मु० क० चागला : जब भी हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया जाता है कि अध्यापक को वेतन समय पर नहीं मिलता या यह कि प्रबन्धकों द्वारा उसका वेतन खाया जाता है, तो हम कड़ी कार्यवाही करते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि अध्यापकों में असंतोष भी विद्यार्थियों में असंतोष का एक कारण है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां । कल ही दूसरे सदन में विद्यार्थी आन्दोलन पर चर्चा के समय एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इसको अध्यापकों का आन्दोलन कहना चाहिये न कि विद्यार्थियों का आन्दोलन ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को पता है कि इस सभा में तथा बाहर भी उनके द्वारा बारबार यह आश्वासन दिये जाने के बाद भी, कि विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापकों तथा माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के संबंध में राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कहा गया है, सभी राज्य सरकारों ने केवल इस आधार पर ऐसा करने से निश्चय ही इन्कार कर दिया है, कि केन्द्र अध्यापकों की स्थिति और उनके वेतन में सुधार करने के लिये उनको वित्तीय सहायता नहीं दे सकता है । क्या केन्द्र की सलाह के स्वीकार न किये जाने के कारण इस प्रकार के अखिल भारतीय आन्दोलन का, चाहे वह भूख हड़ताल या परीक्षाओं के बहिष्कार के रूप में हो, अध्यापकों द्वारा अब और समर्थ नहीं किया जायेगा ? अध्यापकों की हालत में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने के लिये केन्द्र द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र किसी आन्दोलन को नहीं भड़कायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : इसका कोई प्रश्न नहीं है । मेरा अर्थ यह था कि असंतोष बढ़ता जा रहा है ।

श्री मु० क० चागला : मैं दूसरे भाग का उत्तर दूंगा । यह कहना सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई पेशकश को किसी भी राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया है । उस सभा में घोषणा करने के बाद उसी दिन मैंने प्रत्येक मुख्य मंत्री को अपनी पेशकश के बारे में लिखा और उसे स्वीकार करने के लिये उनसे कहा । अभी तक पश्चिम बंगाल ने इसको स्वीकार किया है । केरल और बिहार के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है क्योंकि उनकी स्वीकृति बिना शर्त नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : उनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भी कम वेतन मिलता है ।

श्री मु० क० चागला : क्या माननीय मुझे समाप्त करने देंगे ? हमने राज्य सरकारों को कहा है कि हम 80 प्रतिशत देने के लिये तैयार हैं और आपको केवल 20 प्रतिशत देना होगा; वे पेशकश को स्वीकार कर लें और दिल्ली आ कर कार्यक्रम तैयार कर लें । इससे अधिक सरकार क्या कर सकती है ? यदि राज्य सरकार भारत सरकार की पेशकश को स्वीकार नहीं करती तो हम क्या कर सकते हैं ?

श्री दाजी : यदि अध्यापकों को सफाई करने वालों और चपड़ासियों के जितना वेतन दिया जायेगा तो हमारे पास आन्दोलन भड़काने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा; आन्दोलन भड़-

काने में हमें गर्व होगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। द्वित्तीय तथा तृतीय योजनाओं के दौरान अध्यापकों की हालत में सुधार करने के सभी प्रयत्न राज्य सरकार के रवैये के कारण निष्फल हुए हैं। वे या तो अल्पकालिक अध्यापक रखते हैं या अध्यापक बिल्कुल नहीं रखते; उनको छुट्टियों के बाद रखा जाता है और कम वेतन दिये जाते हैं। केन्द्र यह देखने के लिये निरन्तर प्रयत्न करता है कि राज्यों में थोड़ी सी प्रगति हुई है और राज्य सरकारें चित्रात्मक प्रगति का दिखावा करती हैं। इस प्रकार के पिछले रिकार्ड को देखते हुए क्या सभी राज्यों में समान वेतन क्रम लागू करने के लिये कुछ किया जा रहा है ताकि ऐसी शिकायतें न रहें ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय तथा कालिज के अध्यापकों के वेतनक्रम निर्धारित किये जाने का उद्देश्य सारे भारत के कालिजों और विश्व-विद्यालयों में समान वेतनक्रम लागू करना था। दूसरा कदम यह था कि सरकार ने कहा था : 80 प्रतिशत व्यय का हम भुगतान करेंगे; 20 प्रतिशत का आप कीजिये। मेरे माननीय मित्र भारत सरकार की आलोचना क्यों कर रहे हैं ? इस से अधिक हम क्या कर सकते थे ? राज्य सरकारों की आलोचना की जानी चाहिये जो कि इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर रही हैं। राज्यों के बारे में माननीय मित्र के क्रोध में मैं शरीक होता हूं।

श्री दाजी : जो राज्य इसको स्वीकार नहीं करते आप उनको कोई भी अनुदान देने से इन्कार कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि हाल ही में यूनेस्को ने एक चार्टर पास किया है जिसमें कुछ उपायों पर जोर दिया गया है जो कि सदस्य देशों को विश्व भर में अध्यापकों की दशा में सुधार करने के लिये करने चाहियें। चूंकि भारत यूनेस्को का सदस्य है। तो क्या चार्टर की बातों का पालन करना हमारे लिये अनिवार्य नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, युनेस्को ने एक चार्टर पास किया है। हमें अब तक इसकी प्रति प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु यूनेस्को द्वारा चार्टर के पास किये जाने से पूर्व ही मैं अध्यापकों की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रति पूरी तरह जागरूक था। यदि मेरे माननीय मित्र मुझे आवश्यक संधान दे दें तो मैं उस चार्टर के बिना ही सब कुछ कर दूंगा।

डा० रानेन सेन : अध्यापकों के वेतन का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में इस सभा के सामने अनेक सदस्यों द्वारा लाया गया था और सरकार का उत्तर यही रहा है : पैसा नहीं है। जब कि सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से टेलीवीजन पर 150 करोड़ रु० खर्च करने को तैयार है, क्या कारण है कि सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांग को पूरा करने लिये चन्द करोड़ रुपये देने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री मु० क० चागला : भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की कुल संख्या 19 लाख है। यदि सरकार प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में 15 रु० की वृद्धि करे और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में 30 रु० की वृद्धि करे तो भी इस पर प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये चाहियें। इस बड़ी राशि पर हम को विचार करना है।

डा० रानेन सेन : फिर भी 50 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये से कम है जिसे कि वे टेलीवीजन पर व्यय कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : उनके पास 'विजन' नहीं है, केवल टेलीवीजन है।

अल्प सूचना प्रश्न संख्या के बारे में

Re : **S. N. Q. 1**

अध्यक्ष महोदय : अल्पसूचना प्रश्न। यह श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री के लिये है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इससे पहले कि आप मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने के लिये बुलायें, मैं बताना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (क) में एक गम्भीर छपाई की गलती है। वाक्य के अन्त में यह है, "पूजा की छुट्टियों के दौरान पूजा संरक्षण के अन्तर्गत"। यह "पूजा संरक्षण" नहीं है अपितु "पुलिस संरक्षण" है।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इसको नहीं समझ सका।

अल्प सूचना प्रश्न

Short Notice Question

कालटैक्स आयल कम्पनी, कलकता

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1. श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री इम्बीचीबावा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : डा० सारादीश राय :
श्री दाजी : श्री लक्ष्मी दास :
श्री उमानाथ : श्री म० ना० स्वामी :
श्री नम्बियार : श्री बड़े :
श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में कालटैक्स के प्रबन्धकों ने पूजा की छुट्टियों के दौरान पूजा की आड़ में अर्धरात्रि के समय कार्यालय के सारे कागजात और उपकरण चोरी-छुपे ग़ायब कर दिये हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ 27 अक्तूबर, 1966 को बैठक करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों से कहा गया था और, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या सरकार स्वचालन के कुप्रभाव महसूस करती है और उसका विचार उस पर प्रतिबन्ध लगाने का है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। यह निश्चय किया गया है कि प्रत्येक कम्पनी के प्रबन्ध को वहां के मजदूर-संघ के साथ इस विषय पर बातचीत करनी होगी कि मजदूरों की इस सम्बन्ध में क्या शिकायतें हैं और यह प्रयास करना होगा कि द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से मित्रतापूर्ण समझौता किया जाय।

(घ) स्वचालित मशीनों के बारे में सरकार की नीति वैज्ञानिकीकरण के बारे में हुई 15वीं भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिशों पर आधारित है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : 27 अक्टूबर को मंत्रालय और इस विदेशी कम्पनी के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया था कि कम्पनी अपने कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श करके मामले को तय कर लें। मंत्रालय को तीन-चार रोज पहले ही इस सम्बन्ध में तार द्वारा बता दिया गया था। इसके बाद एक दिन उक्त कम्पनी ने अर्धरात्रि के समय कलकत्ता स्थित कार्यालय से सभी कागज़ात और उपकरण चोरी-छुपे गायब कर दिये। यह सब जानते हुए सरकार ने उसे कर्मचारियों से बातचीत करने की सलाह क्यों दी और इस सम्बन्ध में कोई सीधी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री शाहनवाज़ खां : कार्यालय से कागजात और अन्य उपकरणों के हटाये जाने का मामला पश्चिमी बंगाल सरकार के उप-श्रम आयुक्त के सामने है। उसने मजदूर-संघ के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिये बुलाया है और उनसे पूछा है कि क्या वे इस मामले पर न्याय-निर्णय चाहते हैं। यदि उनमें पारस्परिक समझौता नहीं होता और उनका मजदूर-संघ यह चाहता है कि उक्त मामले पर न्याय-निर्णय हो, तो यह मामला न्याय-निर्णय को सौंप दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार यह समझती है कि कालटैक्स प्रबन्ध ने यह कार्य कलकत्ते में जान-बूझ कर किया है और इस प्रकार उसने रोजगार सम्बन्धी सुरक्षा के आश्वासन का गम्भीर उल्लंघन किया है ? क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जिस समय कलकत्ते के उप-श्रम आयुक्त आपसी समझौते के लिये प्रबन्ध और कर्मचारियों की बैठक बुलाने वाले थे उसी समय प्रबन्ध ने तीन-चार दिन का और समय मांगा और इन छुट्टियों के दौरान ही एक दिन अर्द्धरात्रि के समय कार्यालय से सभी सामान गायब कर दिया ? क्या मामले को इसी ढंग से निपटाया जाता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हम ने प्रबन्ध से इसका कारण पूछा है। उन्होंने इसके उत्तर में एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने मजदूर संघ को यह लिखा था कि सभी कागज़ात और फर्नीचर आदि कम्पनी की सम्पत्ति है और उसे कार्यालय से उठाने का उन्हें पूरा हक है और बम्बई स्थित मुख्य कार्यालय के आदेश के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। कुछ भी हो, इस मामले में सुलह का प्रयास किया जा रहा है और उक्त मामले का निपटारा औद्योगिक वाद-विवाद अधिनियम के अनुसार ही किया जायेगा।

श्री उमानाथ : 27 अक्टूबर को जो बैठक हुई उसमें केवल नियोजकों के प्रतिनिधि ही बुलाये गये थे और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। क्या सरकार को कलकत्ता के पेट्रोलियम मजदूर संघ की ओर से इस आशय का अभ्यावेदन मिला है कि त्रिपक्षीय सम्मेलन के निर्णयों और सम्बन्धित सरकारी प्रस्ताव को नियोजकों द्वारा लागू न किये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये पुनः एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया जाय जिसमें तीनों के प्रतिनिधि भाग लें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक कलकत्ते वाले वाद-विवाद का सम्बन्ध है, उस पर तो पश्चिमी बंगाल का श्रम विभाग विचार कर रहा है। परन्तु सामान्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने अपने सचिव से कहा है कि वह तेल कम्पनियों के मालिकों का एक सम्मेलन बुलायें और उनको बतायें कि उनकी कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की क्या शिकायतें हैं। सरकार यह आशा करती है कि वे इन मामलों के सम्बन्ध में सरकारी प्रस्ताव के अनुसार कार्य करेंगे। विचार-विमर्श के दौरान उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रत्येक कम्पनी व्यक्तिगत रूप से अपने कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्मिक-संघ से बातचीत करेगी और

15 दिसम्बर तक सभी मामलों को तय कर लेगी । यदि द्विपक्षीय समझौते सफल हो जाते हैं तो त्रिपक्षीय सम्मेलन की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि यह प्रयास सफल नहीं होता तो सरकार निश्चय ही इस सम्बन्ध में उचित कदम उठायेगी ।

श्री नम्बियार : क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने स्वचालित मशीनों को लगाने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी थी या तेल कम्पनियां इन्हें जबरदस्ती लगाना चाहती हैं ताकि कर्मचारियों की छंटनी की जा सके ?

श्री जगजीवन राम : यदि स्वचालित मशीनों के परिणामस्वरूप कोई छंटनी होती है तो इस सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण किया जाना चाहिए । यदि प्रस्ताव का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध औद्योगिक वाद-विवाद अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नम्बियार : तब तक अनेक कर्मचारियों की छंटनी हो चुकेगी और बहुतों की तो हो भी चुकी है । इसका क्या उपचार है ?

श्री जगजीवन राम : राज्य सरकारें इस मामले को लेंगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : कार्मिक संघ को यह फर्नीचर और टाइपराइटर क्या मान्यतास्वरूप दिये गये थे ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य ने ध्यान से नहीं सुना । टाइपराइटर कम्पनी के थे कार्मिक संघ के नहीं ।

डा० रानेन सेन : कार्मिक संघ से बातचीत के लिये कम्पनी ने 15 दिसम्बर तक का समय मांगा है । परन्तु इस बीच कर्मचारियों की हाजिरी का क्या होगा क्योंकि कार्यालय में तो हाजिरी का रजिस्टर भी नहीं है । वास्तव में वे नौकरी से हटा दिये गये हैं । ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं जिनसे इस बीच उनकी नौकरी बनी रहे ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा प्रयास किया गया है जिससे स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहे ।

श्री नाथ पाई : क्या उक्त कम्पनी को पुलिस का संरक्षण प्राप्त था और वह संरक्षण किस प्रकार था ? इससे क्या अनुमान लगाया जाय ?

श्री जगजीवन राम : यदि कोई अपनी सम्पत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना चाहता है तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है ।

श्री नम्बियार : यह एक वाद-विवाद का मामला था जिसके सम्बन्ध में सुलह पर विचार किया जा रहा था ।

श्री हेम बरुआ : यह एक साधारण मामला नहीं है । पुलिस ने एक ऐसी फर्म की रक्षा की है जिसने जानबूझ कर कार्यालय का सामान रात को गायब किया तथा एक शरारतपूर्ण कार्य किया ।

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य बात गलत समझ रहे हैं । पुलिस का इस विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । सारा मामला तो यह है कि छंटनी हो या न हो । कम्पनी-मालिक

अपनी सम्पत्ति को कहां ले जाता है, यह अलग प्रश्न है । जहां तक छंटनी का सम्बन्ध है इस बीच छंटनी नहीं की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : उक्त कम्पनी के उन 105 कर्मचारियों का क्या होगा जिनका रोजगार छीन लिया गया और जिनका भविष्य अंधकारमय है । क्या उन कर्मचारियों को इस दौरान नौकरी पर ही समझा जायेगा और क्या उनको नौकरी से हटाये जाने के सम्बन्ध में रक्षा की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : किसी भी व्यक्ति को अभी नौकरी से नहीं हटाया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How many unions are there with whom the negotiations are going on? Should I understand that police is dancing at the hands of capitalists? Will the Government try to see that the office is re-eestablished at the same place?

Shri Jagjivan Ram: Police was not there at that time. Several Unions are working in their behalf. Every company has the Union of its employees. Above all there is one more Union having representatives of all the individual unions.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा उपाय

*184. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी आक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई नागरिक सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपात की स्थिति रहने तक उनको जारी रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सूचना को प्रकट करना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

(ग) यह उपाय लगभग स्थायी आधार पर ही किये गये हैं ।

"इन्टरपोल" सम्मेलन

188. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सितम्बर, 1966 में हुए "इण्टरपोल" सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) भारत ने किस रूप में इसमें भाग लिया ;

(ग) उसमें किन-किन विषयों और समस्याओं पर चर्चा की गई और क्या निष्कर्ष निकाले गये ;

(घ) क्या औषधियों, जाली सिक्कों, जाली पारपत्रों और हवाई टिकटों के बढ़ते हुए अवैध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए संसार के पुलिस दलों के बीच अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई; और

(ङ) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस (इन्टरपोल) सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के एक सदस्य देश के रूप में भाग लिया था ।

(ग) से (ङ) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7267/66]**

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पृथक् लोक सेवा आयोग

*189. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए पृथक् लोक सेवा आयोग स्थापित करने के बारे में आयोग की सिफारिशें इस बीच प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में पाठ्यपुस्तकें

190. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त शुद्धि-पत्र सभा-पटल पर रखा जायगा ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गलत पाठ्य-पुस्तकों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). शुद्धि-पत्र की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अध्यापकों को पाठ्यक्रम में से अनुपयुक्त भागों को छोड़ देने के अनुदेश दे दिए गये हैं, स्कूलों के लिए शुद्धि-पत्र जारी किए गए हैं और संशोधित पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए कुछ पांडुलिपियां भी प्राप्त हुई हैं ।

मिजो नेशनल फ्रन्ट

*192. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात के समाचार मिले हैं कि मिजो नेशनल फ्रण्ट ने भारत में अपनी तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के लिए पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी संख्या में शिविर खोले हैं और अस्थायी सरकार बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को सूचना मिली है कि मिजो नेशनल फ्रण्ट के स्वयंसेवक पूर्वी पाकिस्तान में स्थित कुछ शिविरों में प्रशिक्षण पाते हैं । पूर्वी पाकिस्तान से मिज़ो नेशनल फ्रण्ट द्वारा एक अस्थायी सरकार चालित हो रही है जो मिजो तथा कछार जिलों में तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों को संचालित कर रही है ।

(ख) हमारी सुरक्षा सेनाएं पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा पर किसी भी अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए सम्भव कदम उठा रही हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय विवाद

*193. **श्री रा० बरुआ :** **श्री वारियर :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री दे० द० पुरी : **डा० रानेन सेन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 629 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा विवादों को हल करने के लिए एक अभिकरण स्थापित करने अथवा इस बारे में कोई और प्रक्रिया बनाने के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). राज्यों के बीच सीमा विवाद आपसी बात-चीत तथा समझौते द्वारा तय होने चाहिऐं। सीमा विवादों पर बात-चीत करने तथा उनसे सम्बन्धित झगड़ों के बारे में सिफारिशें देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का भी उपयोग किया जा सकता है ।

(ग) पहिले जब कभी आवश्यकता पड़ी तब विशिष्ट अन्तर्राज्यीय विवादों पर कार्यवाही करने के लिए प्रत्येक मामले की प्रकृति तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग अथवा समितियां नियुक्त की गई। मामले पर सभी पहलुओं से विचार करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ऐसे विवादों को हल करने के लिए किसी स्थाई अधिकरण अथवा अन्य संगठन की आवश्यकता नहीं है।

जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

*194. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारियों संघ ने निगम द्वारा स्वचालित मशीनों को प्रयोग करने के विरुद्ध 25 नवम्बर, 1966 को हड़ताल करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने सारे देश में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी की समस्या पर विचार करने के बारे में कदम उठाया है ताकि समस्या को उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका समाधान हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). संघ को यह सलाह दी गई है कि वे हड़ताल न करें और जीवन बीमा निगम के इस मामले पर संयुक्त रूप से विचार करने के प्रस्ताव को मान लें। संघ ने अभी तक इस सलाह को नहीं माना है।

रूसी प्रकाशकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण

*195. **श्री मौर्य :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बागड़ी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी प्रकाशकों के एक दल ने हाल ही में भारत का दौरा किया है और अधिक पाठ्य पुस्तकें छापने के प्रस्ताव पर विचार करने का वचन दिया ;

(ख) क्या उन्होंने भारत में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए भारत सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव पेश किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). 'रूसी शैक्षिक उपकरण-प्रदर्शनी' के सिलसिले में दो रूसी विशेषज्ञ अगस्त, 1966 में भारत आए। यह भारत-रूस सांस्कृतिक कार्यक्रम की एक मद को कार्यान्वित करने के लिए किया गया था। भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं किए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपातकाल

*196. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी आम चुनावों को दृष्टि में रखते हुए आपातकाल को समाप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी नहीं। आपात काल को समाप्त करने का कोई निर्णय देश के सामने प्रस्तुत बाह्य आक्रमण के खतरे के अनुमान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले तत्वों को ध्यान में रख कर किया जाएगा न कि किसी भी अन्य विचार से चाहे फिर वह आगामी आम चुनाव ही क्यों न हो। इस बारे में पूरी स्थिति बजट अधिवेशन के दौरान सदन के सामने इस विषय में दिए गये विभिन्न वक्तव्यों में स्पष्ट कर दी गई है।

पाकिस्तान की जासूसी तथा तोड़फोड़ की योजना

*197. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े : **श्री नरदेव स्नातक :**
श्रीमती रेणुका राय : **श्री मोहन स्वरूप :**
डा० म० मो० दास : **श्री छ० म० केदरिया :**
श्री विभूति मिश्र : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री प्र० के० देव :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री कपूर सिंह :**
श्री काशीराम गुप्त : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पकड़े गये पाकिस्तानी जासूसों, विशेषतः पाकिस्तानी सेना के मेजर अमानुल्ला के छः साथियों से घुसपैठ, जासूसी, तथा तोड़फोड़ इत्यादि की जानकारी के आधार पर पाकिस्तान की पूरी योजना का पता चल सका है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, इनकी कार्य-प्रणाली तथा इस देश में किन व्यक्तियों से इन का सम्पर्क है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) : सम्भवतः यहां पिछले सितम्बर काश्मीर के सोपोर स्थान की घटना की ओर संकेत है । इस घटना में संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति मारा गया था और अन्य चार गिरफ्तार किये गये थे । इन में से तीन के विरुद्ध श्रीनगर के न्यायालय में पहले ही अभियोग चल रहा है । इस प्रकार यह मामला अभी निर्णयाधीन है ।

स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा

*198. **श्री बारियर :**
श्री दाजी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन को बढ़ाने तथा उसकी पुनर्व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना की प्रस्तावित मुख्य-मुख्य बातों में से कुछ निम्न प्रकार हैं : पाठ्यचर्या और शिक्षण सामग्री में सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मुख्य अध्यापकों के प्रशिक्षण में सुधार, उन्नत, विज्ञान को पढ़ाने के हेतु स्कूलों में प्रयोगशालाएं सम्बन्धी सुविधाएं जुटाना, विज्ञान में काम आने वाले साधारण औजारों का विकास और वैज्ञानिक उपकरणों को तैयार करना ।

औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिए प्रशुल्क निकाय

*199. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषधियों के लागत ढांचे के अध्ययन के

लिए, जो कि बहुत अधिक है, प्रशुल्क निकाय नियुक्त किया है अथवा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निकाय सभी प्रकार की औषधियों के लागत ढांचे का अध्ययन करेगा अथवा सीमित औषधियों के लागत ढांचे का ही अध्ययन करेगा ;

(ग) यह निकाय अपना कार्य कब पूरा कर लेगा ; और

(घ) पिछली बार औषधियों का ऐसा अध्ययन कब किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (घ). जी, हां। सरकार ने प्रशुल्क आयोग से अठारह महत्वपूर्ण औषधियों तथा उनके आवश्यक फारमूलों के मूल्य और लागत ढांचे की जांच करने के लिये कहा है और सरकार को अपनी सिफारिशें/रिपोर्ट यथाशीघ्र भेजने को कहा है ।

प्रशुल्क आयोग द्वारा इन सब औषधियों के लागत ढांचे का पहले कभी भी अध्ययन नहीं हुआ ।

कोयले के स्थान पर मट्टी के तेल का प्रयोग किया जाना

*200. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के लिए बिजली के उत्पादन में कोयले के स्थान पर मट्टी के तेल का प्रयोग करने की नीति अब भी जारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में पिछले चार वर्षों में कितनी राज सहायता देनी पड़ी ; और

(ग) इस नीति का अनुसरण करने का औचित्य क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) जी, नहीं । वास्तव में ऐसी कोई नीति नहीं रही है । बिजली पैदा करने के लिए कोयले और तेल के प्रयोग का फैसला हर मामले के तथ्यों पर किया जाता है ।

(ख) संभवतः हवाला मट्टी के तेल के लाने-लेजाने के रेल भाड़े पर दी जाने वाली राज-सहायता का है । देशी कच्चे तेल से तैयार होने और बिजली पैदा करने के लिये सरकारी उपक्रमों को सप्लाई किये जाने वाले मट्टी के तेल के अतिरिक्त, राजसहायता, 1-1-1966 से बन्द कर दी गई है । पिछले चार वर्षों में राज सहायता का खर्च निम्न प्रकार है :—

	रुपये
1962-63	46,12,508
1963-64	107,24,322
1964-65	136,01,863
1965-66	149,86,617

(ग) मट्टी के तेल के कम खर्चीले साधनों और बिजली पैदा करने के लिये सरकारी उपक्रमों को उचित दामों में देने की द्वैत आवश्यकताओं के कारण रियायत का वर्तमान रुप न्यायसंगत है ।

उर्वरक कारखाने

*201. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से ऋणों के बजाय समान अंशों पर भारत में उर्वरक कारखाने लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोचीन तेल-शोधक कारखाना

*202. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन तेल-शोधक कारखाना चालू हो गया है और उस में उत्पादन शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक अनुमानित उत्पादन क्या होगा और देश के किन-किन भागों और क्षेत्रों में इसके उत्पादन का सम्भरण किया जायेगा ; और

(ग) उत्पादन की फालतू मात्रा को किस प्रकार उपयोग में लाया जायेगा और यदि इस मार्ग में कुछ बाधाएं हैं तो वे क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्ण उत्पादन पर यह प्रति वर्ष लगभग 2.35 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल शोधन करेगा ।

इस अनुसंधान शोधनशाला के उत्पाद अधिकांश रूप में वर्तमान कोचीन एवं मद्रास सप्लाई क्षेत्रों में बेचे जायेंगे ।

(ग) भविष्य में कुछ समय तक मोटर स्पिरट तथा नेफथाफालतू होगा। उन के निर्यात का या अन्य तरीकों से निपटान की व्यवस्था विचाराधीन है ; आशा है कि इस मामले में कठिनाइयां नहीं होंगी ।

तकनीकी शिक्षा के लिये उद्योग पर शुल्क

*204 **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि तकनीकी शिक्षा के लिये वित्त की व्यवस्था करने हेतु धन जुटाने के लिये उद्योग पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के बारे में पिछली सितम्बर में सांस्कृतिक स्वतंत्रता कांग्रेस द्वारा शिक्षा आयोग के सम्बन्ध में आयोजित एक गोष्ठी में सिफारिश की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि उद्योगों को इसलिये उत्साहित किया जा सकता है और प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का स्वेच्छा से विकास करने में उनकी सहायता की जानी चाहिए। इस सिफारिश पर अब गौर किया जा रहा है ।

एक कर्मचारी वाला डाकघर बैंक

*205 **श्री महेश्वर नायक :** **श्री मणियंगाडन :**
श्री विश्राम प्रसाद : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकघर बचत बैंक योजना के अन्तर्गत एक कर्मचारी वाला पहला बैंक रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में कब खुलने वाला है ;

(ख) क्या दिल्ली की अन्य बस्तियों में तथा अन्य महानगरों में भी ऐसी ही सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ; और

(ग) इस योजना के प्रयोजकों तथा लाभानुभोगियों को क्या वास्तविक लाभ प्राप्त होंगे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) एक कर्मचारी वाले कई हज़ार डाकघर पहले से ही बचत बैंक का काम कर रहे हैं। कुछ नगरों में केवल बचत कार्य करने वाले डाक बचत ब्यूरो भी मौजूद हैं। केवल बचत का कारोबार करने वाले एक डाक बचत ब्यूरो के रामकृष्णपुरम के सेक्टर 6 में नवम्बर, 1966 के अन्त तक खोल दिये जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां, यदि रामकृष्णपुरम के ब्यूरो को सफलता मिली ।

(ग) ब्यूरो में लगे अनुभवी कर्मचारियों से जमाकर्त्ताओं को अपेक्षाकृत अच्छी विशिष्ट सेवाएं मिलने की संभावना है और सरकार को डाकघर बचत बैंक में जमा के रूप में अधिक रकम मिलने की आशा है ।

P. and T. Facilities for the A.I.C.C. Session

*206. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that additional facilities were provided by the Posts and Telegraphs Department in the recent session of the All-India Congress Committee;

(b) if so, the extra earnings of Posts and Telegraphs Department on this account; and

(c) the reasons for not providing such facilities for the Jan Sangh Session held recently in Jullundur?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes, to clear the additional influx of traffic generated on the occasion.

(b) Rs. 15,481.

(c) Additional facilities at the request of the Secretary, Punjab Jan Sangh, Jullundur, were also provided in conformity with the traffic requirements.

राजस्थान उच्च न्यायालय का जयपुर बैंच

*208. **श्री मु० बि० भार्गव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संघ के विधि मंत्री की अध्यक्षता में हुए विभिन्न राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालयों के मौजूदा बैंचों को समाप्त करने तथा संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की विधि आयोग की सिफारिश को अव्यवहार्य ठहरा कर रद्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि जोधपुर में राजस्थान के संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना तथा तत्कालीन जयपुर बैंच को समाप्त करने के राव आयोग के प्रस्तांव का मुख्य आधार विधि आयोग की सिफारिश था ; और

(ग) विधि आयोग की संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश को क्रियान्वित न किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार राजस्थान के उच्च न्यायालय के समाप्त किये गये जयपुर बैंच को पुनःस्थापित करने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) विधि आयोग की इस सिफारिश पर विधि मंत्रियों के जून, 1960 के सम्मेलन में विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि

किसी राज्य के उच्च न्यायालय के उसी राज्य में भी स्थानों पर कार्य करने या न करने के प्रश्न पर सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से गृह-मंत्रालय द्वारा प्रत्येक मामले में अलग-अलग संबंधित राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय किया जाएगा ।

(ख) राव कमेटी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान राजधानी जांच समिति 1958 ने केवल विधि आयोग की सिफारिश पर ही बल नहीं दिया था अपितु यह उन के सन्मुख विचारार्थ अनेक बातों में से एक थी । इस समिति ने जयपुर बैंच को समाप्त करके राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में स्थापित करने की सिफारिश की थी ।

(ख) जी नहीं । राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर में रखने का निर्णय उपरोक्त समिति की सिफारिश पर किया गया था । समिति ने अपने प्रतिवेदन के 120 से 131 तक अनुच्छेदों में इस सिफारिश के पक्ष में बहुत बलशाली तर्क दिए थे । उन के प्रतिवेदन की प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है । ऐसी कोई विशेष परिस्थितियां नहीं हैं जिनके कारण पहिले ही कर लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना उचित हो ।

विद्रोही नागा

*209. **श्री नाथ पाई** **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागाओं ने पारोयी में अपनी तथाकथित दक्षिण सेना का मुख्यालय स्थापित किया है ;

(ख) क्या विद्रोही नागाओं के एक दल ने खास क्रांसेम पहाड़ियों में रंगागजक नदी पर आसाम राइफल्स के एक दल पर घात लगा कर आक्रमण किया था; और

(ग) आसाम राइफल्स ने इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला किया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार तथाकथित नागा सेना का दक्षिणी मुख्यालय मनीपुर के पाओयी स्थान पर परिवर्तित कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रभावशाली ढंग से ।

नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कर्मचारी

*210 **श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में कार्य कर रहे कुछ कर्मचारियों की सेवायें उनके द्वारा कुछ महीनों की सेवा करने के पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की कुल संख्या, उन के पदनाम, तथा उन की सेवाओं को समाप्त करने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन लोगों से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख): जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (नेशनल फ़िज़िकल लबोरेटरी) नई दिल्ली के छः कर्मचारियों की सेवायें विभिन्न कारणों से खत्म की गयी थीं अर्थात् : वे स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं थे, उन के चाल चलन तथा पूर्ववृत्तों के प्रतिवेदन प्रतिकूल थे, उनका काम तथा आचरण असन्तोषजनक था और उसकी परिस्थिति में अनियमितता थी। उनके पद नाम ये हैं : प्रवर भण्डार रक्षक (एक), अवर भण्डार रक्षक (एक), निम्न श्रेणी लिपिक (एक), प्रचालक प्रशिक्षणार्थी (कुशल) (दो) और क्लीनर (एक)।

(ग) और (घ). जी हां। उन में से चार के अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिन में से तीन को स्वीकृत नहीं किया गया जब कि चौथे पर विचार किया जा रहा है ।

Symbols, Measures and Names

886. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the publication of a book entitled "Symbols, Measures and Names" (Pratik Matrak Tatha Nam-Paddhati) used in Physics has been withheld by the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(b) if not, when this book is likely to be printed; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir; it is not a fact that the publication of the book entitled, "Symbols, Measures and Names (Pratik Matrak Tatha Nam-Paddhati)" used in Physics has been withheld by the Commission for Scientific and Technical Terminology. On the other hand, the manuscript has been sent to the press for printing.

(b) The book is likely to be printed by the end of March, 1967.

(c) The actual cost of production is yet to be worked out by the press.

Technical Hindi Dictionaries

887. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Explanatory Dictionaries of technical Hindi terms along with their English equivalents in respect of Science, Physics and Mathematics have been got prepared by the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(b) if so, when they are likely to be printed; and

(c) the expenditure likely to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Yes, Sir. Four elementary definitional dictionaries on Physics, Chemistry, Mathematics and Botany have been prepared.

(b) All the four dictionaries have been sent to the press for printing Dictionaries on Physics and Botany are expected to be printed by the end of December, 1966, while the dictionaries on Chemistry and Mathematics are expected to be available by the end of March, 1967.

(c) The expenditure likely to be incurred thereon will be approx. Rs. 50,000.

Expenditure on Shabdasagar

888. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the entire expenditure on the editing of a 'Hindi Shabdasagar' and some part of expenditure on its publication has been given to Kashi Nagari Pracharini Sabha, Varanasi in the form of grant;

(b) if so, the amount thereof;

(c) the year from which this grant is being given; and

(d) when this dictionary is likely to be printed?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) to (c). A total grant of Rs. 1,65,000 was approved by the Government of India to be paid to the Nagari Pracharini Sabha for the work of enlarging and revising their standard Hindi Dictionary—'Hindi Shabdasagar'. A sum of Rs. 1,52,500 has been released to the Sabha since 1954 in instalments. The grant covers almost the entire cost of revision and enlargement of the manuscript.

The Government of India have also given a grant for the printing and publication of the first two volumes of the revised and enlarged editions of the Hindi Shabdasagar amounting to Rs. 20,170 on the basis of 60 per cent of the estimated and approved cost of printing.

(d) The revision work of the entire 10 volumes of the Hindi Shabdasagar has been completed. The first volume of the dictionary has been printed and published. The second volume is likely to be printed and published by the end of this month. The Sabha expects to bring out the remaining 8 volumes by the end of March, 1968.

कोचीन-कोयम्बटूर पाइप लाइन

889. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2476 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन से कोयम्बटूर तक पैट्रोलियम उत्पादन ले जाने हेतु एक पाइप लाइन बिछाने के बारे में जांच कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य पर अनुमानत: कितना धन व्यय होगा ; और

(ग) इस कार्य के कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं । मामला अभी तक इंडियन आयल कारपोरेशन के परीक्षाधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कन्ननूर में मुख्य डाकघर की इमारत

890. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्ननूर में मुख्य डाकघर की इमारत की कार्यकारी ड्राइंग तैयार हो गई है और उस के निर्माण के लिये आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इमारत की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) निर्माण कार्य के कब आरम्भ होने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) प्रारम्भिक प्राक्कलनों के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च की मंजूरी होने के बाद कार्यकारी नक्शे तैयार करने प्रारम्भ किये जायेंगे । इस समय प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) प्रारम्भिक प्राक्कलनों के प्राप्त होने के बाद इसका पता चलेगा ।

(ग) इस समय ऐसी कोई विशेष तारीख नहीं बताई जा सकती कि कब निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा, क्योंकि मंजूरी देना, कार्यकारी नक्शे तैयार करना जैसी विभिन्न औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं।

टैंक लारियों में मिट्टी के तेल की सप्लाई

891. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन की मद्रास शाखा ने अपने कन्ननूर डिपो को आदेश दिये हैं कि वह अपने एजेन्टों को टैंक लारियों में मिट्टी का तेल सप्लाई न करें; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख). अप्रैल से जून, 1966 के दौरान में हाई स्पीड डीज़ल की अधिक मांग पर काबू पाने के लिए, कम्पनी के टैंक लारियों को केवल फुटकर पम्पों पर हाई स्पीड डीज़ल की सप्लाई बनाये रखने के लिए इस्तेमाल किया

जाता था। अतः उक्त अवधि में मिट्टी के तेल के एजेन्टों को कानून के अनुसार डिपू से सीधे अपनी सप्लाई प्राप्त करने के लिए कहा गया। जुलाई से मिट्टी की तेल की सप्लाई टैंक लारियों में की जा रही है।

दिल्ली के कोलोनाइजर द्वारा धोखादेही

892. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री एक कोलानाइजर द्वारा धोखादेही के बारे में 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1186 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा मैसर्स मित्तल संज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के प्रबन्ध-निदेशक श्री एच० आर० मित्तल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/120–बी के अन्तर्गत की जा रही जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). श्री एच० आर० मित्तल तथा अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की जांच पूरी हो गई और मामला 17-10-1966 को न्यायालय को सौंप दिया गया।

केरल में रसायन उद्योग समूह के लिये भूमि

893. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एर्णाकुलम जिले में चेमानन्द गांव में उर्वरक तथा पैट्रोलियम रसायन उद्योग समूह के लिए भूमि अर्जित करने के परिणामस्वरूप, प्रभावित परिवारों में से कितने परिवारों को भूमि दी गई है ;

(ख) अब तक कितने परिवारों को भूमि नहीं दी गई है ; और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इन परिवारों की सहायता करने के लिये और क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) ग्यारह परिवार।

(ख) ऐसे परिवारों को जिन्हें भूमि नहीं दी गई उन को वर्तमान भूमि से नहीं हटाया गया है। जब भूमि अर्जित करने का काम इन परिवारों को हटाने की स्थिति तक पहुंच जाएगा तब उन्हें बदले में भूमि दी जाएगी।

(ग) पुनर्वास के लिए नियत क्षेत्र में कम्पनी के खर्च पर सड़कों तथा कुंओं की व्यवस्था की जा रही है। कम्पनी प्रभावित व्यक्तियों में से कुछ शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को कोचीन उर्वरक प्रायोजना में विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिये चुन रही है ।

अर्जित भूमि में बने हुए एक हजार रुपये से कम मूल्य के निर्माणों को बिना मूल्य दिए ले लेने की अनुमति मालिकों को दे दी गई है ।

जासूसी के मामले में निर्णय

894. **श्री उटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रैज़ीडेंसी मजिस्ट्रेट, कलकत्ता द्वारा अज़ीज़ उल इस्लाम जासूसी के मामले में दिये गये निर्णय की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी कोई विधि नहीं है जिस के अन्तर्गत शान्ति-काल/तथा/अथवा उस काल में, जब आपात न हो, में जासूसी के मामलों में अभियोजन चलाया और दोष सिद्ध किया जा सकता हो; और

(ग) यदि हां, तो क्या जासूसी के अपराधों को कारावास तथा अर्थदण्ड सहित दण्डनीय बनाने वाले विधान को पुनःस्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम में शांतिकाल में जासूसी में लगे हुए व्यक्तियों पर अभियोजन चलाने की व्यवस्था है । इस अधिनियम में वर्तमान व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का विचार है और इस उद्देश्य से लोक सभा में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

अन्तर्देशीय पत्र

895. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना तथा मुफस्सिल के अधिकतर डाकघरों में कई दिन तक अन्तर्देशीय पत्र नहीं मिलते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में पटना के महेन्द्रघाट डाकघर में कई दिन तक अन्तर्देशीय पत्रों की कमी रही;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि अन्तर्देशीय पत्रों की इस कमी के कारण ये पत्र वहां ऊंचे मूल्यों पर बिकते हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) अक्तूबर, 1966 के पहले पन्द्रह दिन तक पटना प्रधान डाकघर के अंतर्गत आने वाले डाकघरों में अंतर्देशीय पत्रों की कुछ कमी हो गई थी ।

(ख) महेन्द्रघाट नाम का कोई डाकघर नहीं है । फिर भी, अक्तूबर, 1966 के पहले पन्द्रह दिन तक पटना प्रधान डाकघर के अन्तर्गत आने वाले महेन्द्र उप डाकघर में अंतर्देशीय पत्रों की कमी हो गई थी।

(ग) मुद्रण-क्षमता की कमी के कारण टिकट नियंत्रक, नासिक रोड द्वारा अंतर्देशीय पत्रों की अपर्याप्त सप्लाई की गई ।

(घ) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी, आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी गई है और सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक में अंतर्देशीय पत्र छापने के लिए क्षमता में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त मुद्रण उपस्कर के आदेश पत्र भज दिये गए हैं ।

Post Offices in Tribal Areas

896. Shri Lakhan Das:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the total number of Post Offices in Dulampur (Chakai) area, of Jamui Circle at present;

(b) whether it is a fact that there is a proposal to wind up some of the Post Offices in this area;

(c) whether Government have received any representation to the effect that winding up of some of the Post Offices in this area would cause considerable inconvenience to the public as there would be no Post Office within an area of 15 miles; and

(d) if so, the steps taken to open more Post Offices in the Tribal area of Dulampur like Bichkorwa?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) 11.

(b) Yes, 2 P.Os. only.

(c) A petition has been received from the villagers of Dulampur against the proposed closure of the Branch Office. It is not a fact that there would be no Post Office within a radius of 15 miles. The nearest Post Office is Chakai Sub-Office which is only 8 miles away.

(d) The question of opening more post offices is being examined.

गैर-सरकारी कालेज प्रबन्धक, केरल

897. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सभी गैर-सरकारी कालेज प्रबन्धकों ने कालेज शिक्षकों के लिये पुनरीक्षित वेतन क्रम लागू कर दिये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन कालेजों ने ये वेतन क्रम लागू नहीं किये हैं; और

(ग) इन पुनरीक्षित वेतन क्रमों को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेईमान ठेकेदार

898. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेईमान ठेकेदारों/संभरण-कर्त्ताओं/माल उठाने वाले एजेंटों की सूची इस बीच तैयार कर ली गई है; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कार्यवाही भी की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) बेईमान ठेकेदारों/सम्भरण-कर्त्ताओं/माल उठाने वाले एजेंटों की सूचियां विभिन्न विभागों, उपक्रमों तथा प्रशासनों द्वारा तैयार की जा रही हैं।

(ख) इन सूचियों के तैयार होते ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

Civil Defence Training in Border Areas

899. **Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons trained so far in the border areas under the Civil Defence Schemes;

(b) the number of persons among them who would be able to help the Army at the time of an intrusion or aggression; and

(c) the quantity of arms supplied so far to the people so trained in the border areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar): (a) to (c). It will not be in public interest to disclose this information on the floor of the House.

अन्दमान में गुप्त नक्शों की चोरी

900. **श्री उटिया :**
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्दमान तथा निकोबार के गुप्त नक्शे चराने के लिये भारतीय

राजकीय भेद अधिनियम के अन्तर्गत अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन के एक भूतपूर्व कर्मचारी, श्री पाल के विरुद्ध इस बीच दोष सिद्ध हो गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : मामला अभी तक निर्णयाधीन है।

केंद्रीय कर न्यायालय

901. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) न्यायालय के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सरकार के सामने अभी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। विधि मंत्री ऐसे उपाय ढूंढ रहे हैं जिनके द्वारा उच्च न्यायालय बकाया काम तथा मामलों को अधिक शीघ्रता से निबटा सकें।

Child Marriages in U.P.

902. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have not taken any steps so far to enforce the provisions of the Child Marriages Restraint Act, 1929 (19 of 1929) and as a result thereof child marriages take place in certain Districts of that State; and

(b) if so, the steps taken by Central Government in regard thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri V. C. Shukla): (a) and (b). The information is being obtained from the State Government and will be laid on the Table of the House.

उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार

903. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन ने यह राय व्यक्त की है कि आयोग प्रशासन में उच्चतम स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और मंत्री भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग को कुछ विशिष्ट मामलों का पता लगा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर के व्यापारी के विरुद्ध जांच

904. **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालीदार चादरों के मामले में जिसमें कानपुर का एक उद्योगपति अन्तर्ग्रस्त है आठ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुकदमे की कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि शीघ्र ही मुकदमे की कार्यवाही शुरू हो जायेगी ।

परिवार पेंशन योजना

905. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 755 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा परिवार पेंशन योजना को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रयोजन के लिये उन्हें कितनी धन राशि दी गयी है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस मामले पर विचार करने वाले कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की अभी प्रतीक्षा की जा रही है और उसकी मुख्य बातों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

केरल में नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

906. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये नियुक्त मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) केरल सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही इस बारे में सभा को बता दिया जायेगा ।

साबुन के दामों में वृद्धि

908. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री हेम राज :
श्री सेझियान :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख साबुन निर्माताओं ने हाल ही में नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन और साबुन के डंडों के दामों में 10 प्रतिशत की अधिकृत वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि फुटकर व्यापारी गत दो महीनों से अधिक दाम ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह वृद्धि करने का क्या औचित्य है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन): (क) से (ग). उत्पादन-मूल्य मुख्यतया कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि के कारण संगठित क्षेत्र में साबुन निर्माताओं ने 8-9-1966 से साबुन के फुटकर विक्रय दामों में 7 से लेकर 8 प्रतिशत तक वृद्धि की। साबुन निर्माताओं का फुटकर विक्रेताओं पर कोई प्रभावकारी नियन्त्रण एवं पर्यावेक्षण नहीं है। इस मंत्रालय के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि फुटकर विक्रेता साबुन निर्माताओं द्वारा निर्धारित किये गये दामों से अधिक दाम ले रहे हैं।

Arrest of Nagas

909. Shrimati Savitri Nigam: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Naga hostiles arrested and the number of those who were killed during the last two months?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Parcels Missing from G.P.O., New Delhi

910. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2501 on the 17th August, 1966 and state:

(a) whether inquiries into the cases in which three insured covers were found missing in the General Post Office at New Delhi have since been completed and if so, the details thereof; and

(b) if not, the time by which these are likely to be completed?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) and (b). The police have since completed their investigations and they have treated the cases as untraced. However, for the departmental lapses noticed suitable action has been taken against the officials at fault.

Kidnapping by Pakistanis

911. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3730 on the 31st August, 1966 and state:

(a) whether the soldiers kidnapped by Pakistanis have since been returned;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the action taken by the Government in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). The constable who was seized on May 13, 1966, has not yet been returned by the Pakistani authorities. Persistent efforts are being made through the Indian Deputy High Commission in Pakistan to secure his release.

Naga Rebels

912. Shri Yashpal Singh:
Shri Krishnapal Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Shinkre:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the broad details and the number of times our security forces encountered the Naga rebels during September and October, 1966; and

(b) the loss sustained as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Ministry of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) There have been twenty-seven encounters between the Naga hostiles and our security Forces during the months of September and October, 1966. In these encounters there was exchange of fire.

(b) 18 hostiles were killed. Seven persons of the Security Forces were killed.

कोयली में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

913. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० म० मो० दास : **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प० ह० भील :**
श्री सुबोध हन्सदा : **श्री कपूर सिंह :**
श्री महेश्वर नायक : **श्री मान सिंह पु० पटेल :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़ौदा के समीप स्थित कोयली तेल शोधन कारखाने के इर्द-गिर्द फैले हुए

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के लिये अमरीका से सहयोग करने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनका क्या निष्कर्ष निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) :(क) और (ख). कोयाली में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के लिए सरकार किसी प्रसिद्ध विदेशी फर्म; चाहे वह अमरीका या किसी मित्र देश का हो; के सहयोग के लिए इच्छुक है बशर्ते कि उक्त फर्म के पास अपेक्षित तकनीकी अर्हता हो और उन के द्वारा पेश की गई शर्तें हमें स्वीकार हों। सदन को इस तथ्य से जानकारी है कि 1964 के आखीर में उक्त परियोजना के लिए तीन अमरीकी फर्मों के एक ग्रुप से वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग के लिए कई प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन प्रस्तावों पर प्रतिनिधियों के साथ अच्छी तरह बातचीत हुई है।

(ग) अभी तक कोई सन्तोषजनक करार होना सम्भव नहीं हुआ है।

मन्त्रियों और अन्य व्यक्तियों की आस्तियां

914. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री 3 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1080 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों तथा उनके सम्बन्धियों, राजपत्रित अधिकारियों तथा पुलिस वालों की आय के अनुपात से अधिक आस्तियों को ले लेने के उद्देश्य से आवश्यक कानून बनाने अथवा संविधान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अधिनियम इत्यादि कब तक बन जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हमारे विचार में वर्तमान कानून पर्याप्त है।

तेल के नये क्षेत्र

915. **श्री मधु लिमये** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में, आसाम और गुजरात में तेल ढूंढने के लिये किन-किन स्थानों में परीक्षण के तौर पर खुदाई की गई है;

(ख) किन क्षेत्रों के बारे में यह निश्चित जानकारी है कि वहां पर व्यापारिक आधार पर निकाले जाने के लिये तेल उपलब्ध है ?

(ग) कच्चे तेल का व्यापारिक आधार उत्पादन कब आरम्भ होगा और 1966 से 1971 तक प्रत्येक वर्ष में (तेल के इन नये कुओं) का क्या लक्ष्य होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) भारतीय रक्षा नियमावली के अनुसार ठीक स्थानों को नहीं बताया जा सकता ।

(ख) निस्सन्देह गुजरात राज्य के कैम्बे थाला और अपर आसाम के जलोढक से ढके हुए ब्रह्मपुत्र वादी व्यापारिक अन्वेषी तेल युक्त सिद्ध हुई है ।

(ग) गुजरात और आसाम में कच्चे तेल का व्यापारिक उत्पादन प्रगति पर है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की कच्चे तेल के उत्पादन की योजना निम्न प्रकार है:—

तेल उत्पादन (मिलियल मीटरी टनों में)

वर्ष	गुजरात	आसाम	तेल और प्राकृतिक गैस का योग
1966-67	2.3	0.1	2.4
1967-68	3.3	0.2	3.5
1968-69	3.6	1.0	4.6
1969-70	3.7	1.9	5.6
1970-71	3.7	2.8	6.5

जहां तक आयल इण्डिया का सम्बन्ध है, 1966-67 में वार्षिक उत्पादन लगभग 2.4 मिलियन मीटरी टन है और 1967-68 तथा आगे वर्षों में 3.00 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है ।

अन्दमान के लिये डाक तथा तार सेवाएं

916. **श्री ब० कु० दास :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो-टेलीप्रिंटर लगा कर अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की डाक तथा तार सेवाओं में सुधार करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कितना रुपया तथा विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना में कलकत्ता और पोर्टब्लेयर के बीच रेडियो टेलिप्रिंटर लगाने की बात सोची गई है। इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए कुछ उपस्कर देशीय साधनों से उपलब्ध हैं।

(ग) कुल 2,91,200 रु० की लागत पर प्रायोजना-प्राक्कलनों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 85,976 रु० की विदेशी मुद्रा भी शामिल है।

Telephone Connections

***917. Shri Yashpal Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether there is great demand of telephone connections in the country, particularly in big cities;

(b) if so, the number of applications for telephone connections pending at present and the city where the number of pending applications is the highest; and

(c) the number of telephone connections to be provided by the end of 1967-68?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes.

(b) No. of applications pending—355792.

Name of city where the number of pending applications is the highest—Calcutta.

(c) It is proposed to provide 87,400 additional telephones in 1966-67 and 1,26,000 in 1967-68 depending upon the availability of resources.

Maltreatment of a Foreign Lady

918. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the 'Times of India' dated the 15th September, 1966 that the personnel of the Delhi Administration maltreated a foreign old lady;

(b) if so, how far the aforesaid news is correct; and

(c) whether the persons found guilty would be punished?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) On 16th September, 1966 the Times of India published corrected facts about the lady which are:—

> The lady in question was admitted as a mental patient in the Central Jail, Tihar by an order of the Sub-Divisional Magistrate, on the basis of a medical certificate given by the Senior Psychiatrist of the Safdarjung Hospital that she was mentally ill. She recovered under the treatment given by the doctors and others concerned and on the basis of the information given by her during her recovery, her relations were contacted. With her consent, she was received by a good after-care institution.

(c) Question does not arise.

चन्दा ज़िले में भूमि का नियतन

919. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्दा जिले में शरणार्थियों को दी जाने वाली भूमि बहुत ही कम उपजाऊ है;

(ख) क्या वहां पर सिंचाई की कोई सुविधाएं हैं; और

(ग) भारत में किसी स्थान पर बाज़ार भाव पर भूमि खरीदने के लिये उनको ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी, नहीं। चन्दा जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को जो भूमि दी जा रही है वह एक वन्य भूमि है जिसको पूर्णत: भू-सर्वेक्षण करने के बाद छांटा गया है । यह भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यह मिट्टी फसलों के लिये बहुत ही उपयुक्त है । जिस वन-भूमि को खेती करने के लिये तोड़ा जाता है उसको सामान्य खेती के योग्य बनाने में करीबन तीन वर्ष लगते हैं।

(ख) चन्दा जिले के उन क्षेत्रों में जहां पर लोगों को बसाया जा रहा है, वहां वर्ष भर में 50 से 60 इंच तक वर्षा होती है । इस क्षेत्र में सिंचाई सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया करीने के लिये महाराष्ट्र सरकार कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है, जैसे वर्षा-काल के दौरान वर्तमान नालों को रोकना, नालों से पानी उठाने के लिये पानी उठाने वाले पम्पों को लगाना और उपयुक्त स्थानों पर सिंचाई-तालाबों का निर्माण करना ।

(ग) भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से इस पक्ष में नहीं है कि इन शरणार्थियों को गैर-सरकारी जमीन खरीदकर दी जाये :

(एक) यह देखना बहुत कठिन है कि दिये गये ऋण का उपभोग केवल भूमि खरीदने के लिये ही किया जाय ।

(दो) खरीदी गयी भूमि को गिरवी रखे जाने से और किसी अन्य व्यक्ति को बेचे जाने से बचाना भी बहुत कठिन है ।

(तीन) यदि यह काम बड़े पैमाने पर किया गया तो राज्य सरकारें इसका घोर विरोध करेंगी ।

(चार) यदि किसी इलाके की जमीन शरणार्थी मिलकर खरीदेंगे तो वहां की स्थानीय जनता इसका विरोध करेगी ।

(पांच) भूमि की खरीददारी से वे स्थानीय लोग उजड़ जायेंगे जो लालच में आकर अपनी भूमि को बेचकर स्वयं भूमिहीन बन जायेंगे ।

(छः) भूमिधरों से जमीन खरीदने का परिणाम यह होगा कि खेती योग्य जमीन में वृद्धि नहीं होगी, दूसरे इसमें भी सट्टेबाज़ी होने लगेगी जिस से जमीनों के दाम और अधिक बढ़ जायेंगे ।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1966

920. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मौर्य :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपालसिंह :
श्री मधु लिमय :
श्री किशन पटनायक
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सेझियान :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मन्त्री 7 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिसमें अधिनियम की धारा 33, 34(2) और 37 को अवैध घोषित किया है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए बोनस भुगतान अधिनियम में संशोधन करने का अन्तिम रूप से विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क), (ख) और (ग) उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसमें बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 33, 34 (2) और 37 को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित किया गया है, से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये द्विपक्षीय स्थायी श्रम समिति की 27 अक्टूबर, 1966 को एक विशेष बैठक बुलायी गयी थी जिसमें चर्चा के दौरान उक्त अधिनियम को संशोधित करने के हेतु अनेक वैकल्पिक प्रस्ताव/सुझाव पेश किये गये थे और उसमें यह निश्चय किया गया था कि नियोजकों और श्रमिकों दोनों के तीन तीन प्रतिनिधियों से बनी एक द्विपक्षीय समिति इन पर विचार करेगी । इस समिति की पहली बैठक 26 अक्टूबर को हुई और इसकी अगली बैठक 10 जनवरी, 1967 को होगी ।

विदेशी पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद

921. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि भारतीय विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाना पड़ा तो जिन विदेशी उत्कृष्ट ग्रन्थों तथा अन्य पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद कराना होगा, उनकी संख्या कितनी है;

(ख) सरकार को उन सभी अनुवादों के लिए प्रतिलिप्यधिकार हेतु जो राशि देनी होगी, क्या उसका कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो यह राशि कितनी है;

(घ) क्या हिन्दी तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तक तैयार करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग) विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम अंग्रेज़ी से हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में बदलने को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय स्तर की चुनी हुई कृतियों के निर्माण, अनुवाद और प्रकाशन की योजना आरम्भ की है । सभी विश्वविद्यालयों ने चूंकि शिक्षा माध्यम अंग्रेज़ी से हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में बदलने के संबंध में अभी तक कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है इसलिए सभी विश्वविद्यालयों की वास्तविक आवश्यकताओं का अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने, जो योजना को कार्यान्वित कर रहा है, अनुवाद के लिए अभी तक 462 पुस्तकों को चुना है, जिनमें से 282 पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें विदेशी कापीराइट के मालिकों को रायल्टी की अदायगी देनी होगी । इन 282 पुस्तकों के संबंध में कापीराइट फीस की आदयगी के लिए अनुमानत: लगभग 9 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

(घ) और (ङ) हिन्दी में अनुवाद के लिए अनुमोदित 462 पुस्तकों में से 60 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं और बाकी 402 पुस्तकें मुद्रण तथा प्रकाशन के विभिन्न स्तरों पर हैं । इनमें से हिन्दी में मूलत: लिखने के लिए अनुमोदित 82 पुस्तकें भी शामिल हैं, जिनमें से अभी तक 13 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा कन्नड जैसी अन्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों के अनुवाद और मूल लेखन का कार्य साथ-साथ चल रहा है । इन भाषाओं में अभी तक 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 7 छप रही हैं ।

संविधान की आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का शामिल किया जाना

922. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्यावेदनों द्वारा अथवा संस्थाओं द्वारा पारित संकल्पों द्वारा सरकार से अपील

की गई है कि कुछ भारतीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो किन भाषाओं को उस अनुसूची में सम्मिलित कराने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) सिंधी, मैथिली, मनीपुरी, कोंकणी, राजस्थानी और डोगरी।

(ग) सरकार ने केवल सिंधी भाषा को ही संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का निश्चय किया है।

पुस्तक विकास कार्यक्रम

923. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तक विकास कार्य उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस मंत्रालय पर सही सही क्या उत्तरदायित्व आ गया है;

(ग) इस कार्य को करने के लिए किस प्रकार का संगठन बनाया गया है;

(घ) क्या कोई योजना तथा कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). जी, हां। विद्यार्थियों और जनसाधारण को उचित दामों पर आवश्यक पुस्तकों के लिये बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्वदेशी पुस्तकों, मुख्यतः पाठ्य-पुस्तकों के अधिकाधिक प्रकाशन की जिम्मेदारी मंत्रालय पर आयी है।

(ग) और (घ). एक राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड की स्थापना करने का निश्चय किया गया है। देश में पुस्तक विकासपकी विस्तृत योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

Telephone System in Jhasi

*924. **Shri M. L. Dwivedi:** **Shri S. C. Samanta:**
Shri P. C. Borooah: **Dr. M. M. Das:**
Shri Bhagwat Jha Azad: **Shri Subodh Hansda:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the reasons due to which telephone system in Jhansi remained paralysed for a week in the beginning of the later half of 1966;

(b) whether the disruption was due to the cutting of telephone wires and, if so, the action taken in this regard; and

(c) the arrangements made in respect of the compensation for the damage caused to telephone system and the loss sustained by telephone users?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) The Telephone Service of Jhansi Exchange was not paralysed for a week in the beginning of the later half of 1966. The number of telephones working in Jhansi Telephone Exchange is 462 out of which 59 telephones went out of order for a period of about 36 hours, from the morning of 15th August till the evening of 16th August, 1966 due to a 100 line underground cable having been damaged.

(b) The damage to the cable was accidental and was caused by Municipal Board labour while digging for laying a water pipe.

(c) A claim of Rs. 169 being the expenditure on account of repairing the damaged cable has been preferred against the Municipal Board, Jhansi. No compensation to telephone subscribers for such interruptions to service is due.

तदर्थ आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर)

925. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मंत्रालयों में ऐसे आशुलिपिक कार्य कर रहे हैं जिनको तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। यद्यपि वे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास नहीं कर सके थे ;

(ख) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिकों की परीक्षा के परिणामों की घोषणा किये जाने के पश्चात् भी उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया गया है जिसके फल-स्वरूप परीक्षा में सफल आशुलिपिकों को वंचित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितने मंत्रालयों ने उन्हें नियुक्त कर रखा है और उनको काम पर लगाये रखने का क्या कारण है तथा ऐसे कितने कर्मचारी हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में आशुलिपिकों की जबरदस्त मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त ऐसे लिपिकों/आशु टंककों को जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1965 में ली गई आशुलिपिक परीक्षा के लिखित भाग को पास कर लिया था तदर्थ आधार पर आशुलिपिकों के पद पर नियुक्ति की अनुमति दे दी गई थी । उनके सामने यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यदि वे स्वयं केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्ति केलिए पास नहीं होंगे तो उनके स्थान पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया जायगा जिन्होंने आशुलिपिक परीक्षा में

पास होने वाले उम्मीदवारों को अगस्त, 1966 में नामांकित किया गया था और तदर्थ रूप से नियुक्त कर दिया गया / किया जा रहा है ।

(ग) एकत्रित कर लिये जाने के बाद सूचना सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड की विक्रय संस्था

926. **डा० यू० ना० खां :**
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अपनी विक्रय संस्था स्थापित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) योजना के कार्यान्वित होने का कार्य कब तक प्रारम्भ होने की आशा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग). सारे कारपोरेशन के लिए एक अलग विक्रय संस्था की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है । कारपोरेशन के उत्पादन यूनिटों की अपनी विक्रय संस्थाएं हैं और उपभोक्ताओं को उर्वरकों के सीधे वितरण को ध्यान में रखते हुए बढ़ाय जाता है ।

पश्चिम दिनाजपुर में एक कस्बे पर पाकिस्तान का धावा

927. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अगस्त, 1966 को जब अनेक पाकिस्तानियों ने घातक हथियारों से लैस होकर पश्चिम दिनाजपुर जिले के तापन पुलिस थाना क्षेत्र में छांटन हंसदा के घर पर धावा बोला, दो व्यक्ति, पति और पत्नी मारे गये तथा कुछ व्यक्तियों को चोटें आईं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). यह ठीक है कि तापन पुलिस थाने के क्षेत्र में 16 अगस्त, 1966 को दो व्यक्ति मारे गये । स्थानीय पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है । किन्तु ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे यह पता चले कि यह अपराध पाकिस्तानी अपराधियों द्वारा किया गया था ।

उत्तर प्रदेश में डाक सेवाएं

928. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 के अन्त तक उत्तर प्रदेश के ऐसे ग्रामों की संख्या कितनी थी जिनमें डाक सेवा लागू हो गई थी; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 1,12,624/

(ख) उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में डाक सेवाएं उपलब्ध हैं । इनमें 52 प्रधान डाकघरों, 1,712 विभागीय उप डाकघरों, 157 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों, 1 डाक सेवक तथा 9,740 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है ।

गांधी हत्या का मुकद्दमा

929. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बड़े :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बागड़ी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित स्थितियों की जांच के लिए एक नये आयोग के गठन का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस आयोग के सदस्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) यह आयोग कब कार्य आरम्भ करेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग), विधि आयोग के अध्यक्ष श्री जे० एल० कपूर को जांच कार्य पूरा करने के लिए नियुक्त करने तथा सरकार को प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त करने के आवश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं ।

सम्पर्क स्थापित करने वाले पुरुष तथा स्त्रियां

930. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से यह रिपोर्ट मिल गई है अथवा मांगी गई है कि सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट के कब तक पेश किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी): (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों।विभागों से, जिनको सम्पर्क स्थापित करने वाले अवांछनीय पुरुषों तथा स्त्रियों की सूचियां भेजी गई थीं, प्राप्त रिपोर्ट बताती हैं कि इन व्यक्तियों के नाम ठेकेदारों, सम्भरण कर्त्ताओं, लाइसैंस तथा परमिट आदि प्राप्त करने वालों से व्यवहार करने वाले अधिकारियों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के ध्यान में लाई गई हैं ताकि वे सतर्क रह सकें ।

Correspondence in Hindi by Rajasthan Government

931. **Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah: **Shri Subodh Hansda:**
Shri S. C. Samanta: **Dr. M. M. Das:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Government of Rajasthan has decided to write letters to all the Central Government Offices and Officials only in Hindi;

(b) the reaction of Central Government thereto; and

(c) whether such a decision has been taken by any other Hindi speaking state also?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) Arrangements exist in various Central Government Offices for attending to Hindi letters without delay. If necessary such arrangements shall be supplemented.

(c) Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक धंधे सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्

932. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री बागड़ी :**
, श्री रामसेवक यादव : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक धंधे सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिशों पर सरकार ने विचार कर लिया है और यदि हां तो इसका क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या परिषद् ने यह भी सिफारिश की थी कि विकलांग लोगों के लिए खोले गये काम दिलाऊ दफ्तरों में जिन व्यक्तियों ने अपना नाम दर्ज करा करा रखा है उनको भी प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराई जाये ;

(ग) मंत्रालय द्वारा एक सामान्य व्यक्ति के व्यवसायिक प्रशिक्षण पर कितनी राशि व्यय की जाती है ; और

(घ) अब तक कितने विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने विभिन्न इंजीनियरी-व्यवसायों की कालावधि को बदलने और शिल्पी प्रशिक्षण योजना (क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग स्कीम) के अधीन प्रशिक्षणार्थियों की प्रवेश पाने के लिए हेतु आयु सीमा 16 वर्ष के बजाय 15 वर्ष करने सम्बन्धी सिफारिशों को इस बीच मान लिया है और राज्य सरकारों को इसे 1 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में लागू करने के लिए बता दिया गया है। शिल्पी प्रशिक्षण योजना के अधीन दी जाने वाले वजीफे की दर और संख्या को बढ़ाने सम्बन्धी सिफारिश पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, परिषद् यह अवश्य समझती है कि शरीर के किसी विशेष भाग से विकलांग व्यक्ति कुछ व्यवसायों के लिए सफल कारीगर सिद्ध हो सकते हैं। तदनुसार राज्य सरकारों को यह कहा गया है कि वे विकलांग लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दें और उन्हें ऐसे व्यवसाय में प्रशिक्षण दें जिसमें उनकी विकलांगता बाधक न हो।

(ग) एक प्रशिक्षार्थी पर होने वाला खर्चा, संस्था के आकार, राज्य नियमों के अधीन निर्धारित वेतन मानों, व्यवसाय की किस्म और प्रशिक्षण की कालावधि आदि-आदि पर निर्भर करता है। विभिन्न मदों पर खर्चे के अनुमोदित मानकों के अनुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर कम से कम 78.10 रुपये प्रति मास खर्च होने का हिसाब लगाया गया है। ये आंकड़े प्रत्येक शिक्षणार्थी पर प्रत्येक मास होने वाले आवर्ती खर्च के सम्बन्ध में दिये गये हैं। इनमें वह अनावर्ती खर्चा सम्मिलित नहीं है जो भवन, औजारों तथा उपकरणों, फर्नीचर आदि पर खर्च किया जाता है और जिसका प्रत्येक शिक्षणार्थी के आधार पर हिसाब नहीं लगाया जा सकता। आवर्ती और अनावर्ती दोनों ही प्रकार का खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 60 : 40 के अनुपात में विभाजित होता है और संघीय राज्य-क्षेत्रों में तो पूरा खर्च केन्द्रीय सरकार ही वहन करती है।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड की निर्यात योजना

933. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड बंगलौर, ने कोई निर्यात योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कारखाने द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय आयोजन अवधि के प्रथम दो वर्षों में अर्थात् 1966-67 और 1967-68 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा निर्यात से लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाये जाने की संभावना है। इस कम्पनी द्वारा निर्यात से विदेशी मुद्रा का और अर्जन, मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होगा।

बीस वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का संयुक्त राज्य अमरीका जाना

934. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 768 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा बीस वर्ष से कम के व्यक्तियों को प्रति वर्ष आमंत्रित किया जा रहा है ;

(ख) इन विद्यार्थियों को क्या सुविधायें दी जा रही हैं ;

(ग) बीस वर्ष से कम आयु के ये व्यक्ति किन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं; और

(घ) क्या रूस जाने के बारे में भी एक ऐसी ही योजना है ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सोन्दरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी, हां। 16—18 आयु वर्ग के बीस वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमरीका की एक निजी संस्था आंरिकन फील्ड सर्विस इन्टरनेशनल स्कोलरशिप आर्गनाइज़ेशन, न्यूयार्क द्वारा आमंत्रित किया गया है।

(ख) अमेरिकी परिवारों के साथ भोजन और रहन-सहन की सुविधायें (2) जेब खर्च (3) (3) संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयार्क से और तक की यात्रा सुविधाएं और (4) भारत से और तक के लिए समुद्री मार्ग व्यय ।

(ग) लगभग एक वर्ष के लिए 'पब्लिक स्कूलों' में उपस्थिति और जगह दिखाने के लिए और अन्य देशों के लगभग इसी प्रकार 3000 छात्रों के साथ भेंट कराने के लिए अमेरिका के विभिन्न भागों का तीन सप्ताह का भ्रमण ।

(घ) जी, नहीं ।

प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज, कालीकट

935. **श्री अ० ब० राघवन्** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन् :
श्री उमानाथ :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको पता है कि कालीकट में प्रादेशिक इंजीनियरी कालिज के छात्रावास में स्थान की भारी कमी हैं ;

(ख) यदि हां, तो छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इस समय छात्रावास में छात्रों की संख्या क्या है और एक कमरे में औसतन कितने छात्र रहते हैं ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। छात्रावास सुविधा में कुछ कमी है।

(ख) दो और छात्रावास भवनों का निर्माण चल रहा है । फिलहाल कुछ विद्यार्थियों को स्टाफ क्वार्टरों में जगह दी गई है ।

(ग) 647 विद्यार्थियों को नियमित छात्रावासों में तथा 90 विद्यार्थियों को स्टाफ क्वार्टरों में जगह दी गई है। तीन सीट वाले छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन विद्यार्थी, एक सीट वाले छात्रावास के प्रत्येक कमरे में एक विद्यार्थी और प्रत्येक स्टाफ क्वार्टर में तीन विद्यार्थी रह रहे हैं।

कागज निगम

936. श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 27 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्त र के सदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कागज निगम कब तक स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) निगम के मुख्य कार्य क्या होंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) कागज निगम को स्थापित करने में और उसके कार्यों को निर्धारित करने में अभी लगभग छः महीने लगेंगे।

कार्यकारी पार्षदों का वेतन

937. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों से उनके वेतन तथा भत्ते के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक कार्यकारी पार्षद को 150 रुपये प्रति मास का आतिथ्य भत्ता दिया जाये । यह भी कहा गया कि 100 रुपये प्रतिमास का वर्तमान गाड़ी-भत्ता अपर्याप्त है। प्रत्येक कार्यकारी पार्षद को एक मोटर कार के मुफ्त उपयोग तथा एक चालक की सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है ; 100 रुपये प्रतिमास का गाड़ी भत्ता ऐसी कारों की रख-रखावट के लिए दिया जाता है।

('ग) वेतनों तथा भत्तों की दृष्टि से दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों को संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों के समान रखा गया है। ऐसे मंत्रियों के बारे में की गई व्यवस्था को देखते हुए कार्यकारी पार्षदों को कोई आतिथ्य भत्ता देना ठीक नहीं समझा गया । दिल्ली की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान गाड़ी-भत्ते को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

ग्यारह-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक तथा तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

938. **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक स्कूलों में ग्यारह-वर्षीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम तथा कालेजों में तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है ;

(ख) इन पाठ्यक्रमों को लागू करने में इन राज्यों के सामने क्या कठिनाइयां हैं तथा सरकार उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ग) क्या इन योजनाओं की क्रियान्वित में अब तक कोई त्रुटियां सामने आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश ने ग्यारह साल का उच्चतर सेकेंडरी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है। बम्बई विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने तीन-साल का डिग्री पाठ्यक्रम नहीं अपनाया है।

(ख) इन पाठ्यक्रमों को न अपनाने में पैसे और सुयोग्य अध्यापकों की कमी की दिक्कतें हैं।

(ग) और (घ) शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का पैराग्राफ 2.09 देखने की कृपा की जाये, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है।

इंजीनियरिंग उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

939. **श्री इन्द्रजीग गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजूरी बोर्ड द्वारा इंजीनियरिंग कर्मचारियों के लिए जो अन्तरिम सहायता की सिफारिश की थी, उसका भुगतान सारे मालिकों ने कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो भुगतान न करने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) मजूरी बोर्ड द्वारा अपनी अन्तिम सिफारिशें कब तक भेजने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) राज्य सरकारों के माध्यम से सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है उसके ब्योरे की प्रतीक्षा की जा रही है और पूछी गयी जानकारी अभी नहीं दी जा सकती।

(ग) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि बोर्ड अपनी अन्तरिम सिफारिशें कब तक भेजेगी।

Escape of a Prisoner from Tihar Jail

940. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2440 on the 17th August, 1966, and state:

(a) the action taken against the officers responsible for the escape of a prisoner from the Tihar Jail; and

(b) if not, the reasons for the delay?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Four officials, whose negligence was held to be responsible for the escape of the prisoner, have been charge-sheeted.

(b) Does not arise.

दीमापुर रेलवे स्टेशन पर पाया गया बम

941. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 485 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीमापुर रेलवे स्टेशन पर पाये गये प्लास्टिक विस्फोटक बम के बारे में जांच सम्बन्धी रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना और समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अभियुक्तों का पता लगाने के लिये जबरदस्त जांच पड़ताल अभी तक जारी है और अब तक सात व्यक्ति जिनमें एक नागा भी शामिल है गिरफ्तार किये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Theft in Residence of West German Embassy Official

942. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2549 on the 17th August, 1966 and state:

(a) whether an inquiry into a case of theft in the residence of an official of the West German Embassy has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the causes for the delay?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Three persons were arrested in this connection and the case has been put in the court.

विज्ञान तथा औद्योगिकी की पुस्तकों का आयात

943. श्री रा० बरुआ :
डा० कर्णी सिंहजी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की आयातित पुस्तकों के मूल्य प्रति दिन बढ़ रहे हैं, विशेषतया अवमूल्यन के बाद से; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी पुस्तकों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को आम तौर यह बताया जा रहा है कि अवमूल्यन के कारण विज्ञान तथा तकनीकी विषयों से सम्बन्धित पुस्तकों के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं ।

(ख) विज्ञान और तकनीकी विषयों की पुस्तकों के सम्बन्ध में आयात नीति को उदार बना दिया गया है और यह निश्चय किया गया है कि सामयिक पत्र और पत्रिकाओं के अतिरिक्त पुस्तकों को आयात करने के लाइसेंस इस शर्त पर दिये जायेंगे कि आयात करने वाले उनका मूल्य नियमित फुटकर भावों से अधिक न लें, जो रुपयों में विनिमय की सरकारी दर के आधार पर तय किये गये हैं। ऐसे आवश्यक कदम भी उठाये जा रहे हैं जिनसे अपने देश में ही पाठ्य पुस्तकों का लेखन कार्य अधिकाधिक हो सके ।

अध्यापकों के लिये त्रि-लाभ योजना

944. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मौर्य :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री बागड़ी :
श्री तन सिंह :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थिति को सुधारने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई त्रि-लाभ योजना को लागू करने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) योजना की क्रियान्विति में हुई प्रगति का राज्य वार ब्योरा क्या है ;

(ग) योजना से क्या लाभ प्राप्त होंगे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार योजना को प्रभावी तथा स्कूलों के अध्यापकों के लिए वास्तव में लाभदायक बनाने के हेतु राज्य सरकारों को कितनी सहायता दी है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी हां। संघीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे कदम उठाये हैं।

(ख) लोक सभा में 15 अप्रैल 1964 को तारांकित प्रश्न संख्या 1048 पर श्री युद्धवीर सिंह चौधरी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सिलसिले में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में 25-7-66 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार।

(ग) योजना में पेंशन, उपदान, अंशदायी निर्वाह निधि और बीमा की व्यवस्था है।

(घ) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता विकास के शीर्षक के लिए समग्र रूप से दी जाती है और इस योजना के लिए अलग से नहीं।

विभिन्न मजूरी बोर्डों की कार्य-प्रणाली का पुनर्विलोकन

945. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपालसिंह :
श्री नम्बियार :
श्री उमानाथ :
श्री अ० व० राघवन:
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विभिन्न मजूरी बोर्डों की कार्य-प्रणाली का पुनर्विलोकन करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और समिति के निर्देश-पद क्या हैं;

(ग) क्या सरकार 'उचित मजूरी' समिति के प्रतिवेदन में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर मजूरी ढांचा बनाने के सरकार के निश्चित अनुदेशों के बावजूद न्यूनतम मजूरी के बारे में विभिन्न मजूरी बोर्डों की राय भिन्न-भिन्न है;

(घ) क्या सरकार ने बोर्ड द्वारा सिफारिशें दिये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) क्या सब मजूरी बोर्डों के कार्य के लिए एक केन्द्रीय सचिवालय की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

श्रम रोजगार, तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां ।

(ख) समिति के सदस्यों चयन और निर्देश -पदों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) विभिन्न उद्योगों के लिए जो समान रूप से फले फूले हुये नहीं हैं और जिनकी अपनी पृथक पृथक समस्याएं और परिस्थितियां हैं, व्यक्तिगत रूप से मजूरी बोर्डों की स्थापना की जा रही है । मजूरी बोर्डों के लिए निस्संदेह यह आवश्यक र कि वे सम्बन्धित उद्योगों की व्यक्तिगत सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें उन सिद्धांतों के आधार पर दें जो 'उचित मजूरी' समिति के प्रतिवेदन में प्रतिपादित हैं ।

(घ) नहीं । तथापि, प्रस्तावित समिति विभिन्न मजूरी बोर्डों द्वारा लिये गये समय के प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

(ङ) यह मामला विचाराधीन है ।

पुरातत्वीय खोज

946. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**
श्री यशपालसिंह : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 856 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड द्वारा इस बीच पुरातत्वीय महत्व के स्थानों की खोज तथा खुदाई सम्बन्धी मामले पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया हां ?

शिक्षा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है, जिसमें ब्योरे दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7268/66]**

बलिहारी कोयला खान के श्रमिकों को मजूरी

947. श्री मौर्य : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बागड़ी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री बलिहारी कोयला खान के श्रमिकों को मजूरी के न दिये जाने के बारे में 7 सितम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4273 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्धकों के विरुद्ध की गई अथवा की जाने वाली कानूनी कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

श्रम रोजगार, तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : मजरी भुगतान अधिनियम के अधीन श्रम न्यायालय में अप्रैल से अगस्त 1966 तक के मासिक मजूरी और जुलाई 1966 तक के छुट्टी मजूरी के सम्बन्ध में दावे दायर किये गये हैं ।

दिसम्बर 1966 और मार्च 1966 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिये बोनस का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र अधिकारी से प्रमाण-पत्र मांगा गया है। जून 1966 को समाप्त होने वाली तिमाही के सम्बन्ध में भी यही कार्यवाही की जा रही है।

बोनस भुगतान अधिनियम के अधीन 1964 का बोनस, 23 जुलाई 1966 से छुट्टियों की मजूरी साप्ताहिक मजूरी तथा अन्य देय राशियों के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है या की जाने वाली है।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

948. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) चौथी योजना को अभी सरकार द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया जाना शेष है । फिर भी प्रारम्भिक संकेतों के अनुसार लगभग 8 000 क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनके लिए पूंजी और साधन उपलब्ध हों ।

बस्तर में गोलीकाण्ड के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

949. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सदस्यीय जांच आयोग ने बस्तर गोली काण्ड के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और क्या केन्द्रीय सरकार को इसकी एक प्रति प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उसे सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) क्या जांच की उपपतियों के परिणामस्वरूप कोई दाण्डिक कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस आयोग को मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्त किया था और यह उस सरकार को अपना प्रतिवेदन देगा । यह प्रतिवेदन अभी तक नहीं दिया गया ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

गैर-कानूनी घोषित की गई पुस्तकें

950. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक किन-किन पुस्तकों को गैर-कानूनी घोषित किया गया है या पाबन्दी लगायी गई है अथवा जब्त किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में संसार के विभिन्न भागों में हो रही गतिविधि को ध्यान में रख कर पुस्तकों को गैर-कानूनी घोषित करने और उन्हें जब्त करने के समूचे प्रश्न पर पुन-र्विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पुस्तकों को गृह मंत्रालय द्वारा भारत सुरक्षा नियमों अथवा अपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गैर-कानूनी घोषित किया जाता है । अपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत आदेशों को सदा ही राज-पत्र में अधिसूचित किया जाता है । भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले आदेशों को भी आमतौर पर राज-पत्र में अधिसूचित किया जाता है ।

सरकार के पास राज्य पुलिस द्वारा दी जाने वाली जब्तियों के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) पुस्तकों को गैरकानूनी घोषित करने तथा उस पर पाबन्दी लगाने से सम्बन्धित नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि इसका आधार देश में लागू विधि-नियम है ।

नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

951. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी:**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य का पुनरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य में किस सीमा तक वृद्धि की गई है तथा किस प्रकार प्राप्त किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दण्डकारण्य में कताई मिल

952. **श्री विश्राम प्रसाद :** **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बागड़ी :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री** 27 जुलाई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 454 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य में कताई मिल स्थापित करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो मामले में कब निर्णय दिया जायगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) पुनर्वास उद्योग निगम के निदेशक-मंडल ने इस बीच यह निर्णय किया है कि प्रस्तावित योजना को छोड़ दिया जाय। जिन कारणों से निगम के निदेशक-मंडल ने इस योजना को छोड़ने का निर्णय किया उनका पूरा विवरण आज के अतारांकित प्रश्न संख्या 981 के उत्तर में दिया गया है।

डाक तथा तार विभाग में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पदों का आरक्षण

953. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग में तृतीय तथा द्वितीय श्रेणी के (अराजपत्रित) पदों में अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई पद सुरक्षित हैं ;

(ख) क्या सभी डाक सर्किलों, विशेषतया पश्चिमी बंगाल सर्किल में इस प्रकार पद सुरक्षित किये जाते हैं;

(ग) क्या पश्चिमी बंगाल सर्किल के आदिम जातियों के कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों में उच्च पदों के लिए पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्किल में तथा कलकत्ता के कार्यालयों में पृथक-पृथक रूप से पिछले दो वर्षों में कितनी पदोन्नतियां की गई हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां। वर्कशाप में फोरमैन को छोड़कर, जो कि एक समाप्तप्राय संवर्ग हैं श्रेणी ii (अराजपत्रित) के कोई संवर्ग नहीं है। श्रेणी iii में उन सभी पदों पर आरक्षण आदेश लागू रहते हैं, जिन पर नियुक्तियां सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। उन संवर्गों के सम्बन्ध में, जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा केवल

पदोन्नति या विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का चुनाव करके नियुक्तियां होती हैं, आरक्षण आदेश लागू रहते हैं।

(ख) तथा (ग).—जी हां।

(घ) (i) पश्चिम बंगाल सर्कल 1

(ii) कलकत्ता स्थिति कार्यालय (उसमें पश्चिम बंगाल सर्किल के वे कार्यालय शामिल हैं जो कलकत्ता में हैं)। 7

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना

954. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था ने नेफ्था से वाणिज्यक स्तर पर यूरीया बनाने के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना से बातचीत की है ;

(ख) क्या इस प्रयोगशाला ने उर्वरक बनाने की दिशा में कोई अनुसंधान-कार्य किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। छठे दशक के शुरू में, जिसके फलस्वरूप दो पेटेन्टों का आविष्कार हुआ।

(ग) उद्योग को दो पेटेन्ट 1960 में दे दिये गये थे किन्तु अभी तक उनका व्यापारिक दोहन नहीं किया जा सका है।

अमझोर के पाइराइट अयस्कों से गन्धक तैयार करना

955. **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अझोर से निकला हुआ सैकड़ों टन पाइराइट फिनलैंड की एक फर्म को यह पता लगाने के लिए भेजा गया था कि उस अयस्क से गंधक निकालने की कितनी सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो फिनलैंड की उस फर्म को इस कार्य के लिए क्या शुल्क दिया गया है या देना स्वीकार किया गया है और क्या उस फर्म से इस बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है;

(ग) क्या अभी अमझोर के पाइराइट के बारे में आवश्यक परीक्षण करने का कार्य किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला को सौंपा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) फिनलैंड फर्म को 69,000 डालर (अमरीकी डालर) की धनराशि अदा की गई। उक्त फर्म से रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ). : जी हां। राष्ट्रीय धात्विक प्रयोगशाला, जमशेदपुर : ईंधन गवेषणा संस्थान, धनबाद; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर और जादवपुर विश्वविद्यालय, खड़गपुर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी आदि को शामिल करते हुए कई विश्वविद्यालयों ने अमझोर के पाइराइट पर प्रयोगशाला अन्वेषण एवं तापीय आचरण पर कार्य किये। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं एवं विश्वविद्यालयों ने केवल प्रारम्भिक परीक्षण किये और अन्वेषण प्रयोगशाला सम्बन्धी परीक्षणों एवं पाइराइट के तापीय आचरण तथा निम्न श्रेणी के पाइराइट अयस्क आदि के परिष्करण तक सीमित थे।

प्रयोगशालाएं इस समय बड़े पैमाने पर तजुर्बों या प्रायोगिक संयंत्र परीक्षणों के करने के लिए सज्जित नहीं हैं।

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

956. **डा० कर्णी सिंहजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में लगभग 1400 ऐसे विद्यार्थियों को, जो दाखिला पाने के पात्र हैं, डिग्री पाठ्यक्रमों में दाखिला नहीं मिला; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं। कला और सामाजिक शास्त्रों के पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने के योग्यता रखने वाले सभी दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों को विभिन्न कालिजों में दाखिल कर लिया गया है। तथापि, 196 छात्रों को जो विज्ञान स्नातक (सामान्य) के पाठ्यक्रम के ग्रुप क और ख में दाखिला चाहते थे, उनको प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव के कारण दाखिला नहीं मिल सका।

(ख) प्रवेश की क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिए अलग राज्य

957. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कई विधायकों ने जिनमें उस राज्य से कुछ संसद् सदस्य भी शामिल हैं, केन्द्रीय सरकार के समक्ष एक अलग पहाड़ी राज्य की जिसमें उत्तर प्रदेश की कुमाऊं तथा उत्तर खण्ड डिवीजनें शामिल हैं, मांग प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग का मूल कारण क्या है और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के पहाड़ी ज़िलों और उनके तराई क्षेत्रों को मिला कर एक अलग राज्य बनाने के लिये एक सुझाव प्राप्त हुआ है । इस मांग का आधार यह है कि ऐसा करने से इन क्षेत्रों के विकास पर संकेन्द्रित रूप से ध्यान जा सकेगा । सरकार इस सुझाव के पक्ष में नहीं है ।

दिल्ली में जेब कतरने की घटनाएं

958. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में जेब कतरने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितने मामले पुलिस में दर्ज किये गये हैं; और

(ग) इस बुरी प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं । पिछले 6 मास (1-5-1966 से 31-10-1966 तक) की अवधि में दिल्ली में जेब कतरने के 731 मामले दर्ज हुए जबकि 1965 में इसी दौरान 744 मामले दर्ज हुए थे ।

(ग) जेब कतरने की घटनाओं को न होने देने के लिये उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :—

(एक) कुख्यात जेब कतरों को पकड़ने के लिये विशेष रूप से बसों के महत्वपूर्ण अड्डों, भीड़ वाले बाज़ारों, सिनेमा गृहों, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्मों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफेद कपड़ों में पुलिसजन तैनात किये जाते हैं ।

(दो) कुख्यात जब कतरों के छाया चित्र तैयार किये गये हैं जिससे पुलिसजन प्रभावशाली तरीके से निगरानी कर सकें ।

(तीन) सभी जेब कतरों से, जो पकड़े जाते हैं, पूरी पूरी पूछताछ की जाती है जिससे गिरोहों की गतिविधियों तथा जेब कतरने के मामलों का पता लगाया जा सके ।

(चार) कुख्यात जेब कतरों की गतिविधियों का, जिसमें उनकी पहले हुई दोषसिद्धियां तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 75 के अन्तर्गत दिया गया भयोत्पादक दण्ड भी शामिल है, आदिनांक अभिलेख रखने के लिये दिल्ली पुलिस द्वारा कदम उठाये गये हैं ।

(पांच) जेब कतरों को पकड़ने के लिये सावधिक अभियान भी चलाये जाते हैं ।

श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

959. **श्री प्र० चं० चक्रवर्ती :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 31 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस बीच श्रम सम्बन्धी मामलों की जांच करने के लिये श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के गठन तथा निर्देश पदों पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग के गठन तथा निदश-पदों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत राज्यों में गिरफ्तारियां

960. **श्री कोल्ला वेंकया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1966 से अब तक विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ख) उनकी गिरफ्तारी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गिरफ्तार किये जाने के बाद कुछ व्यक्ति रिहा किये गये थे;

(घ) क्या आसाम में नजरबन्द व्यक्तियों ने भूख हड़ताल कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने भूख हड़ताल की है;

(च) नजरबन्द व्यक्तियों द्वारा भूख हड़ताल करने के क्या कारण हैं तथा उनकी क्या मांगे हैं; और

(छ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (छ). राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

961. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें दिल्ली के उन व्यक्तियों ने, जिन्हें निष्क्रान्त सम्पत्ति आवंटित की गयी है, उस सम्पत्ति की पूरी कीमत चुकाये और उसका

हस्तान्तरण-पत्र अपने नाम में पंजीकृत कराये बिना ही ऐसी सम्पत्तियों के किरायेदारों के विरुद्ध, सम्पत्ति को खाली कराने के लिये कानूनी-कार्यवाही शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी अनियमित कार्यवाही को रोकने के लिये, जिससे किरायेदारों को परेशानी होती है, क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) अर्जित निष्क्रान्त सम्पति के खरीदने वाले को, या उसके सम्बन्धियों को देय जांचकृत दावों के मुआवज़े के आधार पर उस सम्पत्ति का अस्थायी कब्ज़ा क्रय मूल्य के भुगतान करने पर दे दिया जाता है। किरायेदार सम्पत्ति खरीदने वाले के किरायेदार बन जाते हैं और कथित तारीख से दो वर्ष तक उनसे मकान खाली नहीं कराया जा सकता। खरीदने वाला साधारण कानून के अन्तर्गत बेदखली का दावा कर सकता है। खरीदने वालों को सिविल अदालतों में जाने से नहीं रोका जा सकता यदि वे राहत लेने के लिये हकदार हैं।

नंगल स्थित उर्वरक कारखाने के पास फालतू भूमि

962. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 9 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1832 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को अब तक कितनी भूमि दी गई है;

(ख) उर्वरक कारखाने द्वारा कितनी भूमि में खेती की गई है; और

(ग) अभी कितनी भूमि बेकार पड़ी हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

भारी रसायन और उर्वरक उद्योगों के लिए मजूरी बोर्ड

963. **श्री प० कुन्हन :** **श्री उमानाथ :** -
श्री लक्ष्मी दास : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारी रसायन और उर्वरक उद्योगों के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने क्या प्रगति की है;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड ने श्रमिकों को कोई अन्तरिम राहत देने की सिफारिश की है और यदि हां, तो कब; और

(ग) मजूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मजूरी बोर्ड ने केरल, महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और मद्रास में कारखानों का दौरा किया है। 1-9-66 को एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की गई थी जिसमें

उत्तर मांगे गये थे। प्राप्त हुई प्रार्थनाओं के उत्तर में अन्तिम तिथि को 30-10-66 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) अभी नहीं।

(ग) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि बोर्ड की अन्तिम सिफारिशें कब तक आ जायेंगी।

कपड़ा उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

964. श्री प० कुन्हन : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने क्या प्रगति की है;

(ख) क्या मजूरी बोर्ड, मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है; और

(ग) क्या सरकार ने मजूरी बोर्ड द्वारा रिपोर्ट देने के बारे में समय निर्धारित किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अब तक बोर्ड ने 16 बैठकें की हैं और नियोजकों तथा मजदूरों के केन्द्रीय संगठनों के विचारों को सुना है।

(ख) जी, हां। कम मजूरी वाले कुछ क्षेत्रों के मजदूरों को अन्तरिम राहत देने का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में कर्मचारियों के लिए, समयोपरि कार्य

965. डा० मेलकोटे : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली के उन कर्मचारी जिन्होंने 12 जुलाई, 1966 को अपराह्न 3.30 बजे से 9.30 बजे तक अचानक हड़ताल कर दी थी, जमा हो गये भेजे जाने वाले तथा प्राप्त होने वाले तारों के काम को निपटाने के लिये समायोपरि कार्य पर लगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनको समयोपरि भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि दी गई; और

(ग) क्या हड़ताल करने वाले कर्मचारी उस दिन समयोपरि भत्ते के अधिकारी थे ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) कर्मचारियों के बीच कुछ झगड़ा था जिसके फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए काम रोक दिया गया था। इस घटना पर यथोचित प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इकट्ठा हुए परियात के निपटान के लिए समयोपरि भत्ते के आदेश दे दिये गये थे। समयोपरि काम के लिए सामान्य ढंग से अदायगी की गई। घटना के बाद सायंकाल 10.00 बजे से प्रातःकाल 7.00 बजे के दौरान किये गये समयोपरि काम के लिए अदा की गई रकम 1,092 रुपये 35 पैसे थी, जिसमें 495 रुपये 45 पैसे उन कर्मचारियों को अदा किये गये जो काम के रुके रहने की अवधि के दौरान पहले ड्यूटी पर थे।

डाक सेवायें

966. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले सत्र के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा दिल्ली से भेजे गये बहुत से पत्र, उनके घर पहुंच जाने के बहुत देर बाद अपने गन्तव्यों पर पहुंचे;

(ख) इस विभाग में आई इस अचानक अदक्षता के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनको पता है कि कालीकट से भेजे गये समाचारपत्र दिल्ली में एक सप्ताह के बाद आते हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पिछले सत्र के दौरान संसद् सदस्यों द्वारा डाक द्वारा भेजे गये पत्रों में देरी होने के किसी मामले का पता नहीं चला है। फिर भी इस वर्ष के दौरान संसद् सदस्यों से उनके पत्रों के वितरण में हुई देरी की लगभग एक दर्जन शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी जांच की गई।

(ख) केवल व्यक्तिगत मामलों में हुई देरी की शिकायतें विभाग के ध्यान में लाई गईं और ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि विभाग की कार्य-कुशलता का स्तर यकायक गिर गया है। देरी विभिन्न कारणों से हुई जैसे हवाई सेवाओं का रद्द किया जाना, अपर्याप्त पता या कुछ स्थानों पर कभी-कभी डाक का रोक लिया जाना।

(ग) कालीकट में दोपहर बाद डाक में डाले गये समाचार-पत्र दिल्ली में आमतौर पर छठे दिन वितरित किये जाते हैं, क्योंकि जब तक उन पर हवाई अधिभार अदा न किया गया हो, उन्हें जल-थल मार्ग द्वारा ले जाया जाता है। डाक-तार महानिदेशालय द्वारा इन समाचार-पत्रों में हुई देरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

डाकखानों के माध्यम से बीमे की किश्तों की राशि की वसूली

967. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखानों के माध्यम से बीमे की किश्तें लेना बहुत सफल सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने डाकखानों में इसे आरम्भ किया गया है;

(ग) क्या उसे सभी उप-डाकघरों में भी लागू किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना इस समय नौ डाक-तार सर्कलों में 1986 डाकघरों में लागू है।

(ग) इस योजना को उन डाकघरों में लागू करने के आदेश पहले ही जारी कर दिये गये हैं जिनमें जीवन बीमा निगम इस सुविधा को देना चाहती है। जब कभी जीवन बीमा निगम किसी

विशेष डाकघर में इस सुविधा को प्रदान करने के लिये विभाग से कहती है, उसे वहां लागू कर दिया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन

968. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया–बरौनी पाइप लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कार्य में कुछ देरी हुई थी ।

(घ) कुछ पम्प स्टेशनों के लिये भूमि-अर्जन करने में अधिक समय लगा । इसके अलावा पाइप बिछाने के लिये खुदाई कार्य में अधिक चट्टानें मिलीं ।

Cheating by a Financier in Delhi

969. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a financier of New Delhi has disappeared after cheating 2,000 persons as reported in "The Hindustan" dated the 24th September, 1966;

(b) whether it is also a fact that the agrieved persons have lodged a report with the Police and 500 others have also complained against another financier of the same type; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). It has been reported that the proprietor of an 'Inami's Scheme' has disappeared and is still untraced. A number of complaints against finance companies of this type also been lodged with the Police.

(c) The cases are under investigation.

Theft of Telephone Wires

970. Shri Bade:
Shri Hukim Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a gang has been apprehended indulging in cutting of telephone wires in Etawah District in September, 1966;

(b) whether it is also a fact that two Policemen were injured as a result of the clash with this gang; and

(c) if so, the action taken by Government in regard thereto?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes, Sir.

(b) There is no information of the Police personnel having been injured as a result of this clash.

(c) The persons arrested have confessed to having cut telegraph wires. Further investigations are in progress.

Indian School Certificate Examination

971. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fees for the Indian school certificate examination have to be paid to the Cambridge University in Sterling.

(b) if so, whether keeping in view of the national importance of education and the need to preserve foreign exchange, Government contemplate to set up a board for conducting this examination in the country itself;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) the total amount of foreign exchange spent on this examination during 1965-66; and

(e) Government's contribution thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) An autonomous body known as the Council for the Indian School Certificate Examination has already been set up in India to conduct this examination. This is an Indian organisation and consists of the representatives of certain State Governments, the Inter-University Board of India, the Inter-State Board for Anglo-Indian Education, Heads of Public Schools including Sainik Schools, Heads of Anglo-Indian Schools and other affiliated institutions.

(d) Rs. 2,76,579.27.

(e) Nil.

Expenditure on Governors and Lt.-Governors

972. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the total estimated expenditure, State-wise incurred annually on the salaries of the Governors of States and Lt.-Governors of Union Territories and on their staff and residences?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): The information is given in the attached statement. [Placed in Library, *See* No. LT.-7269/66].

Absorbing Staff of Education Commission

973. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of the gradual winding up of the Education Commission, new posts are being created to absorb its officers in the Ministry; and

(b) if so, the reasons for taking this action in view of the present economic difficulties of the country-

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Correspondence in Hindi

974. Shri Vishram Prasad:
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Mohan Swarup:
Shri Nardeo Snatak:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of letters or circulars addressed by his Ministry to the Governments of Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the period 26th January, 1965 to August, 1966 on matters relating to (i) law and order, (ii) Jails, (iii) census and (iv) internal peace;

(b) letters or circulars among them were sent in Hindi or were accompanied with their Hindi translation; and

(c) whether any arrangements are being made whereby in future letters to these State Governments are either addressed in Hindi or they are accompanied with their Hindi translation?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Only during this period circulars relating to law and order were issued.

(b) None.

(c) A Sub-Committee of the Hindi Salahkar Samiti has made a recommendation on this subject which is presently under consideration.

Officers Knowing Hindi

975. **Shri Kashi Ram Gupta:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Mohan Swarup:
Shri C. M. Kedaria:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the percentage of Class I and Class II Gazetted Officers working in the various Ministries of Government of India and their Attached and Subordinate offices who know Hindi; and

(b) the percentage out of them who are doing their official work in Hindi or are giving encouragement for noting and drafting in Hindi?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Arrest under D.I.R. in Rajasthan

976. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that persons were apprehended in every State under the Defence of India Rules during the year 1965-66;

(b) if so, the number of persons apprehended in Rajasthan under D.I.R. during the year 1965-66; and

(c) the number of persons out of them, who were convicted?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) Yes, Sir.

(b) The number of persons apprehended in Rajasthan under D.I.R. from 1st January, 1965 to 30th September, 1966 is 820.

(c) 179.

Fertilizer Factory in Kotah

977. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a scheme to set up a fertilizer factory in Kotah, Rajasthan;

(b) if so, the reasons for the delay in its installation;

(c) when it is likely to be commissioned; and

(d) the total expenditure to be incurred thereon and the production capacity of the factory?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) to (d). Messrs. Delhi Cloth and General Mills Co. Ltd., have been issued an Industrial Licence for the establishment of a fertilizer-cum-PVC plant at Kotah. The project is expected to be commissioned in the middle of 1969. The project when completed will cost Rs. 36 crores. The capacity of the plant will be as follows:—

Items of Manufacture	Tonnes per annum
Ammonia	160,000
Urea	240,000
Diammonium Phosphate	60,000
Ammonium Chloride	30,000

Shri B. L. Jalan also holds a licence for establishment of a fertilizer factory at Kotah with a capacity of 100,000 tonnes/year in terms of Nitrogen but the scheme has not made any significant progress.

Postal Rates for Diaries and Calendars

978. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some reduction has been made in the postal rates for sending calendars and diaries abroad;

(b) if so, what are the reduced rates; and

(c) the expected increase in exports as a result thereof?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Complimentary copies of Diaries and desk calendars conforming to certain conditions regarding the make-up are admitted in foreign post at concessional rates applicable to printed papers w.e.f. 1st September, 1966. No change has, however, been made in respect of calendars which could even earlier be posted to foreign countries on printed paper rates under certain conditions.

(b) The printed paper postage rates are:

Upto 50 grams	30 Paise
Each additional 50 grams or fraction thereof	15 Paise

(c) Nothing definite can be stated as there is not direct relationship of diaries and calendars with the quantum of exports of the country.

Building for Head Post Office, Kotah

979. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme to construct the building of Head Post Office, Kotah in Rajasthan has been pending for a number of years;

(b) whether it is also a fact that soil testing of that site has been done;

(c) if so, the reasons for delays in this regard; and

(d) when the work is likely to commence?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Yes, Sir.

(b) Yes.

(c) and (d). There has been no delay in taking up construction of the work. The scheme for construction of a Head Post Office Building at Kotah in Rajasthan was sanctioned in the end of June, 1965. Thereafter, preparation of working/detailed drawings and detailed estimates was taken up and tenders for the work invited. The work has already been awarded for execution in August, 1966, and the contractor has since started collecting materials at the site of the work.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

980. श्री उमा नाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पुनरीक्षण समिति ने योजना के दिल्ली केन्द्र के कार्य की कड़ी आलोचना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में योजना के कार्य को सुधारने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) इसके प्रकाशित प्रतिवेदन में समिति ने दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली चिकित्सीय सुविधाओं के प्रशासन की आलोचना की है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राज्य सरकारों सहित सम्बन्धित हितों के परामर्श से समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

(ग) जैसा कि समिति ने सुझाव दिया है, डिस्पेंसरी की इमारत की मरम्मत कराने और उसकी सफेदी कराने के लिये निगम ने कार्यवाही आरम्भ कर दी है और दिल्ली में योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय सुविधाओं के प्रशासन में सुधार करने के उपाय विचाराधीन हैं ।

जगदलदुर में कताई मिल

981. श्री वाडीवा : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 2 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4129 के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें विस्तार-

पूर्वक वे कारण दिये गये हों जिनके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान से आये नये आप्रवासिकों को रोजगार देने के लिये निगम के निदेशकों द्वारा जगदलपुर में कताई मिलें, जिसका काफी प्रचार किया गया था, नहीं खोली जा सकीं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चहवाण) : 23 अगस्त, 1966 को पुनर्वास उद्योग निगम के निदेशकों की जो बैठक हुई थी उसकी कार्यवाही के अनुसार इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी कि कताई मिल में विनियोजन की पूंजी और रोज़गार दिये जाने वाले विस्थापित व्यक्तियों के बीच क्या अनुपात होना चाहिये और सामान्य राय यह थी कि परियोजना अधिक पूंजी गहन प्रतीत होती थी। कुछ सदस्यों ने दण्डकारण्य के उद्योगीकरण में कताई मिल कार्य जैसी मोटी बातों पर जोर दिया। दूसरी ओर अन्य सदस्यों को इस बात पर सन्देह था कि परियोजना आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी हो जायेगी और इस पर कि ऐसी नई परियोजना के लिये, जिसमें इस समय इतनी बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, निधियां प्राप्त हो जायेंगी। अन्त में बोर्ड ने बहुमत से यह निर्णय किया कि जगदलपुर में कताई मिल स्थापित करने की परियोजना को छोड़ दिया जाये।

विश्व विद्यालय की शिक्षा का माध्यम

982. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भ.गवत झ. आज.द :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री व.सप्पा :
श्री दे० जी० नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषाओं के विषय में योजना आयोग की शिक्षा सम्बन्धी तालिका और शिक्षा आयोग के बीच बड़ा मतभेद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मतभेद रहे हैं; और

(ग) मतभेद किस प्रकार दूर किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (**श्री मू० क० चागला**) : (क) और (ख). शिक्षा आयोग और आयोजना आयोग की तालिका के विचारों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) शिक्षा आयोग की सिफारिशें शैक्षिक समस्याओं पर विभिन्न निकायों की चर्चा के आधार का काम कर रही है। व्यक्त किये गये विचारों से किसी मतभेद के समाधान का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में शिक्षा आयोग की सिफारिश--- (पैरा 134 का संक्षेप)--नीचे दी जाती है :---

"(1) दस सालों के क्रमबद्ध-कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा-माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को स्वीकृत किया जाना चाहिए।

(2) प्रारम्भ के समय अवर-स्नातक पाठ्यक्रम पठन पाठन अधिकांशतः प्रादेशिक भाषा के जरिए चल सकता है, जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी में शिक्षा दी जानी चाहिए।"

2. आयोजना आयोग की तालिका के विचार जो कि सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में बैठी थी, नीचे दिए जाते हैं :—

"वर्ग (ग्रूप) ने माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा-माध्यम के प्रश्न पर विचार किया। बहुमत का विचार था कि शिक्षा माध्यम एक भारतीय भाषा होनी चाहिए, परन्तु एक अल्पमत का विचार यह भी था कि सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा-माध्यम एक ही भाषा होनी चाहिए, हालांकि इसमें मतभेद था कि यह भाषा अंग्रेजी हो अथवा हिन्दी। फिर भी सबकी एक सम्मति थी कि विश्वविद्यालय स्तर पर कई वर्षों तक द्विभाषाओं का रहना टाला नहीं जा सकता।"

दार्जिलिंग जिले में प्राचीन नगर के अवशेष

983. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग जिले में बदमातम के नीचे बड़े रणगीत की दक्षिणी पर्वत्त-मालाओं में चार दीवारी से घिरा हुआ एक प्राचीन नगर, दीवारें तथा ऊंची चोटियों और टट्टुओं के चलने की पगडंडियों के बीच फैले हुए स्मारकों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राचीन अवशेष का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) बदमातम् के अवशेषों में सूखे रोड़ों की चिनाई का एक बड़ा कमरा उल्लेखनीय है जो किसी किले की दीवार हो सकती है। इस के अतिरिक्त इस क्षेत्र में, पत्थर की चकरी का एक बहुत बड़ा समूह, भ्रमक महापाषाण स्मारक भी देखे गए हैं। एक अन्य उल्लेखनीय प्राप्ति कालिम्पोंग प्लेटों के सैल्ट जैसा नवपाषाण सैल्ट थी।

केरल में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

984. **श्री मणियंगाडन** : क्या **संचार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 में केरल में वेलाथूवल में एक सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक स्थापित नहीं करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब स्थापित होने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) तकनीकी कठिनाइयों के कारण इसे नहीं खोला जा सका है।

(ग) इसकी तकनीकी संभाव्यता का अनुमान लगाने, साथ ही यह अनुमान लगाने के लिए कि यह लाभप्रद है अथवा नहीं केरल सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा मामले की फिर से जांच की जा रही है ।

इस समय इसे खोलने की संभावित तारीख बताना संभव नहीं है ।

केरल से निष्कासन

985. श्री मुहम्मद कोया : क्या गृह-कार्य मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल से निष्कासन के बारे में मणियंगाडन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकार ने किन किन सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने मणियंगाडन समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित निर्णय लिये हैं :

(एक) बनों के जिन क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से भूमि पर लोगों ने अधिकार किया हुआ है उन क्षेत्रों के सर्वेक्षण और प्रगणना तथा पहचान-पत्र जारी करने का काम अविलम्ब पूरा किया जाना चाहिये और ऐसा कर लिये जाने के पश्चात् बनों के क्षेत्र में बिना पहिचान-पत्र पाये जाने वाले व्यक्तियों को संक्षिप्त कार्यवाही के पश्चात् निकाल दिया जाना चाहिए ।

(दो) यह जानने के लिए कि क्या भारत सरकार से कोई वित्तीय सहायता बन क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों को राज्य से बाहर बसाने की किसी योजना के लिए कोई सहायता प्राप्त होगी उससे सम्बन्ध स्थापित किया जाए ।

(तीन) उप-समिति की सिफारिशों में शामिल अन्य सभी विषयों के बारे में यथा-स्थिति बनाये रखने के लिए ।

पुलिस द्वारा गोली बारी

986. श्री प० ह० भील : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 में देश भर में पुलिस अधिकारियों ने कितनी बार गोली चलाई ;

(ख) उपरोक्त अवधि में जनता अथवा छात्रों ने कितने पुलिस थानों पर आक्रमण किया;

(ग) गोली चलाई जाने के परिणामस्वरूप कितने छात्र अथवा अन्य व्यक्ति मारे गये ;

(घ) कुल कितने मूल्य की सरकारी तथा गैर सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ङ) गोली चलाई जाने की घटनाओं में कितने पुलिस कर्मचारी मारे गये अथवा घायल हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7270/66]**

पालमपुर में केन्द्रीय जीव सम्बन्धी अनुसंधान प्रयोगशाला

987. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालमपुर में केन्द्रीय जीव अनुसन्धान प्रयोगशाला को चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने के लिए मुल्तवी कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोगशाला में कब कार्य आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिष्द के लिए, जिसका जीव-विज्ञान प्रयोगशाला एक भाग है, चौथी पंचवर्षीय आयोजना में प्राथमिकताएं अभी तय करनी हैं ।

(ख) प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए समय-सूची बताना अभी कठिन है ।

अनुसूचित आदमि जातियों में शिक्षा

988. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 140 की तालिका 6.8 के अनुसार , शिक्षा आयोग को "अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा (1961)" **और** उससे सम्बन्धित ब्यौरों के बारे में अपने आंकड़ें संकलित करने के लिए उड़ीसा से कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या आयोग की इस बात पर, कि वे आंकड़ों सम्बन्धी जानकारी के लिए नये प्रपत्रों के जारी किये जाने तथा आदिम जातियों में शिक्षा के प्रसार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विशेष जांच पड़ताल आरम्भ किये जाने का स्वागत करेंगे, ध्यान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन किन बातों में सुधार करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) उड़ीसा में अनुसूचित कबीलों के बीच शिक्षा के संबंध में वर्ष 1960–61 के आंकड़े सांख्यकीय विवरण और प्रकाशन को आखीरी रूप दे देने के बाद राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे और इसीलिये वह निश्चय किया गया था कि इन्हें रिपोर्ट में शामिल न किया जाए ।

(ग) जी हां ।

(घ) अनुसूचित जातियों और कबीलों के संबंध में आंकड़ों के संग्रह के लिए 1964–65 से नए फार्म लागू किए गए हैं । विशेष जांच आरम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

औषधियों के मूल्य

989. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमा नाथ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो मास के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि पिछले दो मास में बहुत सी महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्य असाधारण रूप से बढ़ गये हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांधी जयंती के उपलक्ष में सवेतन अवकाश

990. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमा नाथ :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा और निगरानी वालों ने अजुध्या टेक्सटाईल मिल्स, दिल्ली में मजदूरों पर, जो 2 अक्तूबर, 1966 को गांधी जयंती दिवस के उपलक्ष में वेतन सहित अवकाश के लिए अपनी मांग के समर्थन में धरना दे रहे थे, लाठी चलाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मजदूरों पर, जब वे कारखाने के द्वार के सामने खड़े थे, कारखाने के भीतर से ईंटों के टुकड़े फैंके गये थे ;

(ग) यदि हां, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा इस मामले में घटनास्थल पर क्या कार्यवाही की गई थी ;

(घ) क्या कपड़ा मजदूर लाल झंडा संघ ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मजदूर संघों ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें ऐसा एक आरोप लगाया गया है ।

(ग) पुलिस स्थान पर तेजी से गई और स्थिति पर काबू पा लिया ।

(घ) जी हां ।

(ड़) लाल झंडा संघ की रिपोर्ट पर एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है ।

अयोध्या कपड़ा मिल में सवेतन छुट्टियां

991. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमा नाथ :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अयोध्या कपड़ा मिल के अधिकतर श्रमिकों ने उस करार को नामंजूर कर दिया है जो प्रबन्धकों और कुछ मजदूर संघों के बीच श्रमिकों को दी जाने वाली सवेतन छुट्टियों और अन्य सुविधाओं के बारे में किया गया था और क्या इन श्रमिकों ने दिल्ली के श्रम विभाग को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन पत्र दिया है ;

(ख) दिल्ली श्रम प्रशासन ने उस ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस करार पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ श्रमिक संघों ने श्रम विभाग से उक्त करार को पंजीकृत न करने के लिए कहा था और यदि हां, तो उन मजदूर संघों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या यह करार अब भी श्रमिकों पर लागू है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) जिस करार पर आपत्ति उठाई गई थी उसको पंजीकृत नहीं किया गया है ।

(ग) जी हां, संघों के नाम हैं : कपड़ा मजदूर एकता संघ और कपड़ा मजदूर संघ ।

(घ) यह कानूनी रूप से लागू नहीं है ।

गांधी जयन्ती के उपलक्ष में छुट्टी

992. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री उमा नाथ :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अजुध्या टेक्सटाइल मिल्स, दिल्ली के प्रबन्धकों ने इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष में सवेतन छुट्टी देने से इन्कार कर दिया जबकि यह पहले सवेतन दी जाती थी ;

(ख) क्या यह भी सही है कि यह सवेतन छुट्टी प्रबन्धकों तथा कुछ मजदूर संघों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप नहीं दी गई थी और यदि हां, तो उन संघों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या हस्ताक्षर करने वाले संघों में से किसी संघ ने बाद में इस समझौते को मान्यता देने से इन्कार कर दिया था और यदि हां, तो उस संघों का क्या नाम है ;

(घ) संघ द्वारा समझौते की मान्यता न देने के क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ; प्रबन्धकों के नुसार महिला कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों को पहले भी गांधी जयन्ती के दिन का वेतन नहीं दिया गया था।

(ख) जी हां। संघों के नाम हैं : (एक) कपड़ा मजदूर एकता संघ, शाखा अजुध्या टैक्सटाइल मिल ; (दो) कपड़ा मजदूर संघ, शाखा अजुध्या टैक्सटाइल मिल ; (तीन) कपड़ा मिल मजदूर संघ शाखा अजुध्या टैक्सटाइल मिल।

(ग) कपड़ा मजदूर एकता संघ और कपड़ा मजदूर संघ दोनों ने इस समझौते को (दिनांक 15 मार्च, 1966) मान्यता देने से इन्कार कर दिया।

(घ) कपड़ा मजदूर एकता संघ के महामंत्री ने इस कारण इन्कार कर दिया कि उनकी ओर से इस पर उन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे जिन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था और यह कि उनके पंजीकृत संविधान के अनुसार महामंत्री के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता जब तक कि संघ की कार्यकारिणी समिति द्वारा उचित रूप से प्राधिकार न दिया जाये।

कपड़ा मजदूर संघ ने इस कारण इन्कार किया कि उनकी संघ को ऐसे किसी समझौते की जानकारी नहीं थी।

(ङ) इन आपत्तियों को देखते हुए औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौते को पंजीकृत नहीं किया गया था। तथापि, दिल्ली प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और इसको शांतिपूर्वक निपटाने का प्रयत्न कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अध्यापक

993. श्री नम्बियार :
श्री उमा नाथ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 सितम्बर, 1966 को दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों ने 'काम न करने की' हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उस हड़ताल में कितने अध्यापकों ने भाग लिया था ; और

(ग) अध्यापकों की क्या मांगें थीं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) 395

(ग) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7271/66**]

Ministers' visit to AICC Session at Ernakulam in September, 1966

997. Shri Mohammed Koya: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Ministers and Deputy Ministers of Central Government who attended the Congress Session held in Ernakulam recently;

(b) the number of Government staff who accompanied them;

(c) the total expenditure incurred on Daily Allowances and Travelling Allowances of Ministers and Government staff;

(d) the total number of Policemen, posted for the security of the Ministers and the Prime Minister; and

(e) the total expenditure incurred thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Stones in Parcel of Gold

998. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 362 on the 27th July, 1966, and state:

(a) whether an enquiry into the gold parcel sent from Jabalpur found to contain stones has been completed and if so, outcome thereof;

(b) the number of persons involved; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the time likely to be taken to complete the enquiry?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao): (a) Both the police and departmental investigations are still in progress.

(b) The information will be available only on completion of police enquiries.

(c) Departmental enquiries are likely to be completed in about a fortnight. No information is available regarding the time likely to be taken by police authorities for completion of enquiries.

कोचीन में तेल संस्थान

999. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन आयल कम्पनी ने बर्मा शैल तथा अन्य तेल समवायों के साथ कोचीन स्थित उनके संस्थानों को अपने नियंत्रण में लेने के लिये बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) और (ख) . कोचीन में स्थित मैसर्स कालटैक्स (इण्डिया) लि० के संस्थान को खरीदने के लिए भारतीय तेल निगम उक्त कम्पनी के साथ अभी बातचीत कर रहा है। ऐसी कोई बातचीत बर्मा शैल या एस्सो से नहीं हुई।

बम्बई से कोचीन तक पैट्रोलियम उत्पादों का ले जाना

1000. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से कोचीन तक समुद्र द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के ले जाये जाने पर रोक लगा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं कि इन उत्पादों को सड़क मार्ग से न ले जाया जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन): (क) यह तय हुआ है कि कोचीन सप्लाई क्षेत्र मे कोचीन शोधनशाला के उत्पादों के वितरण को प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक कोचीन शोधन-शाला से आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, पैट्रोलियम उत्पादों को बम्बई से कोचीन तक समुद्र द्वारा नहीं ले जाया जायेगा।

(ख) रेल द्वारा ऐसा वहन न ही सुविधाजनक है और न ही रेलवे बोर्ड इसकी अनुमति देता है। मौजूदा मूल्य ढांचे के कारण भी बम्बई से कोचीन तक सड़क द्वारा टैंक लारियों से वहन सम्भव नहीं है।

देवली शिविर

1001. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवली स्थित केन्द्रीय नजरबन्दी शिविर के कमान्डेंट के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह आरोप कितने समय से लम्बित हैं ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग): एक ठेकेदार द्वारा देवली स्थित केन्द्रीय नजरबन्दी शिविर के कमान्डैन्माट के विरुद्ध कुछ शिकायतें जन 1965 में की गई थीं। सरकार ने उन पर विचार किया था और फरवरी 1966 में उन्हें जांच के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा था। उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को पुनः रोजगार देना

1002. श्री वारियर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय में सेवा-निवृत्त हुए कुछ कर्मचारियों को फिर नौकरी पर लगा लिया गया है ; और

(ख) उनको सेवा में लगाये रखने के क्या विशेष कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) जन हित की दृष्टि से।

केरल के क्विलोन तालुक में फलोरको कारखाने के लिए भूमि

1003. **श्री इम्बीचीबावा :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार क्विलोन तालुक (केरल) के प्रावुर गांव के कुरुमडल चेरी में फ्लोरको कारखाने के लिए 9 एकड़ भूमि अर्जित कर रही है।

(ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के मालिकों से सरकार को कोई याचिका मिली है जिसमें प्रधान मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया गया है और कुछ विकल्प सुझाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस याचिका पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) नारियल की चटाइयां बनाने के लिए एक यन्त्रीकृत कार्यशाला की स्थापना करने के लिए प्रावुर ग्राम की छः एकड़ और साठ सैन्ट भूमि के अर्जन के संबंध मे एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) इस भूमि के मालिकों को कम से कम कठिनाई पहुंचाते हुए इसके अर्जन की व्यवस्था की जा रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल समवाय

1004. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के चालू हो जाने के पश्चात् सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल समवायों के बीच सरकार के इस रवैये के बारे में गम्भीर मतभेद पैदा हो गये हैं कि इन समवायों को इस जोन में तेल शोधक करखानों से बम्बई और विशाखापतनम में उत्पादों की बिक्री नहीं करने दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी समवायों तथा सरकार द्वारा ठीक-ठीक क्या रवैया अपनाया गया था और इन मतभेदों को कैसे दूर किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिवर्षता की आयु

1005. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अधिवर्षता की आयु को बढ़ा कर 60 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या रवैया है ; और

(ग) इस समय देश में पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगारी और अपर्याप्त रोजगारी की स्थिति क्या है और सेवा निवृत्ति की आयु में प्रस्तावित वृद्धि किये जाने का इस स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठता।

खेमकरण नगर का पुनर्निर्माण

1006. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बसुमतारी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेमकरण नगर के पुनर्निर्माण की योजना सरकार को पेश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण):(क) जी नहीं। पुराने खेमकरण के साथ लगते हुए स्थान पर सरकारी भवनों और रिहायशी बस्ती के निर्माण की एक योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(एक) करीब 58 एकड़ भूमि का अर्जन तथा विकास;

(दो) अत्यावश्यक सरकारी इमारतों का निर्माण जैसे कि शिक्षा संस्थान , डिस्पेंसरी, नगर पालिका कार्यालय, मवेशियों का अस्पताल आदि;

(तीन) विभिन्न प्रकार के 275 मकानों की रिहायशी बस्ती का निर्माण;

(चार) अनाज मंडी एवं क्रय केन्द्र, बस स्टेंड, ट्रैक्टर कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र ।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात के भूतपूर्व इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस

1007. **श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भूतपूर्व इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस, श्री नागरवाला के सम्बन्ध में देवन आयोग के प्रतिवेदन की सतर्कता आयोग ने जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा है ; और

(ग) यदि भारत सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करना चाहती है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस स्थिति पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निष्कर्षों को प्रकट करना लोक हित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

(ग) मामले की अग्रिम जांच करके और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

बोनस का भुगतान

1008. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री अपने 9 दिसम्बर, 1965 के वक्तव्य के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमडल के 2 दिसम्बर , 1965 के निर्णय के अनुसार कितने सरकारी उपक्रमों ने अपने कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर अनुग्रहात भुगतान किया है ;

(ख) क्या इन भुगतानों की मात्रा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 में निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप है;

(ग) क्या यह सच है कि कि गोदी कर्मचारियों को भी बोनस का भुगतान किया जा रहा है जब कि वे अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो बड़े पत्तन न्यासों के कर्मचारियों को ऐसा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) बोनस आयोग की सिफारिशों के अनुसार कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और कोचीन की बड़ी बन्दरगाहों पर गोदी मजदूरों को बोनस दिया जा रहा है। अन्य बड़ी बन्दरगाहों पर भी नौभरकों को मनाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वे गोदी मजदूरों को बोनस दें।

(घ) गोदी मजदूरों को बोनस के स्थानप पर उपहारस्वरूप भुगतान देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

लाभ साझा बोनस

1009. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेबीसोल कोयला खान के प्रबन्धकों ने 1964 का लाभ साझा बोनस का भुगतान कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितने मजदूरों को उक्त बोनस दिया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) बेबीसोल कोयला खान के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को 1964 के लिए लाभ साझा बोनस का भुगतान करने के लिए एक योजना तैयार की थी जिसके अनुसार 22-9-66 से 30-11-1966 के दौरान विभिन्न तारीखों को उसका भुगतान किया जाना था। प्रबन्धकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने उसके अनुसार भुगतान करना आरम्भ कर दिया है। केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क सम्बन्धी व्यवस्था के शेष अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इस बात की छानबीन करें कि कि क्या प्रबन्धकों ने उनके द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार वास्तव में भुगतान किये हैं।

कोयला खानों में भविष्य निधि

1010. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1964, 1965 तथा अक्तूबर, 1966 तक कोयला खान भविष्य निधि में देय भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खानों द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान

1011. **श्रीमती विमला देवी :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाह व्यय देशनांक में 10 अंकों की वृद्धि होने पर कितनी कोयला खानों ने 1 अक्तूबर, 1966 से 4 रुपये 87 पैसे महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया है; और

(ख) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जिन्होंने महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य देशनांक में वृद्धि के परिणामस्वरूप कोयला खान मालिकों द्वारा बढ़ी दर पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिये जा सकने के लिये खान तथा धातु मंत्रालय ने 1-10-1966 को कोयले के मूल्य में 36 पैसे प्रति टन और नर्म कोक के मूल्य में 48 पैसे प्रति टन की वृद्धि की अधिसूचना दी थी। सरकार को सूचना मिली है कि 479 कोयला खानों ने 1-10-66 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का भुगतान किया है। किन किन कोयला खानों ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं किया है, इस बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कोयला खानों में दुर्घटनायें

1012. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री वारियर :
श्री दाजी :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों के नाम क्या हैं जहां पर 1965 में तथा 31 अक्तूबर, 1966 तक घातक दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जनवरी, 1965 से अक्तूबर, 1966 तक 342 घातक दुर्घटनायें हुईं। ये दुर्घटनायें देश की 280 कोयला खानों में हुई और कुल 661 व्यक्ति मारे गये जिनमें 28-5-65 को धोरी कोयला खान में मरे 268 व्यक्ति भी शामिल हैं। 92·8 प्रतिशत दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या एक थी।

केरल में मलयालम भाषा

1013. **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल राज्य के प्रशासन में मलयालम भाषा लागू करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): राज्य सरकार द्वारा एक विशेष अधिकारी मलयालम भाषा को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने के विषय में अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियुक्त किया गया था। उसके प्रतिवेदन के आधार पर, राज्य सरकार ने दो आदेश जारी किये हैं जिनके अनुसार समस्त विभाग अपने कार्यालयों में कुछ सीमा तक मलयालम का प्रयोग प्रत्येक स्तर पर करेंगे। इसके लिए कुछ विशेष उपाय भी किये गये हैं।

Central Hindi Directorate

1014. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Daljit Singh:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Ramapathi Rao:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Class I & II Gazetted Officers in the Central Hindi Directorate;

(b) the number of them who came from State Government services and their scales of pay before they joined the Directorate and their present scales of pay; and

(c) the scales of pay of these Officers who have been directly recruited at the time of their joining the Directorate and their scales of pay now?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan):

(a) (i) Number of Class I Gazetted Officers—12 (2 posts vacant).

(ii) Number of Class II Gazetted Officers—15 (one post vacant)

(b) and (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of Lok Sabha in due course.

वालकांट तथा डोंज के विरुद्ध मामले

1015. **श्री नाथ पाई :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनियल बालकॉट तथा डोंज के विरुद्ध चल रहे किसी मामले में निर्णय दिया गया है;

(ख) न्यायालय द्वारा अब तक दिये गये आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई मामले अब भी विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, एक मामला डेनियल हैली वालकॉट के ना डेविड वालकॉट के विरुद्ध और दूसरा जोन क्लौडे डोन्ज के विरुद्ध न्यायालय में निर्णीत किया गया है ।

(ख) डी० एच० वालकॉट तथा जे० सी० डोन्ज़ दोनों ही को अपराधी पाया गया और निम्न प्रकार से 5 वर्ष की कड़ी सज़ा दी गई :—

(1) विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 5 और 14 के अन्तर्गत तीन वर्ष की कड़ी सज़ा (गलत नाम का प्रयोग करने के अपराध में) ।

(2) मद्रास के ओशियानिक होटल में गलत नाम लिखाने के अपराध में विदेशी पंजीकरण अधिनियम धारा 5 के अधीन बरी किये गये ।

(3) भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम 55 (2)(ख) के अधीन तीन वर्ष की कड़ी सजा (उनके पास से जाली दस्तावेज प्राप्त होने के कारण) ।

(4) भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम 55(2)(ग) के अधीन तीन वर्ष की कड़ी सजा (मद्रास हवाई अड्डे के अधिकारियों को धोखा देने के अपराध में) ।

(5) भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम 55(2)(ग) के अधीन दो वर्ष की कड़ी सजा (मद्रास होटल ओशियानिक को धोखा देने के अपराध में) ।

(6) भारत सुरक्षा नियम, 1962 के नियम 26(2) के अधीन पांच वर्ष की कड़ी सजा (अनधिकृत स्थान पर भारत में प्रवेश करने के अपराध में) ।

(7) 1950 के पार-पत्र नियमों में से नियम 5 के अधीन—3 मास की कड़ी सजा ।

(8) भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखा-देही)—पांच वर्ष की कड़ी सजा ।

(9) भारतीय दंड संहिता की धारा 419 के अधीन (पररूप धारण)—दो वर्ष की कड़ी सजा ।

(10) भारतीय दंड संहिता की धारा 467—471 के अधीन (जाली पार-पत्र प्रयोग करने के अपराध में)—पांच वर्ष की कड़ी सजा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी ।

(ग) जी हां, दो मामले जिनमें डैनियल हैली वालकॉट तथा जीन क्लौथ डोन्ज दोनों ही शामिल हैं और एक-एक मामला वालकॉट तथा डोन्ज दोनों के विरुद्ध विचाराधीन शेष है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया जाने वाला व्यय

1016. **श्री प० कुन्हन :**
श्री इम्बीचीबावा :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की अनुसन्धान, गवेषणा तथा आयोजन संस्था द्वारा किये गये अध्ययन से इस बात का पता चला कि भारत में वैज्ञानिक अनुसन्धान पर बहुत कम व्यय किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसन्धान पर किये जाने वाले पूंजीगत व्यय का 75 प्रतिशत से अधिक व्यय अणु शक्ति विभाग पर किया जाता है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में किये जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान के स्तर की जांच करने का है और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अध्ययन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विकसित देशों की अपेक्षा भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश, राष्ट्रीय आय अथवा कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात में बहुत कम है ।

(ख) अध्ययन से पता चला है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के पूंजीगत व्यय का लगभग 75 प्रतिशत भाग भारत सरकार के परमाणु शक्ति विभाग द्वारा 1965–66 के दौरान खर्च किया गया था। इस खर्च का बड़ा हिस्सा विभाग की बिजली उत्पादन योजनाओं से सम्बन्धित था जिसे वैज्ञानिक खर्च के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता।

(ग) अध्ययन से वैज्ञानिक अनुसंधान पर सरकारी खर्च की प्रवृत्ति और विश्लेषण का पता चलता है और इसके अधीन किसी विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ

1017. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ ने संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था योजना को स्वीकार कर लिया है और इसने इसका उचित परीक्षण करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले रखी गई शर्तों में परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय परिषद् में, गृह मंत्रालय ने संचार विभाग के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिए सात स्थान नियत किये हैं। राष्ट्रीय परिषद् के सातों स्थान विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ के लिए नियत थे और उनसे गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए नामजदगी के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विभागीय परिषद् के विधान के सम्बन्ध में राष्ट्रीय डाक तथा तार कर्मचारी संघ से विचार-विमर्श किया गया है और शीघ्र ही किसी निर्णय के ले लिये जाने की सम्भावना है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और घोषित योजना की शर्तों में कोई रद्दोबदल करने का विचार नहीं है।

छम्ब जोरियां क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति

1018. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–पाकिस्तान संघर्ष के दौरान छम्ब जोरियां क्षेत्र से विस्थापित हुए व्यक्तियों में से अब तक कितने व्यक्ति अपने घर वापस भेज कर फिर से बसाये गये हैं;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो यद्यपि अपने घरों से दूर हैं तथापि उन्हें बसाया जा चुका है; और

(ग) कितने व्यक्ति अभी तक नहीं बसाये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) भारत–पाकिस्तान संघर्ष 1965 के दौरान छम्ब जोरियां क्षेत्र के लगभग 24,000 परिवार विस्थापित हुए थे जिनमें लगभग एक लाख व्यक्ति थे। इनमें से लगभग 22,000 परिवारों को उनके घरों को वापस भेज दिया गया है और अब तक लगभग 15,000 को पुनः बसाया गया है।

(ख) और (ग). लगभग 9,000 परिवार अब भी बसाये जाने शेष हैं जिनमें से लगभग 2,000 अब भी शिविरों में रह रहे हैं परन्तु वे उनको छोड़ कर घरों को वापस जा रहे हैं। उन सभी परिवारों को जिन्हें अभी तक नहीं बसाया गया है यथाशीघ्र बसा दिया जायेगा।

छम्ब सीमा पर रहने वाले लगभग 1,300 परिवारों को जम्मू डिविजन के अन्य भागों में बसाये जाने के लिये वैकल्पिक भूमि की पेशकश की गई है। कुछ ने आवंटित भूमि पर जाना आरम्भ कर दिया है जबकि कुछ अन्य व्यक्ति अपने मूल गांवों को वापस जा रहे हैं। निश्चित स्थिति का शीघ्र पता चलेगा।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कोजीकोडे

1019. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य में कोजीकोडे स्थित क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज बन्द है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) जी नहीं। अभी कालेज बन्द नहीं हुआ है। तथापि, विद्यार्थियों की हड़ताल के कारण 4 अक्तूबर, से 23 अक्तूबर 1966 तक कालेज बन्द कर दिया गया था।

पेट्रोल और नैपथा का निर्यात

1020. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 1965 और 1966 में विदेशी को पैट्रोल और नैपथा का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ग) निर्यात किन एजेन्सियों द्वारा किया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां।

(ख) 1965 332.00 लाख रुपये

1966 1-1-1966 से 5-6-1966 तक 23,600 लाख रुपये

6-6-1966 से 30-9-1966 तक 320 .00 लाख रुपये

(अवमूल्यन के पश्चात्)

(ग) बर्मा-शैल, एस्सो और कालटैक्स।

अध्यापकों के लिये यूनेस्को चार्टर

1022. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को ने अध्यापकों के लिये उनकी स्थिति, अधिकारों तथा दायित्वों के बारे में एक चार्टर को स्वीकार किया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस चार्टर को मान लिया है और इसका अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या चार्टर की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) पैरिस में 21 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1966 तक यूनेस्कों द्वारा बुलाये गये एक विशेष अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अध्यपकों की व्यवसायिक सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में तथा उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय वचनपत्र का अनुमोदन किया है ।

(ख) और (ग) यूनेस्कों से अन्तर्राष्ट्रीय वचत पत्र की पाठ की प्राप्ति पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(घ) जी हां ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

1023. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि योजना के बारे में 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3879 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिकों की कुछ श्रेणियों को भविष्य निधि का लाभ पहुंचाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चूंकि अधिनियम के संशोधन के लिए अनेक प्रस्ताव विचाराधीन है, इसलिए निर्णय करने में अभी कुछ और समय लगेगा ।

उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी

1024. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1639 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से उत्तर प्रदेश में गन फैक्टरी के मामले पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्यौरा तैयार कर लिया ह ; और

(ग) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्यौरा तैयार नहीं किया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Collaboration of Fertilizer Projects with Kuwait

1025. **Dr. Mahadeva Prasad:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether it is fact that Kuwait has recently sought collaboration in the implementation of Fertilizer Projects in India; and

(b) if so, the terms thereof?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) and (b). A suggestion was made by the Kuwait delegation which visited India in June, 1966 that a fertilizer factory, jointly financed by India and Kuwait, may be set up to produce fertilizers from imported ammonia from Kuwait. It was pointed out that cheap raw materials were expected to be available within India and fertilizer production based on imported ammonia cannot be considered.

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं

1026. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण (1957—59) में बताये गये तथ्य अर्थात् ग्रामीण और नगरीय जनता के बीच शिक्षा संस्थाओं के वितरण में महत्वपूर्ण अन्तर की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और किस सीमा तक इस अन्तर को पूरा किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिवेदन में प्राथमिक, मिडल तथा माध्यमिक स्कूलों के लिए सुझाये गये लक्ष्यों को पहले से ही पार कर लिया गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में समूची स्थिति अधिक अनुकूल बन गई है ।

1958–59 और 1961–62 में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, मिडल और माध्यमिक स्कूलों में अनुपात इस प्रकार था :

	1958–59	1961–62
प्राथमिक स्तर . .	90.1	91.1
मिडल स्तर . . .	81.3	81.8
माध्यमिक स्तर .	47.2	54.5

बुनियादी शिक्षा

1027. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंच वर्षीय योजना में सभी प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करने का विचार था; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) बुनियादी पद्धति की ओर उन्मुख स्कूलों के संबंध में कोई आंकड़ें इकट्ठे नहीं किये जाते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में केवल एक उपयुक्त समान पाठ्यविवरण, आसान शिल्प और अन्य कार्यकलाप जैसे समाज सेवा, सामुदायिक रहनसहन आदि को शुरू करना शामिल है, जिन पर ज्यादा खर्च नहीं होता है। फिर भी जहां तक बुनियादी स्कूलों का संबंध है, 1963–64 में कुल 3,76,619 प्राथमिक स्कूलों में से 83,414 जूनियर बुनियादी स्कूल थे और कुल 65,655 मिडिल स्कूलों में से 17,085 सीनियर बुनियादी स्कूल थे ।

नैपथा ले जाने वाली पाइप लाइन का बिछाना

1028. **श्री राधे लाल व्यास :** **श्री पाराशर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री चांडक :**
श्री वाडीवा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 24 अगस्त, 1966 के अतारांतिक प्रश्न संख्या 3264 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार से, ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उनको सफेद तेल के उत्पादों के रासायनिक विश्लेषण की पूरी जानकारी दी जाये तथा उन पाइप लाइनों के मार्ग तथा उनके बिछाये जाने के बारे में बताया जाये, जो बरौनी तेल शोधक कारखाने से कानपुर तक और कोयली तेल शोधक कारखाने से कोटा तक नैपथा ले जाने के लिए बिछाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और शीघ्र ही मध्य प्रदेश सरकार को भेजा जायेगा ।

स्कूलों में यौन सम्बन्धी शिक्षा

1029. **श्री बसुमतारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हुई महिला अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी ने सिफारिश की थी कि **स्कूलों** में यौन सम्बन्धी शिक्षा आरम्भ की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काश्मीर में सुरक्षा सम्बन्धी उपाय

1030. **श्री बसुमतारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में अब तक किये गये सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का श्रीनगर में उच्च स्तर पर मुल्यांकन किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस समय राज्य में विद्यमान सुरक्षा सम्बन्धी उपाय पर्याप्त हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि क्या जो कुछ भी आवश्यक तथा सम्भव था वह कर लिया गया है, जम्मू तथा काश्मीर राज्य में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों का, राज्य सरकार के साथ परामर्श करके , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है ।

गन्धक के तेजाब के मूल्य

1031. **श्री उमानाथ :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक निगम को गन्धक के तेजाब का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य को कितना बढ़ाने की अनुमति दी गई है और ऐसा कब किया गया था ;

(ग) इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि गन्धक के तेजाब का प्रयोग करने वाले कारखानों द्वारा अपने तैयार माल के मूल्यों में वृद्धि की जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्बन्धी सम्मेलन

1032. श्री. प्रिय गुप्त : क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे कर्मचारियों समेत अन्तर्देशी परिवहन श्रमिकों के मजूरी ढांचे और सेवा की शर्तों सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने के लिए नवम्बर/दिसम्बर, 1966 में जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक बुलाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत से कोई प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं; और

(ग) क्या भारत ने कोई ज्ञापन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अन्तर्देशी परिवहन सम्बन्धी समिति का आठवां अधिवेशन 21 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1966 तक जिनेवा में होने वाला है ।

(ख) जी हां, भारत से एक एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल इस अधिवेशन में भाग लेगा।

(ग) जी, नहीं। कार्यावली के मदों सम्बन्धी पत्र अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार किये जाते हैं और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चर्चा के दौरान अपने अपने देश का विशेष दृष्टिकोण सामने रखेंगे ।

गोरखपुर टेलीफोन एक्सचेंज

1033. श्री प्रिय गुप्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर टेलीफोन एक्सचेंज में अत्यधिक ट्रंक कालों के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस का विस्तार करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) ट्रंक परिगत बहुत है, किन्तु गोरखपुर एक्सचेंज द्वारा ऐसे किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा ।

(ख) जी हां ।

(ग) इसकी मौजूदा क्षमता को दुगनी करने के लिए ट्रंक स्थिति के विस्तार की योजना बनाई गई है। इस कार्य के लिए एक्सचेंज की इमारत के विस्तार का कार्य प्रगति पर है।

उपकुलपतियों का सम्मेलन

1034. **श्री हु० च० लिंग रेड्डी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1966 में हुए उपकुलपतियों के सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई थीं ; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या पहल की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7272/66]**

मुख्य सतर्कता अधिकारी सम्मेलन

1035. **श्रीमती मैमूना सुलतान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सम्बद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारियों का हाल में नई दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर विचार किया गया और क्या क्या निर्णय किये गये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुभवों को इकट्ठा करना था ताकि सतर्कता कार्य में प्रगति लाई जा सके । इसमें निर्णय किया गया कि कार्य को उत्साह के साथ चालू रखा जाय ।

Children's Book Trust

1036. **Shri Kishen Patnayak:**
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) The amount of Government and private capital invested for the running of Children's Book Trust in Delhi;

(b) whether any Journal is issued by the Trust;

(c) if so, whether its purpose is to entertain the children or otherwise; and

(d) whether admission fee to Dolls Museum is charged from the School children also?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) There is no Government or private capital invested in the Trust as such. However, it has taken a loan of Rs. 25 lakhs from the Government and Rs. 16 lakhs from business organisations.

(b) At present no journal is issued by the Children's Book Trust. The Indraprastha Press (owned by the Trust) prints as job work a number of magazines like the Indian Airliner (Indian Airlines Corporation), Productivity (National Productivity Council), Work Study Quarterly (Institution of Work Study), Shankar's Weekly, School Science (National Council of Educational Research & Training) for various clients.

(c) Does not arise.

(d) Admission to the Dolls Museum is by tickets. Adults are charged 50 paise and children 25 paise. There is concession ticket of 15 paise per child for school children in batches of 10 or more. In certain circumstances children are admitted to the Museum free of charge.

Schools in Delhi

1037. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of schools in Delhi housed in tents and the number of buildings constructed to house such schools during 1950—66;

(b) whether it is a fact that the amount paid as rent of the tents would have been sufficient for constructing many buildings;

(c) the names of the persons receiving the rent of the tents; and

(d) whether any public school is being run in tents in any part of the country?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय छात्र

1038. श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिम जातीय छात्रों को दी जाने वाली बोर्डिंग छात्रवृत्तियां कब निर्धारित की गई थीं ;

(ख) क्या तब से रहन सहन का खर्च बढ़ गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्कूल तथा कालेजों के छात्रों के लिए बोर्डिंग छात्रवृत्तियों की दरों को बढ़ाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 1954-55 में ।

(ख) जी हां।

(ग) मामला विचाराधीन है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की छूट

1039. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण के एक भाग की छूट देने के लिये केन्द्रीय सरकार के निर्णयों को त्रिपुरा में पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्णयों से कितने विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ; और

(ग) यदि निर्णयों को पूर्णरूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). निर्णयों को पहले क्रियान्वित नहीं किया जा सका क्यों कि महालेखापाल के द्वारा ऋणों को चुकाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। कितने व्यक्तियों को इससे लाभ हुआ है, इसका पता क्रियान्विति के बाद चलेगा।

गांधी जी का चित्र

1040. **डा० श्रीनिवासन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधीजी के चित्र उपलब्ध हैं और भारत तथा विदेशों में उनकी प्रदर्शनी आयोजित की जाती है ;

(ख) क्या गांधी जी के चित्रों को सरकारी तौर पर प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ताकि वे गांधी जी के वास्तविक चित्र हों, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नारकर) : (क) सरकार ने भारत में अथवा विदेशों में राष्ट्रीय नेताओं के जिनमें गांधी जी भी शामिल हैं, चित्रों की प्रदर्शनी के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जमादार के पद के लिये अर्हतायें

1042. **श्री गुलशन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के सीमा सुरक्षा सेना में सब-इन्सपैक्टर (जमादार) के पद के लिए हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन नियमों में संशोधन करने का है ताकि सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किये जा सकें।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

International Triennial Paintings Exhibition

1044. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an International Triennial Paintings Exhibition is being organised by Lalit Kala Academy;

(b) whether it is also a fact that the Secretary of the Academy has been sent on tour abroad for the purpose of this exhibition; and

(c) if so, the names of countries included in his itinerary and the amount of foreign exchange sanctioned for his tour?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) Yes Sir.

(b) and (c). No Sir. During his visit to Tokyo to attend the 5th International Congress of Art in October last, the Secretary of the Akademi took advantage of the presence of delegates from various countries to discuss and ensure their participation in the Triennale. On the way back, he stopped at Hong-Kong for three days. Except for £15, normally permitted from private resources no foreign exchange was involved.

Joint Publication of Books of Educational Value

†1045. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the names of countries with whose collaboration a programme for joint publication of books of educational value has been chalked out, the number of such books and the number of those books out of them which are on subjects other than scientific subjects *i.e.*, like History, Political Science, Sociology etc.;

(b) the number of books which have been published so far;

(c) whether it is a fact that the views prevailing in the country of origin is dominant in the books of history, political science and sociology and that the foreign policy of those countries is publicised indirectly in many books; and

(d) the precautions taken by the Government to avoid publication of such books under this scheme?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) The Government of India has at present collaboration programmes for joint publication of text-

books with the United States of America, the United Kingdom and the Union of Soviet Socialist Republics. These programmes do not stipulate any specific number of books in individual subjects. Several titles, including those in the different fields of Humanities are, however, proposed from time to time from which Indian experts make selection.

(b) Under USA programme 379 titles, under UK programme 279 titles, and under the Soviet programme 54 titles have been published so far.

(c) and (d). Before books are approved by the Government of India for republication, they are evaluated by a panel of Indian experts from the standpoints of merit and suitability for purchase by university students in India. Books displaying any undesirable bias are thus precluded from publication.

कच्छ में पाकिस्तानी घुसपैठ

1046. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में पाकिस्तानियों द्वारा बड़े पैमाने पर कच्छ में घुसपैठ हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस घुसपैठ को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Pak Dacoits

1047. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that armed Pakistani Nationals had entered Choharan Tehsil of Rajasthan on the 31st July, 1966 and shot down a person and drove away a herd of camels;

(b) if so, the details of the incident; and

(c) the arrangements made by Government for the security of the citizens in the border areas?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). No such incident occurred on 31st July, 1966.

(c) The border areas are being regularly patrolled.

मैसूर के लिये भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का कोटा

1048. **श्री हु० च० लिंग रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में मैसूर के लिये कितने अधिकारियों का कोटा नियत किया गया है ;

(घ) इन दोनों पदालियों में इस समय केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये वास्तव में कितने अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ;

(ङ) यदि कमी है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस कमी को कब तक पूरा किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख).

	मैसूर के लिये नियुक्त केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा	केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या
भारतीय प्रशासन सेवा . . .	33	23
भारतीय पुलिस सेवा . .	16	13

(ग) और (घ) . केन्द्रीय सेवा में मैसूर का कोटा अभी हाल ही में 28 से बढ़ा कर 33 किया गया है । जब जब केन्द्रीय सरकार को जरूरत पड़ेगी और उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध होंगे तब तब इस बढ़े हुए कोटे में से अधिकारी लिये जायेंगे ।

दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज में हड़ताल

1049. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1966 को दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज के विद्योर्थियों ने, अपर्याप्त कर्मचरीवृन्द, कम उपकरण वाली प्रयोगशालाओं, प्रिंसिपल तथा कुछ अन्य प्रोफेसरों के मनमाने रवैये, विद्यार्थियों को तंग किये जाने और छात्रावास में कुप्रबन्ध के विरोध में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की जांच करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन ने विद्यार्थियों की मांगों की जांच की है और उनकी कुछ मांगों के संबंध में कार्यवाही की है । दिल्ली विश्वविद्यालय भी शैक्षिक मामलों से संबंधित मुद्दों की जांच कर रही है । प्रशासन के अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बात-चीत की है और उन्हें हड़ताल खत्म करने की सलाह दी है । किन्तु विद्यार्थियों की अपनी कक्षाओं से गैर-हाजिरी अभी चल रही है ।

तेल के कुएं खोदना

1050. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक कितने तेल के कुएं खोदे गये हैं और कितने कुओं में से तेल निकाला जा रहा है ;

(ख) एक कुआं खोदने में अब तक कितना औसत खर्च आया है ;

(ग) तेल की खोज, कुएं खोदने तथा तेल को ऊपरी सतह तक लाने, टैंकों में भरने तथा अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करने पर कुल खर्च कितना आया है ; और

(घ) भारत में एक कुएं से औसतन कितना तेल निकलता है और प्रति टन कच्चे तेल पर औसत उत्पादन खर्च कितना आता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) 30-9-1966 तक खोदे गये कुओं की कुल संख्या 1754 है जिन में से 870 में इस समय उत्पादन हो रहा है ।

(ख) 16.76 लाख रुपये ।

(ग) 168.21 करोड़ रुपये ।

(घ) अखिल भारतीय आधार पर एक कुंए का औसत उत्पादन 43.10 मीटरी टन प्रति दिन है और उत्पादन का औसत खर्च 37.4 रुपये प्रति मीटरी टन है ।

कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन

1051. **श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन की वार्षिक आय क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में की गई प्रतिपूर्ति का संक्षिप्त विवरण क्या है ; और

(ग) इस संगठन के कोष के प्रबन्ध तथा कार्यक्रमों पर क्या सरकार नियंत्रण रखती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग 3.5 करोड़ रुपये ।

(ख) आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन तथा जल की सप्लाई संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए निधि से धन दिया गया है । कोयला खनन उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के लाभ के लिए सहकरी ऋण समितियां तथा सहकारी स्टोर बनाने के लिए भी निधि से धन दिया गया है । गत तीन वर्षोंमें इस प्रकार जो धन दिया गया है उसकी मुख्य मदें दिखाने वाला एक विवरण संबद्ध है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7273/66**]

(ग) त्रिदलीय सलाहकार समिति की सहायता से केन्द्रीय सरकार निधि का प्रबन्ध करती है। इस समिति का सभापति मंत्रालय का संयुक्त सचिव होता है। कोयला खान कल्याण आयुक्त तथा निधि के अन्य अधिकारी सभी सरकारी कर्मचारी हैं। सरकारी संस्थानों पर लागू सभी सरकारी आदेश तथा वित्तीय नियम इस निधि पर भी लागू हैं।

चोर-बाजारी करने वालों की सूची

1052. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 1966 को "टाइम्स आफ इंडिया" (लेट संस्करण) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय "महिला राष्ट्रीय संघ" चोर बाजारी करने वालों की जल्दी ही एक सूची तैयार करेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई सूचना तैयार की जा चुकी है तथा सरकार को प्राप्त हो चुकी है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) टाइम्स आफ इन्डिया बम्बई में 20 अक्टूबर, 1966 को प्रकाशित निम्नलिखित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है :—

> "नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ द्वारा चोर बाजार करने वालों की एक सूची शीघ्र ही तैयार की जायगी। सूची को तैयार करने के लिए एक देश-व्यापी अभियान चलाया जाएगा। यह सूची विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

अपनी पिछली बैठक में संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य न बढ़ने देने के प्रबन्ध के लिए कदम उठा कर सरकार को सहायता देने की घोषणा की है। संघ के मंत्री के विचारानुसार मूल्य-वृद्धि को उत्पादन स्तर पर रोका जाना चाहिए। संघ ने प्रमुख उत्पादकों के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करने का निश्चय भी किया है।"

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुनर्वास (रिसैटलमेंट) संगठन

1053. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 17 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2561 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तर के माध्यम से सीधे भरे गये पदोन्नति वाले पदों के नाम क्या हैं ;

(ख) विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) समिति की शक्तियां तथा कृत्य क्या हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) कोई नहीं।

(ख) विभागीय समिति में निम्न शामिल हैं :

(एक) कार्यालय विभाग प्रमुख या उसके द्वारा नामनिर्देशित कोई अधिकारी ; और

(दो) अन्य अधिकारी जो कि पदोन्नति के लिये विचार किये जाने वाले अभ्यर्थियों के काम से जानकारी रखते हों ।

विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों को दी गई शक्तियों का उल्लेख गृह-कार्य मंत्रालय राद्वा समय समय पर जारी की गई हिदायतों में किया गया है, देखिये कार्यालय ज्ञापन पत्र संख्या 33/46-एस्ट (आर) दिनांक 17-6-46 संख्या एफ1-1-55-आर० पी० एस० दिनांक 17-2-55 और संख्या 1-4-55 आर० पी० एस०, दिनांक 16-5-57 (प्रतियां सलग्न हैं) (पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7274/66)

कच्चे तेल की कीमत

1054. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल-मूल्य सम्बन्धी कार्यकारिणी दल ने 1965 में एक प्रतिवेदन दिया था ;

(ख) क्या उक्त प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि भविष्य में स्थिति पर नियंत्रण बनाये रखने के लिए कच्चे तेल के ऊंचे मूल्य के कारणों की जांच करना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) आयातित कच्चे तेल के मूल्य समजनों को प्राप्त करने के प्रश्न पर सरकार लगातार ध्यान दे रही है और सच यह है कि पिछले दो सालों से मूल्य में कटौतियां हुई हैं ।

डाक तथा तार विभाग में लाइनमैन

1055. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में डाक व तार विभाग के कितने लाइन-मैन हैं ;

(ख) उनका वेतन-क्रम क्या है ; और

(ग) उनमें से कितने कर्मचारियों को स्थायी बनाया गया है ?

संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 17,572 ।

(ख) 75-1-85-द० रो०-2-95 रुपये ।

(ग) 12,158 ।

दिल्ली में अपहरण

1056. **श्री दी० च० शर्मा :** **श्री कृष्णपाल सिंह :**
श्री बड़े : **श्री लखमू भवानी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दक्षिणी दिल्ली में दो विवाहित युवतियों के अपहरण की घटनाएं हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिणी दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) अपराधियों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और दक्षिणी दिल्ली के निवासियों के जीवन रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इन स्त्रियों को वापस प्राप्त कर लिया गया है और दोनों मामलों में दो-दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिये गये हैं शेष दो अभियुक्तों का पता चलाने के लिये जोरदार प्रयत्न किये जा रहे हैं । जनता में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये प्रभावित क्षेत्रों में गश्त को बढ़ाया जा रहा है ।

सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाना

1057. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी संख्या में सेवा निवृत्त अध्यापक चुने हैं, जो आयोग की 1966-67 में सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना में भाग ले सकें ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी सेवाओं का प्रयोग कितने समय के लिये किया जायेगा ; और

(घ) उन्हें क्या कार्य सौंपा जाएगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1966-67 वर्ष के लिए 23 सेवा निवृत्त अध्यापकों को चुना है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत, विश्वविद्यालयों और कालेजों के उन विशिष्ट अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग करने में सहायता की जा रही है जिन्होंने सामान्य वार्धक्य-निवृत्ति आयु पार कर ली है किन्तु वैसे अध्यापन तथा अनुसन्धान करने में समर्थ हैं । प्रत्येक अध्यापक को 6,000 रुपये वार्षिक मानदेय तथा 1000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है । इसके अलावा जिस सस्था में अध्यापक कार्य करता है, वह सस्था भी उसको 4000 रुपये वार्षिक की सहायता दे सकती है । चुनाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति द्वारा किये जाते हैं ।

(ग) प्रारम्भ में यह सहायता तीन वर्ष तक दी जा सकती है और 68 वर्ष की आयु तक एक बार में दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकती है तथा अपवाद के मामलों में 68 वर्ष की आयु के बाद भी दी जा सकती है ।

(घ) अध्यापकों के अपने अनुसन्धान कार्य के अतिरिक्त अध्यापन/सेमिनार कार्य में प्रत्येक सप्ताह कम से कम 6 घंटे तक भाग लेने की अपेक्षा की जाती है ।

विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा विभाग

1058. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी एशियाई दक्षिण प्रशान्त ब्यूरो द्वारा हाल में आयोजित गोष्ठी में एशिया के सभी देशों से विश्वविद्यालयों में एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग स्थापित करने का प्रबल अनुरोध किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

1. सेमिनार ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय के बाहर के वयस्क शिक्षा कार्यकलापों को अपने हाथ में लेना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए अलग से विभाग खोलना चाहिए ।

2. इस विभाग के लिए सिफारिश किये गये कार्य इस प्रकार हैं :—

(क) **प्रशिक्षण :**

(1) वयस्क साक्षारता के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना विश्वविद्यालयों का विशेष योगदान होगा ।

(2) प्रशिक्षण कार्यक्रम को क्रियाशील रूप में लेना चाहिए, और वयस्क साक्षारता के आयोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए व्यक्तियों को तैयार करना चाहिए ।

(3) प्रशिक्षण की अवधि लगभग 6 मास की होनी चाहिए ।

(4) प्रशिक्षण की विषयवस्तु में वयस्क मनोविज्ञान समुदाय की संस्कृति और इतिहास; आयोजना और मूल्यांकन की पद्धतियां; तकनीक तथा अध्यापन की पद्धतियां; क्षेत्रीय अनुभव; और पठन-पाठन सामग्री का प्रयोग शामिल होना चाहिए ।

(ख) **अनुसन्धान तथा मूल्यांकन**

(1) विश्वविद्यालयों को प्रायोगिक प्रायोजना, प्रयोग की ओर प्रवृत्ति, शब्दावली तैयार करने आदि जैसे वास्तविक क्रियाशील अनुसन्धान पर जोर देना चाहिए ।

(2) अनुसन्धान में मल्यांकन शामिल किया जाना चाहिए ।

(ग) **प्रकाशन :**

इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे : —

(1) साक्षरता अध्यापकों और प्रशासकों के लिए मैनुअल ।

(2) आदर्श साहित्यिक सामग्री ।

(3) जारी रखने और कृत्य से सम्बन्धित शिक्षा के लिये श्रेणीबद्ध पाठ्य-सामग्री ।

(4) श्रेणीबद्ध अनुपूरक सामग्री ।

(5) वयस्क साक्षरता के साहित्य की सटिप्पण ग्रंथ सूची ।

(ग) रिपोर्ट विचाराधीन है ।

सभा के कार्य के बारे में

RE. BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : मुझे गृह-कार्य मंत्री से सूचना मिली है कि वह दिल्ली की घटनाओं के बारे में आज वक्तव्य देंगे । यह वक्तव्य 5.30 बजे होगा । स्वास्थ्य मंत्री आज 5.45 बजे नर्सों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य देंगी ।

Shri Bagri (Hissar): It has appeared in the newspapers and also broadcasted from A.I.R. that Shri Nanda's resignation has been accepted. It is contempt of the House not to inform such things in the House first.

Mr. Speaker: It is not proper to take the time of the House in such matters. We should have nothing to do with rumours.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमान्, सभा में कार्य की मदों के क्रम के बारे में मेरा नियम 376 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है । कले कुछ प्रयत्नों के बाद हम ध्यान दिलाने वाले सूचना आज कार्य-सूची पर लाने में सफल हो गये थे परन्तु आज उसमें एक विचित्र पाद-टिप्पण (फुट नोट) है कि उसे 6 बजे लिया जायेगा । मैं आपका ध्यान कार्य की मदों के क्रम सम्बन्धी संशोधित नियमों के साथ पठित नियम 177 की ओर दिलाना चाहता हूं । इसके अनुसार सब से पहले शपथ अथवा प्रतिज्ञान निधन सम्बन्धी उल्लेख प्रश्न (अल्प सूचना प्रश्नों सहित) लिये जायेंगे और उसके तुरन्त बाद ध्यान दिलाने वाली सूचनायें ली जायेंगी ।

मंत्री द्वारा सभा में खुले रूप में समय मांगने की बजाय यह कार्य सायंकाल को 6 बजे लिये जाने के लिये सूची में रखा गया है । 4 बज कर 48 मिनट पर श्री राधेलाल व्यास ने गणपूर्ति न होने का प्रश्न उठाया और उसी कारण सभा स्थगित हो गई यद्यपि सभा-नेता ने आपके कक्ष में तथा सदन में यह आश्वासन दिलाया था कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सभा में 6 बजे तथा उसके बाद गणपूर्ति हो ।

यह पाद-टिप्पण किसी उच्चतम व्यक्ति के पूर्ण समर्थन के बिना नहीं रखा जा सकता था ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल कहा था कि ध्यान दिलाने वाली सूचना मैंने मंत्री महोदय को सूचनार्थ भेजी है । यह बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनकी अनुमति नहीं मांगता । मैं निर्णय करने से पहले केवल सूचना प्राप्त करना चाहता हूं । यदि 48 घंटे के अन्दर मुझे सूचना नहीं मिले तो मैं उसे कार्य-सूची में रखने पर बाध्य हूं ।

श्री कामत ने संशोधित नियमों का उल्लेख किया है। वे संशोधित नियम नहीं बल्कि अध्यक्ष के अनुदेश हैं और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है "जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दे।" इसलिये यदि मैंने उसे 6 बजे लिये जाने पर सहमति प्रकट की है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और बिहार में कमी की परिस्थितियों के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह अनुभव करना चाहिये कि चार दिनों तक हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते रहे हैं।

श्री नाथपाई (राजापुर) : सब से पहले मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि संसद्-कार्य मंत्री का यह सुझाव असम्भव है क्योंकि अब 12-30 बज चुके हैं।

मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। पहले इस सभा में यह प्रथा थी कि देश में होने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना के बारे में प्रति दिन एक स्थगन प्रस्ताव लिया जाये। आपने सरकार तथा विरोधी दलों की सहमति से, उसमें परिवर्तन कर दिया और कहा कि स्थगन प्रस्तावों के स्थान पर ध्यान दिलाने वाली सूचनायें ली जायेंगी। आपने प्रत्येक दल को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी और आपने कहा कि सूचना पर हस्ताक्षरकर्ताओं को अवसर दिया जायेगा। आज वह अधिकार भी खतरे में है।

श्री अ० क० गोपालन : प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है अथवा नहीं कि उन्हें अधिक समय चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह भिन्न मामला है।

श्री रंगा (चित्तूर) : यह महत्वपूर्ण मामला है। अध्यक्ष पद का सम्मान विरोधी दल तथा सरकार दोनों को करना चाहिए।

जब अध्यक्ष महोदय ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना मंत्री महोदय को भेजते हैं तो वह उन्हें कहते हैं कि दो अथवा तीन दिन के अन्दर उन्हें उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। परन्तु वह उत्तर नहीं देते हैं। क्या इसके लिए मंत्री महोदय की भर्त्सना करना सम्भव नहीं है।

एक और मामले में मंत्री महोदय को एक अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया परन्तु वह अपने स्थान से नहीं उठे। आपके पुनः उन्हें बुलाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास सूचना नहीं है। तब सचिवालय के आपको याद कराने पर आपने उन्हें बताया कि उत्तर आपके कार्यालय में पहले ही मिल चुका है। इसलिए, उन्हें उत्तर देना चाहिए। आपको इस कारण उनकी निन्दा और भर्तसना करनी चाहिए थी परन्तु आपने उदारता के कारण उन्हें बिलकुल छोड़ दिया। हम देखते हैं कि यह मंत्री अध्यक्ष महोदय की अवज्ञा, उपेक्षा तथा अवहेलना करने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वह भी अध्यक्ष महोदय का उतना ही सम्मान करेगी जितना हम करते हैं।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I have been standing for one hour to raise a point of order.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have been standing for a long time to raise my point of order.

Mr. Speaker: It is not necessary that any member who stands must be called.

Shri Madhu Limaye: Members should be given opportunity to raise points of order.

श्री त्यागी (देहरादून) : व्यवस्था का प्रश्न उठने के बाद अध्यक्ष महोदय अपना विनिर्णय देते हैं । उसके बाद वाद विवाद नहीं होना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye: It should be decided once for all that what should be the order of precedence between constitution, rules, Speakers' decisions and conventions. It should not change according to the convenience of the ruling party. I will classify them in this order : first of all constitution, then rules, then directions by the Speaker and thereafter Speaker's rulings and conventions.

Mr. Speaker: It is true that constitution comes first of all, then laws and rules and thereafter directions, Article 113 has never been violated in this House.

Shri Madhu Limaye: It has been violated.

Mr. Speaker: Every hon. Member has a right to table cut motions with regard to any ministry, but it is within the discretion of this House whether to discuss any motion or not.

Shri Madhu Limaye: The cut motions pertaining to Lok Sabha and Rajya Sabha should have been taken at least once during fifteen years. We have a right to table cut motions pertaining to any Ministry.

Mr. Speaker: This House is sovereign. It can decide regarding the Ministries which are to be discussed.

Shri Hari Vishnu Kamath: Whatever you said three days ago regarding the demands of Rajya Sabha, has violated Article 113.

Mr. Speaker: That is a different matter.

Shri S. M. Banerjee: I had given notice regarding draught condition in Uttar Pradesh and Bihar on 26th or 27th October. If the Minister has not been able to give information since then, I would say that it is an attempt to delay it so long that 30—35 members signing the calling attention notice do not get an opportunity to ask questions.

Secondly, you have not admitted the calling attention notice pertaining to Minister of Health but you have said that she will give a statement. After the statement, Shri Dixit will raise a point of order that no question can be asked thereon.

श्री अ० क० गोपालन : जब से संसद् का वर्तमान सत्र आरम्भ हुआ है, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सूखे की समस्या पर चिन्ता प्रकट की जा रही है । इस पर चर्चा नहीं हुई है । सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का मंत्रियों ने दौरा भी किया है परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य नहीं दिया है । इस बारे में प्रतिपक्ष के 30 सदस्यों ने सूचना भी दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन सूचनाओं को इस लिये नहीं लिया क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। उस चर्चा के समाप्त होने पर मैंने मंत्री महोदय को कहा कि तथ्य बतायें। उसके बाद मैं ने मंत्री महोदय से कहा कि मैं इसे 9 तारीख के लिए रख रहा हूं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : श्रीमान जी, मैं अध्यक्षपीठ का आदर करता हूं और मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad): Sir, too much time of the House is wasted on procedural matters. We do not devote enough time to real problems. We know the number of motors that have been burnt but the names of those who have been killed have not be given. This matter should be discussed here. There is great unrest prevalent in the country. All these things should be discussed.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): मैं प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 19 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3157 में प्रकाशित हुआ था की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7258/66]**

शिक्षुता अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं निम्न पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1538 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1580 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7259/66]**

(2) मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजूरी भुगतान (अतिरिक्त कटौतियों की वसूली का तरीका) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या एस० ओ० 3090 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7260/66]

(4) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत खान (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचाना संख्या जी० एस० आर० 1511 में प्रकाशित हुए थे । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7261/66]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम
केरल अत्यावश्यक सेवायें (अनुरक्षण) अध्यादेश
केन्द्रीय सतर्कता आयोग का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन
विदेशियों के रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत छूट की घोषणायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) जी० एस० आर० 1536 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1596 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1597 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7262/66]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ,एस० आर० 1593 की एक प्रति, जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया था । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7263/66]

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के संबंध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत केरल अत्यावश्यक सेवायें (अनुरक्षण) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 3) की एक प्रति, जो केरल के राज्यपाल द्वारा 24 सितम्बर, 1966 को प्रख्यापित

किया गया था। [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7264/66]

(4) वर्ष 1965-66 के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा एक ज्ञापन जिसमें सरकार द्वारा आयोग की मंत्रणा स्वीकार न किये जाने के कारण बताये गये हैं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7265/66]

(5) विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939 की धारा 6 के अन्तर्गत दिनांक 15 सितम्बर, 1966 के दो 'छूट की घोषणाओं' (डिक्लेरेशन्स आफ एक्जेम्पशन) की एक-एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7266/66]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

उन्सठवां प्रतिवदन

श्री मुरारका : मैं शिक्षा, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार तथा उद्योग मंत्रालयों और समाज कल्याण विभाग (भूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा विभाग) से सम्बन्धित विनियोग लेखे (सिविल), 1964–65 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 के बारे में लोक लेखा समिति का उन्सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

तथा

संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) विधेयक—जारी

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL AND CONSTITUTION (TWENTY-FIRST AMENDMENT) BILL—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री गोपाल स्वरूप पाठक द्वारा 8 नवम्बर, 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्तावों पर आगे विचार करेगी :—

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

तथा

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मेरे विचार में इस विधेयक को पारित करने से पूर्व संविधान का संशोधन होना चाहिए।

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : यह दोनों विधेयक अलग-अलग हैं। यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। यहां पर एक विधेयक पर मतदान हो जाने से ही विधेयक अधिनियम नहीं बन जाता।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : मेरे विचार में संविधान में पहले संशोधन होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमें पहले संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक पारित करना चाहिए।

श्री राघेलाल व्यास (उज्जैन) : मैंने यह प्रश्न कल भी उठाया था। संयुक्त समिति में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि संविधान (संशोधन) विधेयक को पहले पारित किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को इस पर फिर विचार करना चाहिए। हमें चर्चा तो साथ-साथ करनी चाहिए परन्तु संविधान संशोधन विधेयक को पहले पारित करना चाहिए।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : क्रम में परिवर्तन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी) : इस विधेयक में बहुत से परिवर्तन होने चाहिएं। इसके बहुत से खण्डों में संशोधन करना चाहिए। मेरा विचार है कि इस विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपना चाहिए। उसे यह सिफारिश की जानी चाहिए कि चुनाव के लिए किसी और प्रणाली का सुझाव दे।

आज कल हमारे देश में एक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र वाली चुनाव प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली में बहुत से दोष तथा त्रुटियां हैं। कांग्रेस पार्टी को केवल 45 प्रतिशत मत मिले थे परन्तु संसद् में उसे 75 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार की स्थिति राज्य विधान मंडलों की है।

अध्यक्ष महोदय : आप को यह बताना चाहिए कि किन कारणों से इस विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

श्री मुहम्मद इस्माइल : पहले तो मैं वर्तमान स्थिति की त्रुटियों का उल्लेख करना चाहता हूं। चुनाव आयोग के दस्तावेजों से यह बातें स्पष्ट हो जाती हैं। मैं केवल तथ्यों को सभा के समक्ष रख रहा हूं। केवल एक मत के अन्तर से एक सदस्य पराजित हो जाता है। एक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली को कार्यान्वित करके देख लिया गया है। यह सिद्ध हो गया है कि यह त्रुटिपूर्ण है। अतः इसमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये। ऐसी प्रणाली अपनायी जानी चाहिये जिससे मतदाताओं का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व हो।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the Chair.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 77 तथा 78 को देखें। माननीय सदस्य ने विधेयक को पुनः संयुक्त समिति को सौंपने की मांग की है। इस बारे में पहले संयुक्त समिति में यह प्रश्न नहीं उठाया गया था। अतः माननीय सदस्य की मांग ठीक नहीं है। यह विधेयक तो केवल संशोधन करने वाला है। माननीय सदस्य जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं वे इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :, इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मुहम्मद इस्माइल : संयुक्त समिति को इस विधेयक के बारे में विधि विशेषज्ञों तथा प्रसिद्ध अधिवक्ताओं से सलाह मश्विरा करना चाहिये । विदेशों से भी चुनाव प्रेणालियों के बारे में जानकारी मंगाई जानी चाहिये । अतः इस विधेयक को पुनः समिति को सौंपना चाहिये ।

विधेयक के संयुक्त समिति को सौंपने से अन्य बातों पर भी विचार हो सकेगा । चुनाव में धन का बहुत महत्व है । कोई भी व्यक्ति, विशेषरूप से सत्तारूढ़ दल के सदस्य यह नहीं कह सकते कि धन का चुनाव में बहुत अधिक महत्व नहीं है ।

धन के अतिरिक्त सत्ता के प्रभाव को भी प्रयोग में लाया जाता है । मंत्री सरकारी व्यय से यात्रा करते हैं । विधेयक में इन बातों के विरुद्ध कोई उपबन्ध नहीं है और इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये । अतः मेरा सुझाव है कि विधेयक को संयुक्त समिति को पुनः सौंप देना उचित होगा ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, संयुक्त समिति में विधेयक में कुछ सुधार हुआ है । उनमें से एक तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा चुनाव विवादों के निर्णय करने के सम्बन्ध में है परन्तु हमारे उच्च न्यायालयों में काम बहुत अधिक है और उनके पास बहुत सा पिछला कार्य पड़ा हुआ है । उस पर विचार किया जाना चाहिये और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये ताकि न्याय शीघ्र हो सके । चुनाव विवादों के अन्तिम निर्णय में अधिक से अधिक छः मास लगने चाहियें और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि हम चुनाव सम्बन्धी व्यय पर प्रभावी रोक नहीं लगा सके हैं । चुनाव में धन वाले लोगों का हाथ बहुत अधिक होता है और इस प्रकार प्रजातन्त्र दूषित हो रहा है । इसे दूर कराने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहियें अन्यथा प्रजातन्त्र के स्रोत भ्रष्टाचार के भण्डार बन जायेंगे ।

हम ने ज़िला निर्वाचन अधिकारियों के लिए कुछ उपबन्ध किये हैं । यह अच्छी बात है और मैं उसका स्वागत करता हूं परन्तु सब से बड़ी रुकावट और अनुचित प्रथा यह है कि जब निर्वाचन आरम्भ होते हैं तब मंत्री दौरे करते हैं और बड़े-बड़े वचन देते हैं । ऐसा विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है क्योंकि ऐसे क्षेत्र मंत्रियों के वचनों और दबावों में शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं । इसलिए, चुनाव से दो मास पूर्व एक प्रकार की काम-चलाऊ सरकार बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । जब तक किसी विधि द्वारा मंत्रियों को ऐसी कार्यवाही से नहीं रोका जाता तब तक देश में अबाध, न्यायोचित और निष्पक्ष निर्वाचन कराना सम्भव नहीं होगा । यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधान में उचित संशोधन किया जाना चाहिये ।

हम ने विधेयक में सुधार का प्रयत्न किया है परन्तु हम मंत्रियों का दबाव समाप्त कराने में सफल नहीं हो सके हैं । हम निर्वाचन सम्बन्धी व्यय पर रोक लगाने में सफल नहीं हो सके हैं । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि राजनैतिक दलों को बड़ी व्यापारिक संस्थाओं से निर्वाचन

के लिए धन न मिल सके । दल की विधि के लिए चन्दा बन्द कर दिया जाना चाहिये । यदि मंत्रियों के दबाव हटाने के लिए नियमों में संशोधन भी करना पड़े तो वह स्वागत योग्य है ।

श्री दाजी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले इस विधेयक में बहुत छोटे संशोधन लाये गये हैं । सब से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि धनी लोगों के प्रभाव के कारण हमारे नवजात लोकतन्त्र को भ्रष्ट और नष्ट होने का खतरा है और जब तक हम उसे बड़े-बड़े धनवानों के दबाव से बचा नहीं सकते तब तक लोकतन्त्र के स्थान पर केवल धनी लोगों के नामनिर्देशित व्यक्तियों का अल्पतन्त्र ही रहेगा ।

स्वयं निर्वाचन आयोग ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि चुनाव सम्बन्धी खर्च के बारे में जो वैधिक उपबन्ध इस समय हैं, वह निरर्थक हैं और उनमें या तो व्यापक संशोधन किये जायें या उन्हें पूर्णतया हटाया जाये । प्रवर समिति यह काम नहीं कर सकती क्योंकि सरकार न तो उस उपबन्ध में संशोधन करने के लिए और न ही उसका निरसन करने के लिए तैयार है । कानून में विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर व्यय के लिए अधिकतम सीमा लगाई गई है परन्तु उसकी अवहेलना की जाती है क्योंकि उसमें केवल उम्मीदवारों के खर्च पर सीमा लगाई गई है न कि उनके मित्रों तथा दलों द्वारा किये गये खर्च पर । निर्वाचन विधि में ऐसे उपबन्ध बनाये रखने का कोई लाभ नहीं है जिनके पालन की अपेक्षा उल्लंघन अधिक किया जाता है । चुनाव खर्च पर लगाई जाने वाली सीमा में मित्रों तथा दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च भी शामिल होने चाहिये अन्यथा इसे बिलकुल हटा देना चाहिये ।

एजेन्टों के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा गाड़ियों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । किसी भी व्यक्ति को अपने मित्र तक की गाड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस बात का पता कैसे लगाया जा सकता है कि वह कार उम्मीदवार की है, उसके मित्र की अथवा किस की ।

एक उपबन्ध के अन्तर्गत लाभपदधारी कोई व्यक्ति निर्वाचन नहीं लड़ सकता परन्तु मालूम नहीं किस आधार पर नरेशों को इस उपबन्ध से विमुक्त किया जाता है जबकि उन्हें निजी थैलियां दी जा रही हैं । यह बहुत अनुचित है । सामान्य लोगों के प्रति न्याय करते हुए नरेशों के पद को लाभ-पद माना जाना चाहिये और उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिये जब तक कि वे प्रवेश-संलेख के अधीन प्राप्त अधिकार और विशेषाधिकार त्याग नहीं देते ।

वर्तमान विधि में अनर्हता सम्बन्धी विद्यमान सम्पूर्ण विचारधारा लोकतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । इस समय स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति खाद्य अथवा औषधि में अपमिश्रण करता है तो उसे जुर्माना करके छोड़ा जा सकता है परन्तु अवैध हड़ताल कराने वाले व्यक्ति को कारावास का दण्ड दिया जाता है । इसलिए, यह ठीक नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसे दो वर्ष अथवा उससे अधिक कैद का दंड दिया गया है, उसे निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जाये । अपमिश्रण करने वाला व्यक्ति निश्चित ही अधिक अपराधी है । दंड की अवधि से अनर्हता का कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । अपमिश्रण, चोर बाज़ारी, जमाखोरी आदि के दोषी सभी व्यक्तियों को विधान मण्डलों अथवा संसद् के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य समझा जाना चाहिये, चाहे उन्हें दंड किसी प्रकार का दिया गया हो । इसके साथ ही ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाना चाहिये जो ऐसे मामलों

में अपराधी ठहराये गये हैं जिनमें नैतिक पत्तन अथवा भ्रष्टाचार शामिल नहीं है अन्यथा अनेक विरोधी सदस्य अयोग्य ठहराये जा सकते हैं ।

प्रसन्नता की बात है कि चुनाव याचिकायें शीघ्र निपटाना अपेक्षित है और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को यह काम सौंपा गया है । हम सभी जानते हैं कि श्री प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध चुनाव याचिका अगले चुनाव तक नहीं निपटाई गई । इसी प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के विरुद्ध चुनाव याचिका अभी तक नहीं निपटाई गई ।

मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव सम्बन्धी याचिकाओं के निपटान के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित की जाये ।

यह बहुत अच्छी बात है कि चुनाव सम्बन्धी याचिकाओं पर निर्णय करने का काम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सौंपा जा रहा है । यह भी अच्छी बात है कि अग्रेतर अपील को सिमित किया जा रहा है । इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि न्याय किया जाना चाहिए और मेरा सुझाव है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सम्बन्धित चुनाव क्षेत्र के मुख्यालय में हो ।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि चुनाव से छः महीने पूर्व किसी भी मंत्री को सहकारी अधिकारियों के साथ अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना विरोधी दल के सदस्य के बहुत अनुचित होगा । सरकारी अधिकारियों का चुनाव में लाभ उठाया जाना बहुत ही अनुचित है । यदि इस देश में लोकतंत्र को सफल बनाना है तो लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर सच्चे हृदय से कार्य करना होगा ।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : आजादी के पश्चात् बनी संस्थाओं में निर्वाचन आयोग सर्वोत्तम है । यह एक ऐसी संस्था है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं । इसने विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है । नये स्वतन्त्र होने वाले देशों ने जोकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, निर्वाचन आयोग स्थापित करने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग की सहायता ली है ताकि वे अपने देश में निष्पक्ष तथा उचित ढंग से चुनाव करा सकें । जो लोग शेष सभी चीजों की निन्दा करते हैं मेरे विचार में वे भी निर्वाचन आयोग के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कह सकते ।]

इसमें कोई सन्देह नहीं कि चुनाव के दौरान बहुत सी गलत बातें होती हैं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए । परन्तु यदि ऐसी कोई बात निर्वाचन आयोग के ध्यान में आती है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाती है और जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार होते हैं उनको चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है । इस बारे में उत्तर प्रदेश में गोंडा के चुनाव का उदाहरण दिया जा सकता है ।

मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने उस उपबन्ध को शामिल कर लिया है कि उच्च न्यायालय अपने स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर चुनाव याचिकाओं की सुनवाई कर सकेगा । मुझे आशा है कि इस उपबन्ध पर वास्तव में अमल किया जायेगा और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुनाव क्षेत्र के मुख्यालय में ही चुनाव याचिकाओं की सुनवाई करेंगे । इससे न केवल याचिकाओं को शीघ्र निपटाने में सहायता मिलेगी बल्कि इस में व्यय भी कम होगा ।

खण्ड 20 में परन्तुक को लगाकर भी समिति ने एक अन्य अच्छा कार्य किया है इससे भ्रष्टाचार अथवा अराजनिष्ठा के कारण अयोग्य ठहराये जाने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जायेगा।

1951 के अधिनियम की धारा 10 से 'निदेशक' शब्द के हटाये जाने का भी मैं स्वागत करती हूं।

जिला चुनाव अधिकारियों के लिये कुछ योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि निर्वाचन आयोग द्वारा स्थापित की गई प्रतिष्ठा को बनाये रख।

यद्यपि यह सच है कि चुनाव व्यय के बारे में सीमा निर्धारित की गई तथापि इसका पता नहीं किया जाता है। इसलिए मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगी कि इस उपबन्ध को अधिक सार्थक बनाने के लिये कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि अच्छे उम्मीदवारों को सहायता मिल सके।

श्री दाजी ने मंत्रियों द्वारा सरकारी अधिकारियों के साथ अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा करने के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं उनको बता देना चाहती हूं कि यदि कोई मंत्री ऐसा करता है तो वह अपने मत ही खो देता है क्योंकि आजकल लोग बहुत जागरूक हो गये हैं। इसलिये मुझे विश्वास है कि एक बार नामनिर्दिष्ट हो जाने के पश्चात् कोई भी मंत्री ऐसा नहीं करता है।

मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन तथा विधेयक का स्वागत करती हूं परन्तु विधि मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह पता लगायें कि क्या संविधान संशोधन विधेयक को पहले लाना आवश्यक नहीं है और यदि विधेयक पहले पास हो जाता है तो क्या अगले विधेयक के प्रस्तुत होने से पूर्व इस पर अनुमति लिया जाना है अथवा नहीं ?

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : अब यह उपबन्ध किया गया है कि चुनाव याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी। मेरे विचार में यह एक अव्यवहारिक सुझाव है।

यदि चुनाव याचिकाओं की जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है तो इस का मतलब होगा साक्षी लेना जिसमें बहुत समय लगेगा और इससे न्यायाधीश को उलझन होगी और इसे वह पसन्द भी नहीं करेगा। मेरे विचार विधि मंत्री ने यह संशोधन मुकदमेबाजी को कम करने के लिए दिया है परन्तु इससे उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकेगी। इससे गरीब व्यक्ति को अधिक व्यय भी करना पड़ेगा क्योंकि उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिये किसी प्रसिद्ध वकील को करना पड़ेगा और यदि उच्चतम न्यायालय में अपील करना हो तो और भी अधिक व्यय करना होगा।

इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय में केवल एक ही न्यायाधीश है और यदि बहुत सी चुनाव याचिकायें आती हैं तो वह उनको समय नहीं दे पायेंगे क्योंकि उन्हें दूसरे मुकदमों को भी सुनना होता है। इसलिये इन पर अधिक समय लगेगा क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निश्चित समय में निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता इस लिये मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : प्रवर समिति ने जिस रूप में इस विधेयक को भेजा है उससे यह बात बिलकुल सिद्ध हो जाती है कि कांग्रेस दल चुनाव प्रक्रिया को अधिक लोकतन्त्रीय बनाने के विरुद्ध है।

इस बारे में मैं एक उदाहरण देता हूं कि मूल अधिनियम में चुनाव के दिन मतदाताओं को लाने ले जाने के लिये उम्मीदवार तथा उनके एजेन्टों द्वारा गाड़ियों के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। परन्तु उसको उचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। इसलिये इस उपबन्ध को प्रभावशाली बनाने के लिये उन्होंने तीन सिफारिशें की हैं। परन्तु सरकार ने तीसरी महत्वपूर्ण सिफारिश को छोड़कर शेष दो सिफारिशों को स्वीकार किया है। परन्तु जब यह मामला संयुक्त समिति के पास गया तब उन्होंने केवल जुर्माने वाली सिफारिश को कार्यान्वित किया। इसमें जुर्माने की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। शेष दो सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया।

प्रथम दो सिफारिशों को स्वीकार न करने का केवल यही कारण है कि कांग्रेस दल भ्रष्ट प्रथाओं पर निर्भर करता है। मैं ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं जहां निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार के लिये सरकारी व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। हाल ही में जब श्री कामराज ने पुद्दकोटै डिविजन का दौरा किया तो उनके स्वागत के लिये सारा कार्य पंचायत संघ के आयुक्त ने किया। पंचायत संघ के ट्रकों का भी प्रयोग किया गया। इसके पश्चात् अमावसाल में पंच बनाने के लिए प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों से काम लिया गया और कांग्रेस दल के लिये धन जमा करने के लिये टिकट बेचने को भी कहा गया। कुछ ग्रामों में श्री कामराज के स्वागत के लिये स्कूल बन्द कर दिये गये श्री कामराज के स्वागत के लिये बिजली उत्पन्न करने के लिये जिस जनेरेटर का प्रयोग किया जा रहा था उसमें खराबी हो जाने पर विद्युत् बोर्ड के सहायक इन्जीनियर तथा डिविजन इन्जीनियर को लगाया गया। कितनी बिजली खर्च हुई उसका कोई हिसाब नहीं है क्योंकि कोई मिटर आदि नहीं लगाया गया था इसलिये मेरा अनुरोध है कि यदि कांग्रेस दल शक्ति में बना रहना चाहता है तो उसको सरकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

समवायों द्वारा दान दिये जाने तथा चुनाव व्यय का उल्लेख भी किया गया है। इस बारे में सन्तानम् समिति की सिफारिश बताना चाहता हूं। उसमें कहा गया था कि समवायों को विभिन्न राजनैतिक दलों को दान देकर राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। परन्तु कांग्रेस दल अब भी इस सिफारिश को स्वीकार करने से इन्कार करती है।

15 अक्तूबर के 'कामर्स' में भी प्रकाशित हुआ था कि विभिन्न बातों को अर्थात् राजस्व को हानि, चुनाव व्यय को कम करने, भ्रष्टाचार के साधनों को कम करने तथा अन्य कारणों से भी समवायों द्वारा राजनैतिक दलों को दान देने पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। एक व्यापार ने इस बात को स्वीकार किया है कि कानुन को तोड़े बिना व्यापार नहीं किया जा सकता इसका अर्थ यह हुआ कि वे लोक प्रतिदिन कानून तोड़ रहे हैं और सफलतापूर्वक अपना व्यापार चला रहे हैं। जब तक ये भ्रष्ट और अवैध प्रयोग जारी रहेंगी तब तक कांग्रेस दल लोकतंत्रीय चुनावों के पक्ष में होने का दावा नहीं कर सकता।

श्रीमती यशोदा रेड्डी (करनूल) : जब गाड़ियां आदि का प्रयोग का मामला समिति में उठाया गया था जिसमें श्री दाजी, श्री गोपालन तथा विरोधी दलों के अन्य बहुत से सदस्य थे, तो उस समय

किसी ने भी आपत्ति नहीं उठाई थी कि इसको पुलिस अहस्तक्षेपीय अपराध न बनाया जाये। (**अन्तर्बाधायें**)

प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि चुनाव व्यय को कम किया जाना चाहिए क्योंकि यह व्यय बहुत से लोगों की क्षमता से बाहर है।

श्री उमानाथ ने श्री कामराज के बारे में बहुत सी असंगत बातें कही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि केरल में साम्यवादियों का शासन था तो साम्यवादी दल के सदस्यों ने सरकारी व्यवस्था से अपने दल के हितों के लिये लाभ उठाया था। यदि श्री कामराज के लिए कुछ किया गया होता तो वह अवश्य ही वहां के लोगों द्वारा किया गया होगा (**अन्तर्बाधायें**)

यह कहना गलत है कि कांग्रेस दल न्यायोचित चुनाव से डरता है अतः इसी लिए वह चुनाव कानून में कुछ उपबन्धों की व्यवस्था करना नहीं चाहता। मैं यह याद दिला देना चाहती हूं कि कांग्रेस दल ने ही चुनाव आयोग की वर्तमान स्थिति के लिये कानून पास किया है। इस संसद् ने, जिसमें कांग्रेस दल का बहुमत है, चुनाव आयोग तथा चुनाव न्यायाधिकरण स्थापित किये हैं। श्री उमानाथ इस बात से सहमत होंगे कि चुनाव आयोग को न केवल भारत में बल्कि बाहर भी सम्मान प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि इसलिये कि हमारे पास सत्ता है हम जो चाहें कर सकते हैं।

यह कहा गया है कि मंत्रीगण चुनाव के दौरे पर जाते हुए मंत्रालय के समस्त साज-सामान का प्रयोग करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है मंत्री लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोग बहुत सतर्क हो गये हैं।

मैं माननीय मित्र से सहमत नहीं हूं कि चुनाव याचिकाओं की जांच उच्च न्यायालयों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी इससे लोगों में अधिक विश्वास उत्पन्न होगा। अतः मैं इस उपबन्ध का स्वागत करती हूं। मैं इस बात से भी प्रसन्न हूं कि उच्चतम न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है।

श्री व्यास ने उच्च न्यायालयों को अपना स्थान छोड़ कर अन्य स्थानों पर जाने के बारे में एक संशोधन दिया है। मैं इसका विरोध करती हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The most important aspect of this Bill is that the elections should be made cheaper this should also be proved from where the political parties get donations. No candidate and his agent may be allowed to use more than one car during the elections. I have seen with my own eyes the congress party using trucks in order to bring voters to the polling stations. I want to urge that nobody should be allowed to use a conveyance to carry the voters to the polling stations. The use of all means of transport should be banned on the day of polling. The candidates should not be allowed to distribute a replica of the ballot papers to the voters.

The Election Commission in their Report have suggested that the deposit of the candidate be increased from 1,500 rupees to 2,000 rupees. I do not know what is happening to the Election Commission. We should not in this connection go by the examples of England. In India the average income is 78 dollars but in England it is 1,260 dollars. I feel that it is not proper to

provide for any increase of deposit by the candidates. We must remember that we are a poor country.

This is also a fact that money is paying the major part in the elections. This is cutting the every roots of democracy. We openly see that the capitalists are in league with the bureaucracy. And Ministers are openly making a political capital out of their official position. The case of the firm of Madhusudan Das Govardhan Das is a glaring example of this type happenings. This firm has misused the licences granted under the Export Promotion Scheme. No action is taken against this firm, as they have given a large sum for election purposes. I want to urge that an independent commission should be appointed to inquire into the sources from which the parties receive money.

I also want to urge upon the Government that they should make an assessment of the property of the Ministers, officers and Members of the Parliament as well as the Members of the Legislative Assemblies. If these above mentioned persons do not give proper account, their property may be confiscated. We should also see that Ex-rulers who receive privy purses should not be allowed to contest the elections. They may be allowed to do so if they agree to surrender their privy purses. Only those persons should be allowed to come into this field who intends to fight elections like an ordinary being.

We also want that the election petitions and election trials should be done by the High Court. Provision to that effect will be supported by us. I also want to draw the attention of the House to this fact that this system of allotting symbols for election purposes is not satisfactory. May I suggest that in this connection a high level conference may be convened to consider this matter. In this conference the matter regarding the use of A.I.R. for election propaganda. I may also state that the most important thing in regard to the elections is that of expenses. It should be seen that the expenses are reduced to the minimum. We should do whatever is possible in order to achieve this objective. It is not proper to make the Chairman of the Revenue Board as Additional Commerce Secretary.

Shri G. N. Dixit (Etawah): As stated by Shri Madhu Limaye that there should be some people into this matter regarding the money received by the political parties. I may point out that Rs. 3 lakhs were spent on the election of Dr. Ram Manohar Lohia. (*Interr uptions*).

I want to state that greatest need of the country today is the maintenance of rule of law. It is strange that the joint committee have not paid adequate attention to such an important matter. I may suggest that if any member indulge in discipline in the House and tries persistently to defy the chair, he should be outright debarred from contesting the elections. Law Minister should consider this point and include this thing also a disqualification for those who intend to fight the elections.

As far as the election petitions are concerned I may state that it may be correct that much time is taken in the disposal of election petitions. Therefore, we cannot object rather we welcome the provision regarding trial of election petitions by High Courts. This will be in the interest of democracy. But at the same time I may strongly say that we do not find favour with the proposal that the High Court should move to some other place simply to try the elec-

tion petition from its regular seat. If Government decide to agree with this type of arrangement, there will be tremendous difficulties, which they will have to face. For the people of same states are already demanding Benches of the High Courts to set up in their capitals. With these words I support the Bill. Regarding my amendment, I may speak when there will be discussion clause by clause.

श्री सेझियान (पेरम्बलर) : इस विधेयक को काफी देर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसे तो गत बजट सत्र में ही प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। प्रतिवेदन से पता चलता है कि इसे तो 2 दिसम्बर 1965 को प्रस्तुत कर दिया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। लोकतन्त्र का आधार इस बात पर है कि हम अपने चुनावों की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं। वैसे इस दिशा में जो कुछ किया गया है वह ठीक ही ह, परन्तु इस दिशा में जो कुछ भी हो जाय अच्छा है। यह रोग बड़ा गहरा है। गत तीन बार के चुनावों का अध्ययन करने से पता चलता है कि काफी अनियमिततायें होती रही हैं। जिन बातों का पता चला है उनका उपचार इस विधान में नहीं किया गया।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि वर्तमान निर्वाचन कानून में निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और यह बात केवल विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं प्रत्युत् कांग्रेस के उच्च पदाधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस लिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह उपबन्ध नितान्त प्रभावहीन और निरर्थक है। इसको छोड़ दिया जाना चाहिए। व्यय सीमा का उल्लंघन तो बहुत बुरी तरह किया गया है। स्वयं इस बात को श्री सुब्राह्मण्यम् ने 1957 के चुनावों के बाद स्वीकार किया था। 1960 में श्री स० कु० पाटिल ने भी इसी प्रकार की राय व्यक्त की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने चुनावों पर 5 करोड़ रुपया खर्च किया। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में लगभग एक लाख रुपया खर्च हुआ होगा। स्पष्ट है कि चुनाव नियमों का पालन नहीं हुआ फिर भी पता नहीं कि क्यों इस कानून को चालू रखा हुआ है। चुनाव आयोग ने भी इस उपबन्ध को हटा देने के लिए ही कहा था।

जैसा कि कहा गया है कि यह बात निराधार नहीं है कि बड़ी बड़ी कम्पनियां तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान कांग्रेस दल को धन देते हैं। उनका मतलब ऐसा करके लाभ कमाना है और भविष्य में अपने विस्तार को सुनिश्चित करना है। इस तरह इस प्रथा को बहुत बड़ा खतरा है, अतः मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। यह बड़ा स्पष्ट है कि मन्त्री अपने दल के हितों की प्रगति के लिए सरकारी तन्त्र का प्रयोग करते हैं। इस तरह की गलत रीतियों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए। मैं श्री मुहम्मद इस्माइल के संशोधन का भी समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाय ताकि वह अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली पर विचार करे। यह तो आपको पता है कि गत तीन आम चुनावों में कांग्रेस ने 45 से 46 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये थे परन्तु वास्तव में उसे 75 प्रतिशत स्थान प्राप्त हो गये। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य दल जिन्होंने जनता से काफी मत प्राप्त किये थे उनको उपलब्ध हुए स्थानों के अनुपात में स्थानों का बहुमत प्राप्त नहीं कर सके थे। वर्तमान एक सदस्यीय चुनाव प्रणाली में, जिसके अन्तर्गत एक सदस्य चुना जाता है, के स्थान पर मतदान और मतगणना के लिए बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र और अनुपातिक

प्रतिनिधित्व पद्धति होनी चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाय तो विधान मण्डलों के गठन में समस्त देश की राय व्यक्त हो जायेगी और विभिन्न दलों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जायेगा।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चुनाव प्रणाली के दोषों को दूर करने की दिशा में सरकार को असंगत अधिनियमों और संविधान में व्यापक संशोधन करने चाहियें यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया हो, ऐसे व्यक्ति की अनर्हता के बारे में, जो उपबन्ध मौजूद हैं, वह बहुत ही व्यापक हैं मेरा कहना यह है कि यह नहीं देखा जाना चाहिए कि कारावास की अवधि कितनी हैं, प्रत्युत यह देखा जाना चाहिए कि अपराध की कोटि और स्वरूप तथा श्रेणी क्या रही है। विधेयक में उन अपराधों के स्वरूप का उल्लेख रहना चाहिए जिसके कारण किसी व्यक्ति को चनाव के योग्य नहीं समझा जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार खण्डवार चर्चा के समय भी व्यक्त करूंगा।

Shri Tyagi (Dehra Dun): I support this Bill. I may humbly request the Law Minister that the Government should pay special attention to the suggestions put forward by the members of the opposition. And try to accept them as far as possible and consider them dispassionately. The Bill is a part of the Constitution. I may propose that there should be a sort of convention that the views of the opposition ragarding the conduct of elections should be given proper regard.

We generally find that Courts take much time in disposing of the cases. Sometimes it takes years. Therefore I urge upon the Minister that there should not be undue delay in the settlement of election dispute under the proposed system. We fully realize that the High Courts are very over burdened with work. There ought to be a provision on allowing the hearing of election cases by other authorities with the permission of a High Court should be made so that the matter of disposal of those cases may be expedited.

I also feel that people's faith in the unpartiality of the High Court is also shaking. The doubts are expressed that the High Court Judges fall prey to the political influence of the party in power. Even in their appointment the political influence play an important role. People feel that District Judges work more independently and without any influence. Let us feel that these Judges also have some weakness we have got.

The provision has been made that if any person in the service of the Government act as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both. This is correct that no Government servant will act as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate. He may help a candidate secretly. This should be noted that the Government officials who indulge in corrupt practices secretly should be punished. I feel that provision in their direction is not adequate and it should be suitably modified. I would like that Government should remain immune from the election matters. Government should never take sides.

श्री हरिविष्णु कामत : गत सत्र में जब मैंने संयुक्त समिति का सदस्य बनना स्वीकार किया तो मुझे यह ख्याल था कि सभा के सामने आने तक इस उपबन्ध में काफी परिवर्तन हो जायेंगे। परन्तु फिर भी यह स्वीकार करता हूं कि कुछ परिवर्तन हुये अवश्य हैं। काफी परिश्रम के

बावजूद मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा यदि हमारे मन्त्री महोदय इस सदन के सदस्य होते। शायद अब वह लोक सभा का चुनाव लड़ने की सलाह बना लें।

जिन उपबन्धों में परिवर्तन किया गया है उनमें और भी परिवर्तन किया जा सकता था। जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा में काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को 25 स्थान दिये गये हैं। जब तक वे क्षेत्र खाली नहीं हो जाते उन्हें खाली रखा जायेगा। अब हम जम्मू और काश्मीर राज्य में भी सीधे चुनावों की व्यवस्था कर रहे हैं अतः लोक सभा में भी कुछ स्थान नियत किये जायेंगे जो कि उस शानदार दिन तक रिक्त बने रहेंगे जब तक कि वह क्षेत्र आजाद नहीं हो जाता। इस बारे में मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। विधि मन्त्री को इस बारे में हमें सन्तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए।

राजनीतिक दलों को दान में धनराशि उपलब्ध हो रही है। इंग्लैण्ड में भी ऐसा होता है। और वहां की लोक सभा में एक विधान आ रहा है कि दान देने वाली कम्पनियों को यह बताने के लिए मजबूर किया जाये कि उन्होंने किस दल को कितना दान दिया। इस दिशा में हमारी सरकार भी कुछ जागरुक हुई है। यह तथ्य की बात है कि चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस दल को कम्पनियों ने काफी चन्दा दिया है। मेरा सुझाव इस दिशा में यह है कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जाय कि किसी कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक दल को दिये गये 100 रुपये से अधिक के चन्दे को प्रकाशित कर दिया जाय। यह बात प्राप्त सब दलों पर लागू होनी चाहिए। कहते हैं कि कांग्रेस को 99 लाख रुपया कम्पनियों से प्राप्त हुआ है।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जमा खोरी, चोर बाजारी जैसे समाज विरोधी कार्यों के लिए दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें इस दिशा में भी जागरूक रहना चाहिए कि उस व्यक्ति को कितने समय तक का कारावास का दण्ड मिला था। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्ट आचरण के लिए छः वर्ष की अवधि के लिए एक व्यक्ति की अयोग्यता के बारे में उपबन्ध संशोधित होना चाहिए। इस अयोग्यता की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। अयोग्यता के बढ़ाने अथवा कम करने के बारे में इस बात का तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए कि यह कम ज्यादा करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे सामने एक उदाहरण ऐसा है जिसमें चुनाव आयोग ने एक व्यक्ति को जो कदाचार का अपराधी था अयोग्यता की अवधि कम कर दी थी। और यह इस लिए किया गया था ताकि वह उपचुनाव में खड़ा हो सके।

यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि ये मन्त्री लोग अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। चुनावों में ये लोग अपनी शक्ति और सरकारी साधनों को खूब प्रयोग में लाते हैं। इस बात को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाये गये कानून इस प्रकार के रूपभेद के लिए संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष रखे जाने चाहिये इस स्थिति में तो उनका संशोधन ही किया जा रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि नये उपबन्धों का पालन करने के लिए बनाये गये कानून इसी सत्र में इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए **]**

[Shri Sham Lal Saraf *in the Chair***]**

वैसे तो नियम 28 के अन्तर्गत 1950 के अधिनियम के अनुसार और 1951 के अधिनियम के नियम 169 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार चुनाव आयोग के परामर्श से नियम बना सकती है। परन्तु उन्हें सभाओं के समक्ष रखा जाना चाहिए। मुझे यह आशा करनी चाहिए कि नया विधान इस प्रकार का होगा कि आने वाले चुनाव देश में निष्पक्ष भाव से लड़े जायेंगे।

Shri A. S. Saigal (Janjgir): The Representation of the people (Amendment) Bill 1966 has come to us as reported by the Joint Committee. I may point out that if there is anything which is done by the Commission and it is apart the Constitution, we have every right to go to the court. According to the present provision an appeal cannot be filed against such of the decisions of the Delimitation Commission, which violate the provisions of Delimitation Act. In this way much wide powers have been given to the Commission. There should be a provision so that an appeal could be made against the decision of the Delimitation Commission. The powers which have been given to the Commission surpass even the powers of the President.

I also like to draw your attention to the section 9 and state that provision in regard to the trial of election petition by High Court is welcome. It is good that a restriction have been imposed to have the holding of meetings during the period of 42 hours ending with the hour fined for the conclusion of the poll. It is wrong to make a general matter of allegation in regard to the misuse of Government machineries for the purposes of elections. There may be some minor case of this type otherwise by and large the ministers, did not take any political capital out of their offices.

At last, I may state that those who were guilty of offence of moral turpitude should be disqualified from fighting the elections. They should not be allowed to become candidates. With these words I support the Report of the Joint Committee.

श्री रंगा (चित्तूर): इस विधेयक और इससे पूर्व सम्बन्ध अधिनियम का उद्देश्य यही है कि देश में स्वतन्त्रता और निष्पक्ष चुनाव हो। हमसे कुछ लोग जो आपको विरोधी पक्ष की ओर दिखाई देते हैं ये सब उन तमाम प्रयासों के बावजूद हैं जो कि हमारे पदासीन दल ने चुनावों में हमें पराजित करने के लिए किये हैं। कुछ मित्रों ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं बहुसदस्य चुनाव क्षेत्रों वाली प्रणाली लागू करने की मांग की है। क्योंकि यह सब जगह महसूस किया जा रहा है कि यदि इसी तरह चलता रहा तो कांग्रेस दल को वे लाभ उठाने से रोका नहीं जा सकता जो कि वह अब उठा रहा है। जब तक सारे विरोधी दल एक नहीं हो जाते तब वर्तमान व्यवस्था का लाभ तो कांग्रेस को मिलेगा ही। वैसे मेरा यह निवेदन है कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि पदासीन दल अपने प्रभाव, साधन और अधिकार अपने राजनीतिक दलों के लाभ के लिए प्रयोग न कर सके। यह सुझाव तो विरोधी पक्ष की ओर से दिया ही गया है कि चुनावों से पूर्व सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए और देश में राष्ट्रपति शासन हो जाना चाहिए। परन्तु खेद की बात है कि सत्ताधारी दल को यह सुझाव मान्य नहीं है।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि नाम निदेशन तिथि के एक मास पूर्व तथा चुनाव समाप्त होने के एक मास बाद केन्द्र तथा राज्यों को ऐसे मामलों पर कोई आदेश नहीं जारी करने चाहियें जिनमें सरकार तथा लोगों के बीच अथवा लोगों के परस्पर विवाद आते हों। इन

तीन महीनों के दौरान किसी अधिकारी का तबादला नहीं किया जायेगा और इस अवधि के दौरान लोगों से कोई नये वायदे नहीं किये जायेंगे जिससे लोगों का समर्थन प्राप्त किया जा सकता हो। रुपया देकर किसी पिछड़े वर्ग के वोट भी नहीं खरीदे जाने चाहियें। अतः मेरा निवेदन है कि यदि सत्ताधारी दल के लोग अपनी लोकतन्त्रीय कथनी के बारे में ईमानदार हैं तो उन्हें अपनी करनी भी उसके अनुरूप बनानी होगी। सभी दलों को चुनावों में एक सी सुविधायें देनी होंगीं। स्थिति यह है कि सत्ताधारी दल अपने लिए तो सब सुविधायें प्राप्त करना चाहता है परन्तु विरोधी दलों को कोई सुविधा नहीं देना चाहता। यहीं बात है कि सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल रहा है। बड़ी बड़ी कम्पनियां सत्ताधारी दल के खजाने में भारी अंशदान दे रही हैं। इस पर की प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

चुनाव व्यय की बात आई है। व्यय बढ़ते चले जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ना प्रायः असम्भव हो रहा है। विरोधी दलों को इसलिए भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे क्योंकि यह भारी खर्चे की बात है। बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों का सुझाव झुकाव हमारी ओर नहीं है। श्री पाटिल ने 1957 में कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये चाहिए। यदि इस समय 5 करोड़ की अपेक्षा थी तो आज तो तीन गुणा अधिक की जरूरत होगी। सत्ताधारी दल तो पंचायत समितियों की जीपों इत्यादि का भी प्रयोग कर सकता है परन्तु हमें तो वे नहीं मिल सकतीं।

सभापति महोदय : ऐसी गाड़ियों का प्रयोग अवैध है।

मंत्रियों ने स्वयं यह बात स्वीकार की है कि चुनाव संबंधी व्यय पर सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है। मतदाताओं के लिए गाड़ियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। प्रचार के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे लिए पेट्रोल प्राप्त करना भी सम्भव नहीं होता है। शासक दल सरकारी व्यवस्था का प्रयोग करता है। पंचायत समितियों की जीप गाड़ियों को प्रयोग में लाया जाता है।

अब हमारे देश में प्रजातन्त्र नहीं रह गया है। हमारा प्रजातन्त्र सब से बड़ा प्रजातन्त्र है जहां ऐसे अनभिज्ञ मतदाताओं की संख्या सब से अधिक है जो केवल चिन्हों पर निर्भर करते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं। उनको जिला न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाना चाहिये न कि कार्यपालिका अधिकारियों मे से। यदि निर्वाचन आयोग के सदस्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों में से नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से नियुक्त किये जायें तो यह अच्छी बात होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके अपने जिले में नहीं लगाया जाना चाहिये। इसी प्रकार राज्य निर्वाचन अधिकारी अपने राज्य में नियुक्त नहीं किये जाने चाहियें।

अध्यापकों को और पंचायती राज तथा सहकारी आन्दोलन के अन्य कर्मचारियों को चुनाव से एक मास पूर्व अथवा चुनाव के दौरान अथवा उसके बाद एक मास के भीतर स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिये। सरकार इस संबंध में अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। उसे रोकने के लिए उचित पग उठाये जाने चाहियें। चुनाव के एक वर्ष के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारियों का न तो स्थानान्तरण किया जाये, न उन्हें दण्ड दिया जाये और न उनकी पदावनति की जाये।

सरकार को ऐसे उपाय निकालने चाहिये कि चुनाव याचिकाओं को निपटाने में छः मास से अधिक समय न लगे। मुकदमे बाज़ी पर खर्च कम किया जाना चाहिये ।

यदि इस विधेयक को सुझाये गये कुछ संशोधनों के साथ पारित भी कर दिया जाये तो भी इससे रोग का उपचार नहीं होगा। इस विधेयक से केवल यह पता लगता है कि हमारे राजनैतिक क्षेत्र में गम्भीर गड़बड़ी है। निर्वाचन पद्धति में आमूल परिवर्तन तथा विरोधी दलों के प्रति खिलाड़ी का रवैया अपनाने से उसे ठीक किया जा सकता है।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): Sir, I am surprised to hear the communist member preceding me that Congress Party does not want democracy to be successful in our country. In fact, Congress Party is responsible for establishing and strengthening democracy in the country. It is strange that communists do not criticise dictatorship in communist countries but they accuse the congress of establishing dictatorship in the country.

It has been said that the Congress Party spent huge amounts of money on elections. But this thing should not be lost sight of that the opposition parties also spend a lot of amount on elections. The opposition parties should not only try to find fault with the Congress. They should also see their shortcomings.

It has been said that High Court judges should go to district headquarters to hear election petitions. This suggestion is impracticable. The judges are required to consult reference books etc. Those books are available only at the seat of a High Court and it is, therefore, not possible for them to decide the cases at district headquarters. The High Courts should be given the right to entrust work of hearing evidence to commissions appointed for this purpose.

It is alleged that the Government employees and officers favour the ruling party. Wherever other parties have come to power, they have also misused them. The ruling party and the opposition parties should be debarred from making use of Government officials to further their party interests in the elections. The opposition should not always try to blackmail the Congress. Unfounded allegations should not be levelled. This will has been adopted unanimously by the Select Committee. I support the Bill.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : विदेशों में तथा अपने देश में इस की स्थिरता का निर्णय इस बात से होगा कि आगामी निर्वाचन किस प्रकार कराये जाते हैं। यह ठीक है कि चुनाव के सदाचारों और चुनाव संबंधी नीतिशास्त्र की मौलिक संहिता के उल्लंघनों के संबंध में कई आरोप लगाये गये हैं। फिर भी, निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संस्था है और उसके होते हुए निष्पक्ष और अबाध चुनाव होना निश्चित है।

विधेयक और चुनाव संबंधी नई विधि बनाने के प्रयत्न का स्वागत है। राजनैतिक दलों और चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों की सहमति से एक आचरण संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिये ताकि अबाध तथा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित किये जा सकें। चुनाव के काम के बारे में विभिन्न पहलुओं की पूरी तरह जांच किया जाना आवश्यक है ।

चुनाव पर खर्च बहुत अधिक होता है। चुनाव पर खर्च की सीमाओं पर कड़ाई और सावधानी से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली संख्या सीमित करना आवश्यक है।

हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि चुनाव संबंधी विवाद न्यायाधिकरण के स्थान पर उच्च न्यायालय में निपटाने जायें। मेरा विश्वास है कि इससे कुछ ऐसी समस्यायें भी पैदा होंगी जिनका हमने अभी सामना नहीं किया है। इसके लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक होगा। अन्यथा, उनके लिए यह अधिक कार्य निपटाना असम्भव हो जायेगा।

अर्हतायें हटाने के लिए एक सी कसौटियां होनी चाहिएं। सम्बद्ध उच्च न्यायालयों को ऐसी अर्हतायें हटाने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिये या उचित तथा अधिक सूक्ष्म कसौटी रखी जानी चाहिये।

यदि हम व्यय कम कराना चाहते हैं तो सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिये कि मतदाताओं को पर्चियां बांटी जायें। उम्मीदवारों से यह कार्य करने के लिए नहीं कहना चाहिये। आने वाले चुनाव में यह प्रथा अपनाई जानी चाहिये।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि चलते फिरते निर्वाचन केन्द्रों की अथवा कम से कम ऐसे पांच सौ व्यक्तियों के लिए, जो एक मील से अधिक दूर न हों, एक चुनाव केन्द्र का प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये।

निर्वाचक नामावलियों का उचित रूप से पुनर्विलोकन नहीं किया जाता है। अनेक मतदाताओं को मतदान के मूल्यवान अधिकार से वंचित रखा जाता है क्योंकि निर्वाचक नामावलियों को ठीक प्रकार से पुनरीक्षित नहीं किया जाता है। चुनावक्षेत्रों के परिसीमन के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये। बिना किसी स्पष्ट कारण के चुनाव क्षेत्र बदल दिये गये हैं। जहां तक सम्भव हो, चुनाव क्षेत्रों को उसी रूप में बनाये रखना चाहिये।

निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिह्न वही रहने चाहिये जिन पर वे पहले विजयी हुए हैं। यह उचित और न्याय बात है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : भारत की जनता तथा सरकार हमारे देश में पिछले तीन सामान्य निर्वाचनों के दौरान इतिहास में तीन अभूतपूर्व चुनाव पूरे कराने के लिए बधाई की पात्र है। इस देश के लिए यह कोई मामूली बात नहीं है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब इस संसद में मछली बाजार का सा वातावरण आ गया है और यदि गुन्डागर्दी और हिंसा पर उतरने वाले लोग अगली संसद में आ गये तो उससे संसद और लोकतन्त्र को बहुत खतरा होगा।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह केवल विधेयक के बारे मे में ही बोलें।

श्री जोकीम आल्वा : मैं विधेयक के संबंध में ही बोल रहा हूं। यह सच है कि हमारे देश में चुनाव में धन का बहुत बड़ा हाथ होता है। चुनाव के लिए हम लोगों को स्वयं धन एकत्र करना चाहिए और धनी व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस बारे में हमें ब्रिटिश चुनावों का

अनुसरण करना चाहिए। इन्डियन नैशनल कांग्रेस को जोकि किसानों तथा श्रमिकों की ओर से बोलने का दावा करती है स्वयं चुनाव के लिए धन एकत्र करना चाहिए। कम से कम आगामी चुनाव के बाद होने वाले चुनाव के लिए हमे चुनाव निधि के लिए धनी लोगों पर आश्रित न रहकर जनता से धन एकत्र करना चाहिए।

जहां तक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का संबंध है वे उच्च योग्यता के व्यक्ति होने चाहियें। मुझे विश्वास है कि नये विधि मंत्री न्यायाधीशों की नियुक्ति का बोझ गृह-कार्य मंत्रालय पर न डालकर स्वयं अपने ऊपर लेंगे।

चुनाव में उम्मीदवारों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि चुनाव में साधारण, ईमानदार और लोकसेवक खड़े हों और वे अधिक खर्च किये बिना ही चुनाव जीते। हमें धनी व्यक्तियों एवं चुनाव पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चुनाव लड़ना है तथा जीतना है। कुछ भूतपूर्व शासक अपने निजी धन से न केवल अपना चुनाव लड़ते हैं बल्कि अन्य चुनाव क्षेत्रों पर भी अपने धन का प्रभाव डालते हैं। यह समय है कि संसद् को गम्भीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : हम सभी को चुनाव का अनुभव है और सामान्य चुनाव कानूनों से अवगत हैं। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि चुनाव पद्धति तथा चुनाव कानून बिल्कुल ठीक है। परन्तु गत तीन चुनावों में वर्तमान चुनाव पद्धति में सुधार करने का हमारा प्रयत्न रहा है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

[**Mr. Speaker** *in the Chair*]

यदि जो कांग्रेस को सत्ता से हटाना चाहते हैं उनको कांग्रेस से दुगना कार्य करना चाहिए। बहुत से विरोधी दल के सदस्य बातें अधिक करते हैं परन्तु कार्य कुछ नहीं करते।

संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं तथा खण्ड 20 का उल्लेख किया है जिस में यह कहा गया है

> "कि इस पूर्व कि चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार अथवा, अराजविष्टा के कारण यह प्रमाणपत्र दे कि उसको 1951 के अधिनियम की प्रस्तावित धारा 9 की उप-धारा (एक) के प्रयोजनों के बर्खास्त किया जाता है उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

खण्ड 38 में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। इसमें यह व्यवस्था है कि उच्च न्यायालय चुनाव याचिकाओं की जांच करेगा।

मेरे विचार में न्यायाधिकरण को हटाने का आशय व्यय को कम करना है। उच्च न्यायालय को इस मामले में सावधान रहना चाहिए कि मुकदमेबाजी का व्यय बढ़ने न पाये।

खण्ड 41 से 43 के सम्बन्ध में समिति ने सिफारिश की है कि विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उच्चतय न्यायालय में अपील की जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस हेतु एक संशोधन दिया है।

खण्ड 59 मे चुनाव कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए दण्ड की व्यवस्था है। ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत से कर्मचारियों को भड़काया गया था। इस सभा द्वारा समवायों के लिए राजनैतिक दलों को धन देने के बारे में कुछ सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

दिल्ली में हुई घटनाओं के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re: INCIDENTS IN DELHI

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): देश में गोवध पर रोक लगाने के लिये कई वर्षों से एक तथा दूस रूप में मांग की जा रही है। सरकार राज्यों के कानूनों; गोवध पर प्रनिबन्ध लगाने के विषय में समानतां लाने के बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण करते हुए पहले ही संसद म वक्तव्य दे चुकी है।

परन्तु समस्या के प्रति आंदोलनात्मक दृष्टिकोण जारी है और इसने एक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया है। 7 नवम्बर, 1966 को संसद भवन के निकट एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया था। देश के विभिन्न भागों में भावनात्मक एवं भड़काने वाले दिए गए भाषणों के बारे में सरकार पूरी तरह अवगत थी।

दिल्ली प्रशासन प्राधिकारियों ने प्रदर्शन संगठित करने वालों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा था। अत. उनको आश्वासन दिया गया था कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहेगा। फिर भी यह अनुमान लगाया था कि इतने बड़े पैमाने पर जो विशाल जनसमूह एकत्र होरहा है उसमें कुछ अशांति तथा हिंसा हो सकती है। इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा व्यवस्था बनाये रखने के लिए विस्तृत तैयारियां की गई थी। पुलिस की एक बड़ी संख्या काम पर तैनात की गई थी तथा बाहर से भी पुलिस बुलाई गई थी। सारे मार्ग पर और विशेष स्थानों पर खासकर मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात किये गए थे। संसद भवन के चारों ओर विशेष प्रबन्ध किये गये थे तथा भवन की प्रसीमाओं में सभी प्रवेश स्थानों पर पहरेदार तैनात किये गये थे। पूर्वोपाय के तौर पर 6 नवम्बर को गुंडों आदि को बडी संख्या में गिरफ्तार किया गया था।

गृह-कार्य मंत्री 7 नवम्बर को हुई घटनाओं के बारे में पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। 7 नवम्बर को गोली चलाये जाने के फलस्वरूप अब तक एक सिपाही सहित 8 व्यक्ति मरे हैं और 41 व्यक्तियों को गोली के घाव आये हैं। लगभग 70 व्यक्तियों को अन्य तरीकों से चोटें आई हैं। उन्नीस पुलिस अधिकारियों जिसमें दो पुलिस सहायक अधीक्षक भी हैं, घायल हुए हैं।

लगभग 54 कारें और जीपें, 2 बसें, एक ट्रक और 26 स्कूटर अथवा मोटर साइकल जल गये ह अथवा उनको भारी क्षति पहुंची है।

भीड़ के हट जाने के पश्चात् स्थिति पर शीघ्र ही काबू पा लिया गया था। सेना की टुकड़ियों को बुलाया गया था तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि यदि गड़बड़ पुनः हो तो वे असैनिक प्रशासन की सहायता कर सकें।

सायंकाल 3 बजे कर्फ्यू लगाये जाने के आदेश जारी किए गए थे। बाहर से आए हुए सभी प्रदर्शनकारियों को दिल्ली से बाहर भेजने की कार्यवाही आरम्भ कर दी थी। स्थिति में सुधार हो जाने के कारण कर्फ्यू को 8 नवम्बर को प्रातः 7 बजे के पश्चात जारी न रखने का निर्णय किया गया जलूसों तथा सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों को सम्भाव्य प्रतिक्रियाओं के विरूद्ध सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है।

6 नवम्बर से लेकर अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या एक हजार से बढ़ गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल के एक एक सदस्य को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी): गृह-सचिव ने एक वक्तव्य में कहा है कि मंत्रालय होने वाली घटनाओं से अवगत था। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जब होने वाली घटनाओं से वह अवगत थे तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई थी।

श्री हाथी : मैंने वक्तव्य में यह स्पष्ट कर दिया है कि आयोजकों ने आश्वासन दिया था कि प्रदर्शन शांति पूर्ण होगा। ऐसा नहीं था कि पूर्व आयोजित हिंसा की कार्यवाही की कोई सूचना थी। जैसा कि मैंने बताया इस उद्देश्य के लिए विस्तृत पूर्वोपाय किए गए थे। संसद भवन के चारों ओर तथा इससे मिलने वाली सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस मैन तैनात किये गये थे।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): प्राधिकारियों ने परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए हैं। दिल्ली प्रशासन के श्री झा ने कहा था कि वह अचम्भे में आ गये और उनको ऐसी घटनाओं की आशा नहीं थी। समाचार पत्रों में ऐसे भी समाचार आए हैं कि गुप्तचर विभाग ने सरकार को सूचना दी थी कि गम्भीर घटनायें घट सकती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कौनसा वक्तव्य सच है।

श्री हाथी : जैसा मैं ने बताया कि इस हिंसा के पहले से आयोजन की कोई जानकारी नहीं थी। परन्तु इतनी संख्या में भीड़ एकत्र होने वाली थी इसलिये यह अनुमान लगाया गया हिंसा की कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक स्थिति यही है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I would like to know why precautions were not taken to safeguard Government buildings and other things when the Government was having pre-information about it. Whether it is a fact that the Home Minister had written that procession should not be allowed to proceed within a radius of two miles.

श्री हाथी : आमतौर पर जलूसों को बिना आज्ञा दो मील के रेडियस के अन्दर आने की अनुमति नहीं दी जाती। इस मामले में अनुमति दी गई थी। पहले भी साम्यवादी तथा जनसंघ दल को प्रदर्शन के लिये ऐसी ही अनुमति दी गई थी। ऐसा विचार किया गया था कि उचित पूर्वोपाय के होते हुए जलूस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to know why the volunteers and other persons gathered there to assist the authorities have been arrested? I would also like to know why Shri Balraj Madhok, President, All India Jan Sangh was arrested?

Mr. Speaker: We cannot discuss the arrest of any particular person here.

श्री हाथी : किसी भी व्यक्ति को चाहे वह स्वयं सेवक हो अथवा जो भी, जिसने इस प्रदर्शन में जिसमें हिंसा तथा लूटमार की घटनाऐं हुई हैं, गिरफ्तार किया जाना है तथा उनको गिरफ्तार किया गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): The body of one Shri Ram Rakha was identified by his relatives but they were not allowed to take it. I would like to know that when such things are happening whether Government would like to hold an enquiry into the whole matter of violence, arson and loot.

श्री हाथी : जी, नहीं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : इस बात का उचितत उत्तर नही दिया गया है कि गृह-मंत्री ने आदेश जारी किये थे कि जलूस को दो मील के रेडियस के अन्दर आने की अनुमति न दी जाये, यह आदेश किस तिथि को जारी किये गये थे । यदि ऐसे आदेश दिये गये थे तो क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा उनका पालन नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : मेरी जानकरी यह है कि आदेश यह थे कि इस के लिये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। मैं इस बात की जांच करूंगा कि क्या वास्तव में गृह-मंत्री ने ऐसे आदेश दिये थे कि किसी जलूस को अनुमति न दी जाय।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी): मैं जानता हूं कि सरकार की पूर्व जानकारी के अनुसार उसको इस प्रर्दशन में भाग लेने के लिए कितने व्यक्तियों के बाहर से आने की आशा थी और इसके लिये सरकार ने क्या तैयारी की थी अर्थात दिल्ली तथा बाहर के कितने पुलिस मैनों को तैयार रखा गया था।

श्री हाथी : बाहर से आने वाले लोगों की संख्या लगभग 40,000 से 50,000 तक थी पुलिस वाले लगभ 5000 थे।

Shri R. S. Pandey (Guna): I would like to know the parties and leaders who took part in this procession. I would also like to know whether it is a fact that some people were having petrol bottles and cotton in their bags, if so the action taken by Government?

श्री हाथी : जनसंघ तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल के व्यक्ति इस में थे।

Shri Gulshan (Bhatinda): I would like to know whether Government was not aware of the fact that when such a large procession is going take place there can be every possibility that violence can take place? If they were aware why they did not take necessary precautions?

Shri Hathi: As I have already stated that the organisers assured the Delhi Administration that the procession will be peaceful. Even so five thousand policemen were posted.

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सों की हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING STRIKE BY NURSES IN DELHI HOSPITALS

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : 25 अक्टूबर, 1966 को सफदर जंग अस्पताल की एक नर्स (सिस्टर) पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने एक सफाई कर्मचारी को एक झाड़न से ढ़की हुई एक बाल्टी में एक गैलन डैटोल होस्टल में उसके कमरे में ले जाने के लिए दिया था। चौकीदार द्वारा पूछे जाने पर सफाई कर्मचारी ने बताया कि वह सिस्टर कुमारी डेविड के कहने पर इस बाल्टी को ले जा रहा है। चूंकि चोरी का सन्देह था इसलिए तुरन्त ही इस मामले की सूचना चिकित्सा अधीक्षक तथा सतर्कता अधिकारी को दी गई। उन्होंने सम्बन्धित परिचारिका को बुलाया तथा उससे पूछताछ की। सिस्टर डैविड ने लिखित वक्तव्य दिया है कि वह होस्टल में अपने स्नानागार को साफ करने के लिए डैटोल ले जा रही थी। अस्पताल के अधीक्षक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी जैसा कि ऐसे मामलों में पहले भी किया जाता था। पूछताछ के पश्चात् पुलिस ने परिचारिका को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

सफदरजंग नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सचिव ने चिकित्सा अधीक्षक को बताया कि परिचारिकायें अपनी अपनी मांगें मनवाने के लिए 3 नवम्बर, 1966 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगी। उनकी कुछ मांगे यह थी कि अधिकारियों द्वारा सिस्टर डैविड के विरूद्ध विभागीय जांच कराने में असफल रहने की न्यायिक जांच कराई जाय, प्रशासनिक तथा सतकर्त्ता, अधिकारी त्यागपत्र दें, जो व्यक्ति बाल्टी ले जा रहा था उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाये तथा इस बात की जांच की जाये—चौकीदार बिना प्रतिबन्ध किस के अधिकार से होस्टल में इधर उधर घूमता है। इसके पश्चात् परिचारिकायें स्वास्थ्य सचिव तथा मुझे से भी मिली थी। उनकी गलतफहमी तथा आशंकाओं को दूर किया गया था।

परिचारिकाओं ने 3 नवम्बर, 1966 को बिना पर्याप्त नोटिस दिये जैसाकि उनको औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत देना चाहिए था, हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान अस्पताल में काम को चलाने तथा रोगियों की असुविधाओं को रोकने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये गये थे। नगर के कुछ अस्पतालों में कुछ अन्य परिचारिकाओं ने भी सफदरजंग की परिचारिकाओं की सहानुभूति में 4 नवम्बर को सांकेतिक हड़ताल की थी।

अधीक्षक, गृह-सचिव तथा मुझसे मिलने के पश्चात् सफदरजंग की परिचारिकाओं ने आज प्रातः अपनी हड़ताल वापिस ले ली है। मैं अस्पताल के कर्मचारी वर्ग को बधाई देती हूं जिन्होंने रोगियों को असुविधा नहीं होने दी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to know whether police had made investigation's from the staff and if so, the details thereof.

Dr. Sushila Nayar: Police held some enquiry and the action was taken thereon. There is no use going into the details now when whole matter is being settled in a peaceful manner.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों पर विचार करने के लिए क्या प्रयत्न किये थे।

डा० सुशीला नायर : इसका उनकी सामान्य मांगों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या नर्सों को कोई आश्वासन दिया गया है कि सरकार उनके हड़ताल में भाग लेने के कारण उन्हें तंग नहीं करेंगी ?

डा० सुशीला नायर : हम तंग करने की दृष्टि से नहीं बल्कि रोगियों तथा देश के हितों की दृष्टि से सोचते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : इस अवैध हड़ताल के कारण क्या थे ?

डा० सुशीला नायर : यह सारा मामला चोरी के एक आरोप के कारण उठ खड़ा हुआ और हम इसका पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : क्या मंत्री महोदय ने नर्सों के प्रतिनिधियों से मिलने से इन्कार कर दिया और क्या हड़ताल का यह कारण है ?

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य की सूचना बिल्कुल गलत है ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप को श्री लिमये को, श्री पाण्डेय को, श्री अतुल घोष का आदमी कहने की अनुमति नहीं देनी चाहिये थी ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को पुनः नहीं उठाया जाना चाहिये ।

Shri Radhe Lal Vyas (Ujjain): I would like to submit that you should enforce the order that Members have a right to stand but they cannot speak until the Speaker calls them to speak....(*Interruptions*).

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सूखे तथा अभाव की स्थिति

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ज़बरदस्त सूखे और दुर्लभता की स्थिति" ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वक्तव्य देने से पहले मैं उस बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि मुझ पर आपके पत्र का उत्तर न देने का आरोप लगाया गया ह ।

अध्यक्ष महोदय : उसे मैंने स्पष्ट कर दिया था ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जब उन्होंने गलती की है तो उन में इतनी शिष्टता होनी चाहिए कि खेद प्रकट करें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): He is telling a lie. He wants to teach us decency.

Mr. Speaker: Kindly sit down.

Shri Bagri (Hissar): Mr. Speaker, Sir . . .

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : मंत्री महोदय द्वारा हम पर इस प्रकार आरोप लगाना अनुचित है । उन्हें यह मामला पुन: खड़ा नहीं करना चाहिए ।

Shri Bagri: Kindly tell him....(*Interruption*)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा ।

Shri Bagri: The Minister is giving a wrong statement. He is giving us a lecture . . . (*Interruptions*).

Mr. Speaker: He has clarified that he has not delayed in replying.

Shri Bagri: What did I say then?

Mr. Speaker: You are going on speaking in spite of my asking you not to do so.

Shri Bagri: If I go out, it will be a contempt of the chair..(*Interruptions*)

Mr. Speaker: Shri Bagri may kindly go out.

Shri Bagri: Will it put an end to starvation?

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये ।)

(*Shri Bagri then left the House*).

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7312/66]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश 52 जिलों में से 47 जिले तथा लगभग समूचा बिहार सूखे से प्रभावित है । इसका अर्थ यह है कि $3\frac{1}{2}$ करोड़ से अधिक लोगों को भुखमरी का अथवा कुपोषण की स्थिति का सामना है । छोटी सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है? क्या यह सच है कि छोटी सिंचाई के लिए राशि दी गई है इसका दुरुपयोग हुआ है ? क्या यह भी सच है कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो वित्तीय सहायता मांगी है, उसका 50 प्रतिशत भी नहीं दिया जा रहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सितम्बर में कार्यवाही न करने का कारण यह था कि 7 सितम्बर तथा 15 अक्तूबर के बीच वर्षा की आशा थी, जैसे ही हमने यह अनुभव किया कि स्थिति गम्भीर होती जा रही है, तब उत्तर प्रदेश तथा बिहार में केन्द्रीय दल तुरन्त भेजे गये । अब हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि यथासम्भव शीघ्र छोटी सिंचाई तथा शीघ्र उत्पादन वाली परियोजनायें चालू की जायें । वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में बिहार सरकार के साथ हमारी बातचीत हो गई है और उसी आधार पर धन दिया जा रहा है ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): 1,60,000 tons of foodgrains being given to Bihar are quite insufficient in the present situation? I would also like to know the arrangements being made for fodder for the catle.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें यह भी देखना है कि राज्यों में न्यायपूर्वक वितरण के लिए हमारे पास कितना खाद्यान्न उपलब्ध है । इस प्रकार की स्थिति में हम सामान्य आधार पर वितरण नहीं कर सकते । चारे, पीने के जल, और सहायता आदि के कार्यक्रम निर्धारित कर लिए गये हैं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): May I know how the amount of Rupees twenty being given will be utilised? It is too small an amount.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर प्रदेश में कृषकों के अपने श्रम से कच्चे कुएं बनाये जायेंगे और उस में मिट्टी फिर भर जाने से रोकने के लिए 20 रुपये दिये जा रहे हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): May I know how far the demand of the Government of Uttar Pradesh regarding foodgrains and resources for minor irrigation has been met.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : लघु सिंचाई कार्यक्रमों तथा अन्य उत्पादन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमने दोनों राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि उनको काम के अनुसार धन दिया जायेगा । अतः धन की कोई सीमा नहीं होगी ।

Shri Vishram Prashad (Lalganj): Patel Commission had recommended the setting up of 212 tube wells in Ghazipur, Jaunpur, Azamgarh and Deoria but the Government have not made any provision for that. A quota of one lakh tons of foodgrains should be given to Uttar Pradesh.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नलकूपों के सम्बन्ध में हमने कहा है कि विद्यमान नलकूपों को चालू रखने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये । उत्तर प्रदेश को हम 60,000 टन खाद्यान्न दे रहे हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : मैं अपने क्षेत्र में 200 नलकूपों की मांग करता रहा हूं । क्या इस बात के लिए कोई विशेष आदेश जारी किये गये हैं कि यह योजना आगामी तीन अथवा चार मास में पूरी की जाये ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं यह स्वीकार करता हूं कि अपने तथा दो प्रधान मंत्रियों के हस्तक्षेप के बावजूद मैं इसमें सफल नहीं हो पाया हूं । मुझे विश्वास है कि इस कठिन समय में बिहार सरकार इस कार्यक्रम को भी हाथ में लेगी ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या सरकार का ध्यान इन आरोपों की ओर दिलाया गया कि बिहार में छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिए निर्धारित राशि कुछ लोगों की जेबों में जा रही है और क्या सरकार ने बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई उपाय किये हैं ताकि इस संकट के समय में सहायता कार्य किया जा सके ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन आरोपों के बारे में मेरे पास कोई तथ्य नहीं हैं । यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी हो तो मैं चाहूंगा कि वे उसे मेरे पास भेजें । प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का मामला हमने बिहार सरकार के साथ उठाया है । वह भी इस दिशा में कार्यवाही कर रही है ।

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या यह सच नहीं है कि अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री ने जिन सहायता कार्यों का उल्लेख किया है, उनका लोग लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि कमजोर होने के कारण वे शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकते ? क्या यह भी सच है कि उन्हें समय पर मजूरी नहीं दी जाती है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बूढ़े तथा निर्योग्य व्यक्तियों को काम नहीं करना पड़ता और इसके बिना ही उन्हें सहायता मिलती है। यह आशा की जाती है कि मजूरी का भुगतान प्रत्येक सप्ताह को किया जाता है और इसका हम अधीक्षण भी करते हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत होगी तो राज्य सरकारें उन पर ध्यान देंगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Bihar Government has reported that during this year the harvest will be 20 per cent or even less as campared to the normal harvest years. The hon. Minister in a reply to a question himself has accepted that where is less than 25 per cent production it will be considered as famine. In Bihar famine has not been declared but even so famine conditions are prevailing there. In my own constituency six or seven persons have already died. I know the name of one of them. The hon. Minister has just now stated that they were old persons and that is why they have died.

Mr. Speaker: He has not said that. The hon. Minister has simply stated that they have died their natural death. Now you please ask your question.

Shri Madhu Limaye: I would like to know whether Government is prepared to issue such instructions that ministers and officers will not take the food unless it is provided to people who are faced with starvation?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात में सहमत हूं कि बिहार में स्थिति गम्भीर है। जब बिहार के सदस्यों के साथ इस समस्या पर विचार किया गया था तो माननीय सदस्य भी उपस्थित थे तो उन्होंने उस समय रचनात्मक रवैया अपनाया था। हम इस गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस कार्य में सभी लोग सहयोग दें।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): How the conditions are being developed where the country will be divided into two categories of 'Haves' and 'Have not.' The only way left to avert such situation being developed is that we should all collectively work to provide relief to the people. Even after this there is a possibility that 40 lakh persons may die due to starvation. I would like to know whether the hon. Minister has thought of any measures to avert such a situation being developed.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं केवल यह आशा कर सकता हूं कि डा० राम मनोहर लोहिया भी पूर्वानुमान सिद्ध नहीं होंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अगस्त में केन्द्रीय सरकार को बढ़ रही सूखे की स्थिति के बारे में बता दिया था और क्या केन्द्रीय सरकार ने स्थिति को देखने के लिए कोई अधिकारी भेजा था और यदि हां, तो उस अधिकारी ने क्या

रिपोर्ट दी थी ? क्या सरकार ने उस समय स्थिति की गम्भीरता को महसूस किया था त इस स्थिति के उत्पन्न होने से पूर्व बिहार और उत्तर प्रदेश की सहायता की जा सकती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सहायता का प्रश्न केवल अक्तूबर में उत्पन्न हुआ और तभी ह स्थिति का अनुमान लगाने के लिए दल भेजे क्योंकि उस समय तक यही आशा थी कि वर्षा के जाने के कारण स्थिति में सुधार हो जायेगा। दुर्भाग्य से वर्षा नहीं हुई। इसी लिए हमने तुरन्त कार्यवाही की और दलों को स्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा।

Shri N. P. Yadav (Sitamarhi): Distinction is being made in the distribution of foodgrains in the rural and urban areas. A farmer possessing 3 acres of land or more is not allowed to take ration from the ration shops, I would like to know why such distinction is being made and when it is likely to be stopped?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे बताया गया है कि कमी वाले सभी क्षेत्रों में यह आदेश रद्द कर दिया गया है। जहां फसल है और जिन क्षेत्रों में फसल होने वाली है वहां राशन की दूकानों से राशन नहीं दिया जा सकता। यदि फसल अच्छी नहीं हुई तो हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार राशन सप्लाई किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to know that keeping in view the serious drought conditions of Bihar and U.P. Government is considering to exempt the farmers from paying land revenue and Taccavi? If so, when Government is likely to exempt them or giving some relief in it?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बारे में राज्य सरकारों के अपने नियम हैं और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें ये सभी कदम उठायेंगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हम जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में कमी तथा समूचे देश में गम्भीर कमी की स्थिति को देखते हुए जिस कारण इन दो राज्यों को अनाज उपलब्ध नहीं किया जा सका, क्या सरकार देश में अतिरिक्त अनाज मंगवाने के लिए प्रयत्न कर रही है और यदि हां, तो इसमें उसकी क्या सम्भावना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विदेशों से अनाज के आयात के लिए प्रत्येक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur): I would like to know the number of persons who have left their homes and villages in U.P. and Bihar and whether Government have evolved any machinery or have taken any step to protect the Adivasis and Harijans?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम समुदाय के कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। देश के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने का हिसाब रखना सम्भव नहीं हैं।

श्री स० चं० सामन्त (तायलुक) : क्या कमी वाले क्षेत्रों में इस वर्ष लोगों को लगान माफ कर दिया जायेगा, क्या लगान प्रणाली में छूट दी जायेगी तथा उसको बन्द कर दिया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश तथा विहार में कोई लगान प्रणाली नहीं है क्योंकि हम उन पर जोर देते रहे हैं कि सामान्य स्थिति में किसी प्रकार की वसूली करनी चाहिए। इसलिए छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक भू-राजस्व का सम्बन्ध हैं यह एक राज्य विषय है। वह सब बातों को ध्यान में रखेंगे। मुझे विश्वास है कि वर्तमान स्थिति में वह लगान लेने का कोई प्रयत्न नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 10 नवम्बर, 1966/19 कार्तिक 1888(शक) को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday the 10th November, 1961/Kartika 19, 1388 (Saka)

GMGIPND—LS—III—2257 (ai) LS—6-4-67—600